योजना

वर्ष : 61 • अंक 07 • जुलाई 2017 • आषाढ़-श्रावण, शक संवत् 1939 • कुल पृष्ठ : 60

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादकः दीपिका कच्छल

संपादकः ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
ईमेलः yojanahindi@gmail.com
वेबसाइटः www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह
(प्रसार एवं विज्ञापन)
ईमेलः pdjucir@gmail.com

आवरणः गजानन पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाषः 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही www.publicationsdivision.nic.in तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- वृद्धजनों को सहारा
  सुमति कुलकर्णी 9
- फोकस
  दूसरी पारी की सुरक्षित तैयारी
  बद्री सिंह भंडारी 13
- सबके लिए स्वास्थ्य
  के सीता प्रभु 19
- निशक्तजनों का सशक्तीकरण
  संध्या लिमये 23
- कृषक कल्याण का निश्चयः सपना और हकीकत
  नीलाब्जा घोष 27
- विशेष आलेख
  सामाजिक सुरक्षाः वैश्विक परिदृश्य
  चंद्रकांत लहरिया 31
- नारी शक्तिः महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा 36
- एनपीएस-लाइट/स्वाबलम्बन योजना और अटल पेंशन योजना 38
- महिला कामगारों की सामाजिक सुरक्षा
  सरोज सिंह 41
- कृषि से पोषण का पथ
  मौसुमी दास 47
- कराधान, कल्याणकारी राज्य व सामाजिक सुरक्षा
  रहीस सिंह 51
- सामाजिक सुरक्षा की जद में कामगार सुरक्षा
  हरिकिशन शर्मा 57
- बेघरों एवं अनाथ बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा
  संतोष कुमार पाठक 61
- बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी क्यों
  उमेश चतुर्वेदी 67
- पहल को समर्थन की प्रतिबद्धता
  जतिन्दर सिंह 71
- क्या आप जानते हैं? 74

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

दरें: वार्षिकः ₹ 230 द्विवार्षिकः ₹ 430, त्रिवार्षिकः ₹ 610

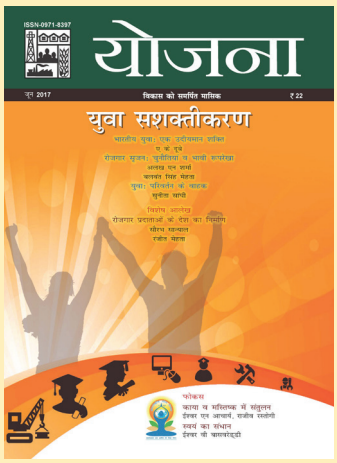

आपकी राय

योजना चले सालो-साल हम पढ़े बेमिसाल

सबसे पहले मैं योजना के सारे सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं! मैं योजना को पिछले 2 वर्षों से लगातार पढ़ रहा हूं और इसके अगले अंक का बेसब्री से इंतजार रहता है! मैं योजना के निचोड़ कुछ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं! योजना हमारे समाज की वह नींव है, जो सारे आर्थिक परिदृश्य, विकास कार्यों को हमारे बीच बहुत ही सरल ढंग से रखती है! जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी ना रहने से व्यक्ति चल नहीं सकता हो, उसी प्रकार योजना अगर हमारे बीच नहीं होती तो हम निशक्त हो जाते, हमें भी कुछ पता ना होता! बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमें दी, वाद-विवाद सदा हमें आगे रखा!

मैं बहुत शुक्रगुजार हूं योजना के सारे सदस्यों का कियोंकि ज्ञान की सागररूपी योजना को हमारे बीच बहुत ही सरलता से वर्षों से रखती आ रही है!

– दयाल गोप
हरधोवा, पोस्ट-कुरुम्बा,
थाना-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो (झारखंड)

युवा सशक्तीकरण

मैंने पहली बार 'योजना पत्रिका' का पूर्ण अध्ययन बहुत ही बारीक से किया। योजना के "युवा सशक्तीकरण" वाले अंक से युवा होने के तौर पर मुझे बहुत सी नई-नई चीजें जानने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई भी देश शासकों या फिर राजनीतिक हस्तक्षेपों से आगे नही बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है अपने देश के युवाओं की ऊर्जा से, उनके समर्पण से, उनके सशक्तीकरण से और उनके परिवर्तन की जिद से।

इस अंक में युवाओं को अवगत कराया गया है कि वे सरकार की नीतियों व योजनाओं से जुड़ कर अपना व अपने देश का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। केवल शहर के युवाओं के विकास से ही नही अपितु गांवों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर के युवाओं का विकास होने से ही सम्पूर्ण देश का विकास होगा। अगर किसी भी क्षेत्र का युवा विकास की दौड़ में पीछे रह गया तो हमारे देश का भविष्य भी पीछे रह जाएगा। भारत विश्व का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। अत: हमें इसको अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। भारत की कुल आबादी में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग वालों की हिस्सेदारी 27.5 प्रतिशत है, जिससे भारत का जनांकिकीय खाका बहुत ही अनुकूल बन जाता है। युवा शक्ति अद्भुत होती है। बस आवश्यकता होती है अदम्य विश्वास की।

अगले माह से जीएसटी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पूरे देश मे लागू होने वाली है। ऐसे में इस मासिक अंक में जीएसटी की पूरी जानकारी दी गई है। जो युवाओं के साथ-साथ सभी के लिए जानना अति आवश्यक है।

– रोहित सिंह
भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)

भारत मानव जाति के विकास का उद्गम स्थल है: मार्क ट्वैन

योजना का मई, 2017 अंक पढ़ा। अंक से भारत के परिवर्तित होते स्वरूप के सन्दर्भ में जानकारी मिली। निस्संदेह भारत आज़ादी के बाद से निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहा है। भारत सरकार ने 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से योजनाओं के निर्माण के लिए 15 मार्च, 1950 को एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन किया था। इसके बाद 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किया। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। संघ सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याण के अनेकों कार्यों को कर रही हैं जिससे राष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर हैं।

भारत सरकार रोजगार सृजन के उद्देश्य से मनरेगा कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। भारत सरकार ने सरकार द्वारा लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक सरकारी कार्यालयों, अनुदान प्राप्त कार्यालयों से सूचना मांग सकता है। यह अधिनियम

प्रशासन के स्वरूप में निखार ला रहा है क्योंकि इससे अधिकारियों की निरंकुशता, अकर्मण्यता, लालफीताशाही पर लगाम लग सका है। साथ ही इस अधिनियम से लोकतंत्र के स्वरूप में भी निखार आ रहा है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि वर्ष 1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद से भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत की महत्ता को स्पष्ट करते हुए मार्क ट्वैन ने कहा है कि "भारत मानव जाति के विकास का उद्गम स्थल तथा मानव बोली का जन्म स्थान है और साथ ही साथ यह देश गाथाओं और प्रचलित परम्पराओं का कर्मस्थल तथा इतिहास का जनक है। केवल भारत में ही मानव इतिहास की सबसे मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री खजाने के रूप में सहेजी गई है।"

– अमित कुमार गुप्ता
रामपुर नौसहन, हाजीपुर
वैशाली, बिहार

कई रोचक जानकारियां मिलती हैं योजना पत्रिका से

बदलता भारत पर आधारित मई, 2017 का अंक पढ़ा, जिससे भारत के संबंध में कई रोचक जानकारियां मिलीं। मैं प्रकाशन मंत्रालय को समर्पित इस मासिक पत्रिका का नियमित अध्ययन विगत एक वर्ष से कर रही हूं। भारत सरकार द्वारा 8 नवम्बर, 2016 को विमुद्रीकरण किया गया जिसके बाद देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला और देश की अर्थव्यवस्था नगदरहित अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हुई है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को हासिल कर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार व राज्य सरकारें इस बात को बखूबी समझती हैं कि बिना आधी आबादी के विकास के तरक्की नहीं की सकती है। इसलिए सरकारें महिलाओं के विकास के लिए अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं।

भारत सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना 'उज्ज्वला' योजना का शुभारम्भ 1 मई, 2016 को किया है। संघ सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नया सवेरा, नई मंजिल, नई उड़ान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना सहित अनेक योजनाओं को संचालित कर रही हैं। साथ ही सरकार ने एक अन्य कार्यक्रम 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत भी की है। यह कार्यक्रम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करता है। इसके साथ-साथ सरकार ने कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यह अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

– खुशबू कुमारी
हाजीपुर, वैशाली, बिहार

नई दिशा में बदलता भारत

मई 2017 योजना पत्रिका का केंद्र *बदलता भारत* रहा, जिसे पढ़ने के बाद बदलते भारत के विभिन्न क्षेत्रों व पहलुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। साथ ही भारत में बदलाव की कितनी आवश्यकता है तथा इस दिशा में प्रशासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। *बदलता भारत* क्या खूब सोचा गया विषय है।

हम सब इस बात को तो सुनते आए हैं कि परिवर्तन (बदलाव) जीवन का नियम है अर्थात् कोई भी दशा, दिशा, व्यक्ति, वस्तु एक जगह स्थिर नहीं रहती बदलाव जीवन की गतिविधियों का अहम हिस्सा है तथा आवश्यक भी। अर्थात् बदलता भारत विश्व में अपनी विशेष भूमिका कैसे सुनिश्चित कर रहा है इस ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

योजना के इस अंक में बदलते भारत में जो-जो तत्व भूमिका निभा रहे हैं तथा भारत के जिन-जिन क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है उन विषयों को भी शामिल किया गया है। विमुद्रीकरण के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया गया तथा जिसके लिए नई तकनीकों को शुरू किया गया। सरकार ने नकदरहित लेन-देन को बढ़ावा देने की दिशा में जो कदम उठाए उनका उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा इस अंक का विशेष आलेख *स्वच्छ भारत मिशन* रहा जिसमें सरकार द्वारा स्वच्छता को लेकर जो ठोस कदम उठाए गए उनका वर्णन किया गया तथा भारत को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने स्वच्छता के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई सबके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाठकों तक पहुंचाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाएं तथा 'दीनदयाल अंत्योदय योजना' जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण प्राप्त करवाती है। ऐसी जानकारी भी लेखों में दी गई। मुख्य तौर पर बदलते भारत के इस अंक में हर विषय पर पाठकों की जानकारी बढ़े इस बात का ध्यान रखा गया है तथा कृषि, डिजिटल समाज, पारदर्शी अर्थव्यवस्था, मानव विकास जैसे महत्वपवूर्ण विषयों पर फोकस किया गया है।

– लक्ष्मी
बुद्ध विहार, इन्द्रपुरी,
नई दिल्ली

युवा भारत के युवा सपने

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। युवा ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है। अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न है युवाओं को कैसे जिम्मेदारियां दी जाए ताकि अपनी ऊर्जा और शक्ति को देश के हित में लगा सके। अभी युवाओं के सामने सबसे बड़ी चिंता रोजगार की है। अपनी योग्यताओं और कुशलता के अनुसार रोजगार प्राप्त होगा या नहीं लेकिन इतनी बड़ी युवा आबादी को रोजगार देना भले ही सरकारों के लिए चुनौति हो लेकिन उपाय होना भी जरूरी है। वर्तमान संदर्भ में युवाओं के जीवन का हर पहलू प्रतियोगी परीक्षाओं के समीकरण में उलझ गया है।

आशा और निराशा के बीच में जीवन झूल रहा है और समाज के भीतर भी ऐसी अवध रणाएं मजबूत हो रही है। रोजगार मिलना मान-सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है और दूसरी तरफ जहां देश विरोधी ताकतों का जोर बढ़ रहा है आतंकवाद, नक्सलवाद, नशा तस्करी। पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा उनका आसान शिकार बन सकते हैं। ऐसे में युवा भारत के युवा सपनों का क्या होगा? स्थिति गंभीर है। मशहूर पंजाबी कवि पाश ने तभी तो कहा है- *सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना।*

– शेर सिंह
धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिये प्रेरणादायक कॉलम।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट: www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 59

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-643/3/2017

संपादकीय

सामाजिक सुरक्षा का प्रण

भारत के जनांकिकीय लाभांश के बारे में हर ओर बहुत बातें हो रही हैं। इस बात पर बहस चल रही है कि भारत की बढ़ती हुई युवा आबादी भारत को कितनी जल्दी विश्व का आर्थिक अगुआ बना देगी या रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण वही युवा आबादी अर्थव्यवस्था पर कितना बोझ बन सकती है।

जनांकिकी लाभांश पर इस हो-हल्ले के बीच ऐसा लगता है कि हमारे योजनाकारों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक विचारकों को यह अहम बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में बुजुर्गों की आबादी भी बढ़ रही है। अनुमान है कि 2026 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 17.3 करोड़ हो जाएगी। इस आबादी का बड़ा हिस्सा गरीब, वंचित और महिला वर्ग से आएगा, जिसे किसी न किसी प्रकार के वित्तीय एवं मनोवैज्ञानिक सहारे की आवश्यकता होगी। कुछ और संवेदनशील वर्ग जैसे महिला, दिव्यांग, हाशिये पर पड़े, असंगठित श्रमिक भी हैं, जिन्हें जीवनयापन के लिए सरकारी सहायता चाहिए। सामाजिक सुरक्षा ऐसा प्रण है, जो समाज के इन संवेदनशील वर्गों को सहायता का वचन देता है, जिसे कोई भी लोकतांत्रिक सरकार न तो तोड़ सकती है और न ही तोड़ना चाहिए। सौभाग्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 43 में आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के निमित्त निर्देश दिए थे और एक के बाद एक सरकारों ने इस अनुच्छेद की भावना का पूरा ध्यान रखा है।

इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जैसी योजनाओं से बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन सुनिश्चित थी और जो सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण का मुख्य कारण भी थी, लेकिन निजी क्षेत्र के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को नौकरी के दौरान की गई बचत पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसका मतलब था कि सेवानिवृत्ति के बाद यदि बच्चों की शिक्षा या बेटियों के विवाह जैसे खर्च उठाने पड़ते तो बचत में तगड़ी सेंध लग जाती और कर्मचारी के पास दैनिक खर्चों के लिए, स्वास्थ्य पर खर्च आदि के लिए न के बराबर धन बचता। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, स्वाबलंबन जैसी योजनाएं आरंभ कीं ताकि सेवानिवृत्ति के बाद लगातार आय सुनिश्चित हो सके। खेती ऐसा नुकसानदेह व्यवसाय है, जिसमें फसल अच्छी या खराब होना मौसम के मिजाज पर, पानी मिलने या नहीं मिलने पर, कीड़ों पर निर्भर करता है। किसानों के कल्याण को आर्थिक स्थिरता की कुंजी जानकर सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, बीज, पशुओं के लिए चारा, उर्वरक आदि खरीदने जैसी विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाएं आरंभ कीं। इन सभी योजनाओं से देश के अन्नदाता किसान की सुरक्षा सुनिश्चित होने की अपेक्षा है। इसी से जुड़ा क्षेत्र है खाद्य सुरक्षा, अर्थात् ऐसे करोड़ों लोगों के लिए अन्न सुनिश्चित करना, जो बाजार मूल्य पर अनाज और दालें नहीं खरीद सकते। बुनियादी खाद्य उत्पाद रियायती अर्थात् सब्सिडीयुक्त मूल्य पर उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई। इस प्रणाली के लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचें, यह सुनिश्चित करने के लिए अब इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से जोड़ दिया गया है।

आबादी के अन्य कमजोर वर्गों जैसे दिव्यांगों, महिलाओं, हाशिये के वर्गों तथा असंगठित वर्गों का भी विभिन्न सरकारी योजनाओं में ध्यान रखा गया है, जैसे दिव्यांगों को राष्ट्र निर्माण में बराबर के अवसर प्रदान करने वाला *इनक्लूसिव इंडिया* कार्यक्रम और अल्पसंख्यकों और हाशिये के वर्गों के लिए *नई मंजिल, उस्ताद और नई रोशनी*। सरकार ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक कल्याण के लिए संहिता लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे असंगठित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा मिलने की संभावना है। लड़कियों को शिक्षा की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* और *सुकन्या समृद्धि* योजनाएं लाई गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भवती तथा दुग्धपान कराने वाली स्त्रियों के लिए *मातृत्व लाभ कार्यक्रम* को मंजूरी दे दी है। विभिन्न कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी आरंभ की हैं।

लोकतांत्रिक सरकार का यह दर्शन सर्वविदित है कि वह अपनी जनता की समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकती। अपने कमजोर वर्गों की समस्याओं का समाधान करना किसी भी देश की सरकार का कर्तव्य है। इसीलिए सुशासन में सामाजिक सुरक्षा आवश्यक तत्व है। जॉन एफ. केनेडी ने कहा था, ''यदि कोई स्वतंत्र समाज ढेर सारे गरीबों की मदद नही कर सकता, तो वह गिने-चुने अमीरों को भी नहीं बचा पाएगा।'' गरीबों के तथा गरीबों के लिए शासन में विश्वास रखने वाली सरकार को कमजोर या संवेदनशील वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें अमल में लाने ही होंगे। ❑

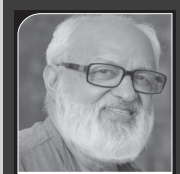

You Deserve the Best...
IAS
GS World
PCS
Committed to Excellence
ISO 9001 : 2008 Certified
Distance Learning Programme
30 Booklets ₹ 12,500/-
सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)
M.D.: Niraj SIngh
IAS : 2017-18
Divyasen Singh (Co-ordinator)
Pro. Pushpesh Pant
Manikant Singh
Alok Ranjan
Rameshwar
Dr. Abhishek
Dr. V. K. Trivedi
Dr. Manjesh Kumar
Dr. S.S. Pandey
सामान्य अध्ययन
दिल्ली केन्द्र
Deepak Kumar
New Foundation Batch
20 JULY 06:30 PM
JULY 08:30 AM 26
इलाहाबाद केन्द्र
11 JULY 11:30 AM
Complete Prepration for
IAS/PCS
GS Foundation Batch
25 JULY 8:00 AM
लखनऊ केन्द्र
सामान्य अध्ययन
Gateway Batch/ UP Special
18 JULY 8:30 AM / 6:00 PM
जयपुर केन्द्र
Complete prepration for
IAS/RAS Foundation Batch
11 JULY 8:30 AM / 5:00 PM
DELHI CENTRE
705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27658013, 7042772062/63
ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579
LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow
Ph. : 0522-4003197, 8756450894
JAIPUR CENTRE
Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr, Near Mahesh Ngr Police Station,
Jaipur Ph. :7340020323, 7340020324
http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902
YH-684/1/2017

वृद्धजनों को सहारा

सुमति कुलकर्णी

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 104 मिलियन बुजुर्ग थे, और 2026 तक इनकी संख्या 173 मिलियन से ज्यादा होने की संभावना है। वर्ष 2000 से 2050 के बीच भारत की बुजुर्ग आबादी में 360 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इसके ठीक विपरीत इसमें सहयोग करने वालों का, जो अनुपात वर्ष 2001 में 8.4 था, वह 2011 में सिर्फ 7 रह गया था और इसके 2026 तक 5.2 रह जाने की आशंका है

सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य उन लोगों को जीविका उपलब्ध कराना है, जो काम नहीं कर सकते और स्थायी या गंभीर कारणों की वजह से अपनी आजीविका जुटाने में सक्षम नहीं हैं। अत्यधिक विकसित देशों (एमडीसी) में राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान जीवन-यापन से जुड़े मानकों का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि कम विकसित देशों (एलडीसी) के सामाजिक ताने-बाने में स्थायी तौर पर चली आ रही बेरोजगारी की समस्या और अत्यधिक नुकसान का स्तर इतना दयनीय है कि वहां अत्यधिक विकसित देशों में लागू सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का जोखिम उठा पाना संभव नहीं हो पाता है।

एलडीसी में सामाजिक सुरक्षा की आर्थिक व्यवहार्यता एक महत्वपूर्ण बाधा है। यहां तक कि विकसित देश तो लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण सार्वजनिक पेंशन प्रणाली की स्थिरता से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और इसमें सहयोग करने वाले यानि कामकाजी आयु समूह की संख्या कम हो रही है। 21वीं सदी के मध्य तक इन देशों की एक-तिहाई जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर होने की संभावना है।

भारत जैसे विकासशील देशों में बुजुर्गों से जुड़े मुद्दों की प्रकृति गरीबी, बेरोजगारी, पर्याप्त अवसर न होने और बड़े स्तर पर अनौपचारिक कार्यक्षेत्र जैसे कारकों के कारण बहुत भिन्न हैं। हालांकि हाल ही में कम विकसित देशों में बदलती जनसांख्यिकी परिदृश्य ने दयनीय बुजुर्ग जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। बुजुर्गों की संख्या अब कुल जनसंख्या के 7 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है। वह परिस्थिति जो कुछ यूरोपीय देशों (फ्रांस और स्वीडन) में आज से 100-120 वर्षों में पैदा होगी, वह भारत, चीन और कुछ एशियाई देशों में अगले 40 वर्षों में बन सकती है, क्योंकि कम विकसित देशों में मृत्युदर में तेजी से कमी आ रही है।

बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा की समस्या

दुनिया की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा भारत में है। इसमें कुल आबादी के एक-तिहाई गरीब और बुजुर्गों की कुल संख्या का आठवां हिस्सा शामिल है। हाल तक, वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवार और वयस्क बच्चों को एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता था। लेकिन अब बुजुर्गों की सुरक्षा से जुड़े ये पारंपरिक स्रोत बुजुर्गों की लंबी उम्र, अन्य आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली का खत्म होना, महिलाओं के कामकाजी होने की वजह से घर पर देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी, बच्चों का अपनी निजी दुनिया में व्यस्त रहने जैसे कारणों के चलते अत्यधिक दबाव में आ गये हैं। यह समस्या गरीब बुजुर्गों के साथ और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि

लेखिका मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडिज (आईआईजीएस) के विकास अध्ययन विभाग की पूर्व कार्यालयीन निर्देशक और मुखिया रही हैं। जनसंख्या अध्ययन क्षेत्र में शोध और शिक्षण कर पांच दशकों से भी अधिक का अनुभव रखने वाली कुलकर्णी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 (एनएफएचएस-2) की अखिल भारतीय समन्वयक रही हैं और यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूनिसेफ, ओआरसी मैक्रो, यूएसए द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की सलाहकार भी रही हैं। उनके आलेख और व्याख्यान देश और विदेश की पत्र-पत्रिकाओं और सेमिनारों में प्रकाशित और प्रस्तुत हो चुके हैं। ईमेल: sumati2610@gmail.com

उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी अत्यधिक होती हैं और वह अपनी अजीविका के लिए कोई कार्य कर पाने में भी सक्षम नहीं होते हैं और उनके पास अक्सर अपनी कोई जमापूंजी भी नहीं होती है। वैश्वीकरण का एक अप्रत्याशित परिणाम गरीबों की उपेक्षा के रूप में सामने आया है, इसके अलावा गरीबी में वृद्धि जैसे मुद्दों ने बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले उपयुक्त लक्षित उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने इस दिशा में कुछ पहल की है लेकिन एमडीसी की तुलना में एक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की आर्थिक व्यवहार्यता भारत जैसे एलडीसी के लिए एक बड़ी बाधा है।

बीकेपीएआई सर्वे

हाल ही में, नई दिल्ली के यूएनएफपीए द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए 'भारत में बुजुर्ग जनसंख्या पर एक ज्ञानकोष का निर्माण' नामक परियोजना के एक हिस्से के तौर पर आर्थिक प्रगति संस्थान, नई दिल्ली, सामाजिक और आर्थिक बदलाव संस्थान, बेंगलुरू और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (मुंबई) ने मई-सितंबर 2011 के दौरान 'बुजुर्गों की स्थिति' पर एक सर्वे किया था।

इसमें भारत के सात प्रदेशों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु) के 8,329 परिवारों के 9,852 बुजुर्ग शामिल थे। इन प्रदेशों में बुजुर्गों की जनसंख्या का कुल प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।

इस सर्वे से उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए यह लेख निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने का प्रस्ताव रखता है-

- भारत में बुढ़ापे की सुरक्षा की समस्या का परिमाण
- सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लिए प्रमुख सरकारी पहल
- भारत सरकार की दो प्रमुख पेंशन योजनाओं का जागरुकता और उपयोग
- बुजुर्गों द्वारा योजनाओं का सीमित उपयोग
- वृद्धों के लिए यूनिवर्सल पेंशन योजना की व्यवहार्यता।

भारत में समस्या का परिमाण

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 104 मिलियन बुजुर्ग थे, और 2026 तक इनकी संख्या 173 मिलियन से ज्यादा होने की संभावना है। वर्ष 2000 से 2050 के बीच भारत की बुजुर्ग आबादी में 360 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इसके ठीक विपरीत इसमें सहयोग करने वालों का, जो अनुपात वर्ष 2001 में 8.4 था, वह 2011 में सिर्फ 7 रह गया था और इसके 2026 तक 5.2 रह जाने की आशंका है।

2050 तक 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 18.4 मिलियन तक बढ़ जाएगी। 60-64 वर्ष आयु की विधवा भारतीय महिलाओं का, जो प्रतिशत 44.5 है, वह 80 वर्ष की महिलाओं में 86.8 है। इसके विपरीत 60-64 के आयु वर्ग में दस में से एक पुरुष और 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों में एक तिहाई पुरुष विधुर हैं।

लगभग 45 प्रतिशत वृद्ध या तो बीपीएल परिवारों से हैं या वह हैं जो अंत्योदय कार्ड धारकों में आते हैं। एक-तिहाई बुजुर्ग ऐसे परिवारों से हैं, जिनका मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 1000 रुपये से कम है।

बीकेपीएआई सर्वे में प्रतिबिम्बित बुजुर्गों का परिमाण और भेद्यता

लगभग 45 प्रतिशत वृद्ध या तो बीपीएल परिवारों से हैं या वह हैं जो अंत्योदय कार्ड धारकों में आते हैं। एक-तिहाई बुजुर्ग ऐसे परिवारों से हैं, जिनका मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 1000 रुपये से कम है। कुल बुजुर्ग आबादी का दो-पांचवां हिस्सा है जिसका निजी आय का कोई स्रोत नहीं है। आधे से ज्यादा बुजुर्ग ऐसे हैं, जो आर्थिक रूप से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। अंत में, एक-चौथाई बुजुर्गों को आर्थिक सहायता की सख्त दरकार है, क्योंकि उनके पास सुरक्षा का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

कोई भी सटीकता के साथ कह सकता है कि लगभग 40 से 50 प्रतिशत बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं (यह अनुमान बीपीएल या पूरी तरह से आर्थिक रूप से निर्भर मानदंडों के प्रतिशत को लागू करने पर है) और लगभग 25 प्रतिशत के लिए, समस्या अधिक गंभीर है (क्योंकि इनके पास सबसे कम पैसा है और कोई संपत्ति नहीं है या किसी भी तरह का आर्थिक समर्थन नहीं है)।

बुजुर्ग महिलाएं पुरुषों की तुलना में खासकर विधवा बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक रूप से और भी बुरी स्थिति में हैं। इसके लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं-

(1) कोई आय का स्रोत न होना (पुरुष 26 प्रतिशत, महिलाएं 59 प्रतिशत),

(2) कोई संपत्ति नहीं (पुरुष 11 प्रतिशत, महिलाएं 34 प्रतिशत, विधवा 28 प्रतिशत, विधुर 14 प्रतिशत),

(3) आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर (पुरुष 33 प्रतिशत, महिलाएं 66 प्रतिशत)।

सौभाग्य से 70 प्रतिशत बुजुर्ग आबादी अपने व्यस्क बच्चों के साथ रहती है और सिर्फ 6 प्रतिशत ऐसे हैं, जो अकेले रहते हैं, लेकिन गरीब बुजुर्ग आबादी का एक तिहाई या तो अकेले रहता है या फिर अपने जीवनसाथी के साथ, लेकिन उन्हें सामाजिक सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रत्येक पांच बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं में से एक का मानना है कि राज्य को बुजुर्ग आयु वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षा और सहयोग का प्रावधान करना चाहिए।

सरकारी पहल

केंद्र और राज्य सरकारें बुजुर्गों को नकद सुरक्षा प्रदान कर रही हैं जैसे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुजुर्ग आय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और खाद्य सुरक्षा के तौर पर वस्तु और सेवाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा छूट, सुविधाएं और सेवाएं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही हैं। केरल में मजदूर कल्याण बोर्ड के लिए पेंशन योजना, तमिलनाडु पेंशन योजना, पश्चिम बंगाल में वृद्धश्री और सांझबाती योजना, ओडिशा में मधुबाबु पेंशन योजना, महाराष्ट्र में श्रावणबल और संजय गांधी महिला पेंशन योजना, पंजाब में अट्टा दाल योजना इत्यादि। कई पेंशन योजनाओं को अब आईजीएनओएपीएस या आईजीएनडब्ल्यूपीएस के साथ मिला दिया गया है।

आईजीएनओएपीएस

आईजीएनओएपीएस को जीएनओपीएएस के तौर पर 1995 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जिसके केंद्र में थे निराश्रित बुजुर्ग लोग। 2007 में इसका नाम बदलकर

आईजीएनओएपीएस कर दिया गया। अप्रैल 2011 में, 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 200 रुपये प्रति महीना और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया।

इसके लिए पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वितरित किया जाता है और इसमें 65 वर्ष की आयु (अब 60) से अधिक की बीपीएल आबादी के 50 प्रतिशत बुजुर्ग शामिल हैं। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

राज्यों के लिए संख्या की अंतिम सीमा और वित्तीय पात्रता अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सूत्र तैयार किये गये हैं:

संख्यात्मक अंतिम सीमा = 65 वर्ष और इससे अधिक उम्र की जनसंख्या का आधा राज्य का गरीबी अनुपात।

2008 तक लगभग 6.5 मिलियन बुजुर्ग इस योजना से लाभ ले चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2011 की नई राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत आईजीएनओएपीएस पेंशन राशि को प्रति महीना 1000 रुपये से बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

आईजीएनडब्ल्यूपीएस

2009 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आईजीएनडब्ल्यूपीएस 40-64 आयु वर्ग की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 200 रुपये प्रति माह की पेंशन देती है। 60 की उम्र के बाद वह आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पेंशन पाने की हकदार हो जाती हैं।

आईजीएनओएपीएस और आईजीएनडब्ल्यूपीएस के बारे में जागरुकता और इनकी उपयोगिता

हालांकि, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये योजना लक्षित जरूरतमंद बुजुर्गों तक पहुंचती हैं। बीकेपीएआई के मुताबिक आईजीएनओएपीएस और आईजीएनडब्ल्यूपीएस के बारे में सर्वे में शामिल बुजुर्गों में जागरुकता क्रमशः 79 प्रतिशत और 72 प्रतिशत है, लेकिन इनमें से मुश्किल से 13 प्रतिशत ही ऐसे हैं जिन्होंने आईजीएनओएपीएस के जरिये पेंशन लाभ लिया है और सिर्फ 20 प्रतिशत विधवा महिलाओं ने आईजीएनडब्ल्यूपीएस की पेंशन सुविधा का लाभ लिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों में जागरुकता पुरुषों में 81 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं में यह 71 प्रतिशत है, लेकिन मुश्किल से 22 प्रतिशत बुजुर्ग पुरुष ही ऐसे हैं, जिन्होंने इसका लाभ लिया है। यह प्रतिशत महिलाओं में मुश्किल से 15 प्रतिशत ही है। आईजीएनडब्ल्यूपीएस के बारे में 70 प्रतिशत बीपीएल बुजुर्ग विधवा महिलाएं जानती हैं, लेकिन 20 प्रतिशत ने ही इसका लाभ लिया है। सात राज्यों में यह स्थिति अलग-अलग है, लेकिन आईजीएनओएपीएस की उपयोगिता पंजाब, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है, जबकि आईजीएनडब्ल्यूपीएस की स्थिति ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में अच्छी है।

कारण और उपयोगिता

विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के संदर्भ में बीकेपीएआई सर्वे में एकत्र किए गए गुणात्मक आंकड़े और इसके अतिरिक्त किए गए कुछ अन्य छोटे सर्वे निम्नलिखित कारण सामने लाते हैं-

- अशिक्षित गरीब बुजुर्गों द्वारा अपनी पात्रता स्थिति को साबित करने के लिए पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, पंचायत सदस्यों द्वारा लिखित सिफारिश पत्र इत्यादि उपलब्ध कराने में मुश्किल सामने आना। इसकी वजह से रिश्वत, बिचौलिए, भ्रष्टाचार और जाति आधारित पक्षपात की स्थिति पैदा होती है।
- बीपीएल सूची की सटीकता, धोखाधड़ी और नकली मामलों के संबंध में समस्याएं
- पेंशन मिलने के इंतजार में लगने वाला लंबा समय
- अपर्याप्त पेंशन राशि
- योग्य लाभार्थियों की पहचान करने में असफल होने के कारण राज्यों को आवंटित धनराशि का उपयोग न हो पाना
- इन सीमाओं के बावजूद कुछ शोधकर्ताओं ने पेंशन योजनाओं के काम और प्रभाव के बारे में आशा व्यक्त की है। ओडिशा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने योग्य लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए बेहतर जांच तंत्र विकसित किया है।

एक अनुमान के अनुसार भारत में 6 मिलियन से ज्यादा बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं और लगभग तीन मिलियन विधवा पेंशन का लाभ उठा रही हैं। एनसीईआर दिल्ली और अमेरिका की *यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड* के एक सर्वे के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के दायरे में सात प्रतिशत से ज्यादा लोग हैं, यानि 5 मिलियन लोग इसका लाभ ले रहे हैं।

यूनिवर्सल पेंशन योजना की मांग

इन समस्याओं से निपटने के लिए पेंशन परिषद् ने 55 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और 50 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह की पेंशन या फिर न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, की मांग रखी है।

सभी बुजुर्ग जिनकी आय आयकर भुगतान की सीमा से अधिक है और जिन्हें

- वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता तथा समर्थित जीवन यापन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए **राष्ट्रीय वयोश्री योजना** शुरू की गई।
  - पात्र वरिष्ठ नागरिकों को वाकिंग स्टीक, कोहनी सहायक, वाकर/क्रच, ट्रायपॉड/क्वापॉड, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम दंत व चश्मे प्रदान किये जाते हैं।
  - 484 करोड़ रुपये की यह योजना अगले तीन वर्षों में 260 जिलों में 5.56 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।

484 करोड़ की इस योजना से 5.56 लाख गरीबी रेखा वाले वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित।

अन्य स्रोतों से उपयुक्त प्रस्तावित राशि से ज्यादा पेंशन प्राप्त हो रही है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

साधारण गणना से पता चलता है कि सभी बुजुर्गों यानि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों को प्रति माह 2000 रुपये भुगतान करने का कुल खर्च लगभग 24,929 करोड़ रुपये होगा। वर्तमान पेंशन योजनाओं के व्यय को बचाने से इसका वास्तविक खर्च कम होगा। यह ध्यान देने की जरूरत है कि लाभार्थियों की संख्या और पेंशन की राशि बढ़ाने से सरकारी संसाधनों पर दबाव और बोझ बढ़ेगा और इसका नतीजा कर वृद्धि के रूप में सामने आ सकता है या फिर महंगाई बढ़ सकती है, जिसका बुजुर्गों पर भी बुरा प्रभाव होगा। इसलिए, उपयुक्त बहिष्करण मानदंड का चुनाव महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित सार्वभौमिक पेंशन योजना में आयकरदाताओं को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश बुजुर्गों के मामले में इस तरह के मानदंड तय करना बहुत मुश्किल है।

हालांकि आय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन यह स्वास्थ्य, सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी प्रत्यक्ष सेवाओं का विकल्प नहीं हो सकती, जो गरीबों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं।

सरकार द्वारा हाल में उठाए गये कदम

वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, पीएम जन सुरक्षा बीमा योजना की उन योजनाओं से कोई तुलना नहीं है, जिन पर पहले चर्चा की जा चुकी है, क्योंकि ये वे योजनाएं नहीं हैं, जिन्हें खासतौर पर बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। हालांकि निश्चित रूप से भविष्य की बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा के लिए ये जरूरी हैं।

एपीवाई, एक पेंशन योजना है। यह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को मासिक एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये की पेंशन सुनिश्चित करती है। सरकार इसमें लाभार्थी के सहयोग का 50 प्रतिशत देती है। सिर्फ गैर-आयकर दाता, जो किसी अन्य पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। सरकार पांच वर्ष के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए सहयोग करेगी, जो इसमें एक जून से 31 दिसंबर, 2015 तक शामिल हुए हैं।

जन सुरक्षा बीमा योजना को 2015 में शुरू किया गया था। यह सरकारी योजना है, जो दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराती है। 18-70 आयु वर्ग के लोग, जिनका बैंक खाता है, इससे जुड़ सकते हैं। उन्हें सिर्फ वार्षिक 12 रुपये प्रीमियम देने की जरूरत है। यह स्वत: ही उनके खाते से चला जाता है या फिर नकद भी दिया जा सकता है। ऐसी दुर्घटनाएं, जिनमें मौत हो जाती है या व्यक्ति पूरी तरह अक्षम हो जाता है दो लाख रुपये दिए जाने की व्यवस्था है, जबकि ऐसी दुर्घटना, जिसमें कम क्षति हो, उसमें एक लाख रुपये दिए जाते हैं। यह योजना 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ी है।

जन धन योजना बैंक खाता धारकों के लिए विभिन्न आर्थिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। इस योजना के अंतर्गत खाते जीरो बैलेंस पर भी खोले जा सकते हैं। इस खाते को खोलने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यह योजना दुर्घटना बीमा एक लाख रुपये और जीवन बीमा 30,000 रुपये तक देती है, जो कि खाताधारक की मृत्यु के बाद देय होता है। फरवरी 2017 तक 27 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और 665 बिलियन जमा किया जा चुका है। इस योजना की आलोचना भी की गई है, क्योंकि इसमें कई नकली खाते खुले हैं। इससे सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े बैंकों पर भी अत्यधिक दबाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू की गयी थी। यह जीवन बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराती है, इसमें पॉलिसी धारक की मौत के बाद उसके परिवार को दो लाख रुपये की राशि मिलती है। 18-50 आयु वर्ग के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें हर वर्ष 31 मई से पहले 330 रुपये का प्रीमियम दिया जाता है। इन योजनाओं के प्रभाव का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना इस समय जल्दबाजी होगी।

दूसरों की तरह ही अन्य बुजुर्ग भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक मुद्दा गरीबों, पूरी तरह से निर्भर, कमजोर बुजुर्गों की सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है, जिनकी कोई आय या संपत्ति नहीं है। इसमें सही मानदंडो के जरिये जरूरतमंदों की पहचान करना, आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण, कुशल वितरण प्रणाली प्रमुख चुनौतियां हैं। अंतत: यह ध्यान दिलाए जाने की जरूरत है कि किसी भी योजना में , जहां पैसा शामिल है, यदि वहां सही *जांच तंत्र* न हो तो भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी भी शामिल हो जाती है। ❑

स्किल फॉर लाइफ: सेव ए लाइफ

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए *स्किल फॉर लाइफ, सेव ए लाइफ* पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस पहल के तहत पेशेवरों के साथ ही आम जनता में स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट दक्षताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना है। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू) और एम्स, दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है।

भारत में प्रति दिन सड़कों पर 1,324 दुर्घटनाएं होती हैं और हर 4 मिनट में एक जीवन समाप्त हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की शुरू के 10 मिनट में सहायता देने का उपाय हो तो उसकी जान बचाई जा सकती है। *स्किल फॉर लाइफ, सेव ए लाइफ* कार्यक्रम के तहत पेशेवरों के साथ ही आम जनता के लिए देश भर के सभी जिलों में स्थित केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में पहला उत्तरदायित्व पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को किसी आपात स्थिति में प्राथमिक और शुरुआती देखभाल करने के योग्य बनाना है। इस अभिनव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित और कुशल कर्मी आपात स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में किसी का जीवन बचाने में समर्थ होंगे। ❑

दूसरी पारी की सुरक्षित तैयारी

बद्री सिंह भंडारी

बुजुर्गों से जुड़ी आय के लिए प्रावधान सामाजिक सुरक्षा के संजाल का अहम हिस्सा है। यह बुढ़ापे की अवस्था में गरीबी संबंधी जोखिम कम करने का तंत्र मुहैया कराता है। साथ ही, यह रिटायरमेंट के बाद जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आजीवन खर्च के लिए साधन भी मुहैया कराता है। लोगों के लिए पेंशन सिस्टम आर्थिक तौर पर बेहतर टिकाऊ होना चाहिए, ताकि तमाम तरह के काम से जुड़े और सभी आय वर्ग के लोगों तक इसकी पहुंच हो सके

भारत में पारंपरिक तौर पर बुजुर्गों के लिए आय की सुरक्षा संयुक्त परिवार की प्रथा के जरिये मुहैया कराई जाती रही है। हालांकि, पेशेगत बदलावों, शहरीकरण और एकल परिवार के उभार के कारण पारिवारिक सहयोग की पारंपरिक प्रणाली बिखर रही है। साथ ही, जन्म और मृत्यु दर दोनों में धीरे-धीरे कमी आ रही है। चिकित्सा विज्ञान के आगे बढ़ने और आय के स्तर में बढ़ोतरी से जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है। औसत आयु बढ़ने के साथ-साथ लोगों की रिटायरमेंट के बाद खर्च की अवधि भी पिछले कुछ दशकों के मुकाबले बढ़ गई है। बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियां और पहले से तय पेंशन सिस्टम का वित्तीय बोझ ज्यादातर देशों में पेंशन के क्षेत्र में सुधार की अहम वजहें हैं।

पेंशन या भविष्य निधि या रिटायरमेंट फंड बुजुर्गों की आय सुरक्षा के अलग-अलग नाम हैं। ऐतिहासिक तौर पर इस तरह की सुविधाएं आमतौर पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों (मुख्यतौर पर सरकारी कर्मचारियों), सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों और प्राइवेट सेक्टर की कुछ बड़ी इकाइयां देती हैं। वर्ष 2004 के पेंशन सुधार से पहले भारत में पेंशन का परिदृश्य कुछ इस तरह था, जिसमें पेंशन, भविष्य निधि और रिटायरमेंट प्लान शामिल थे:

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों, दिव्यांगों या विधवाओं को सुरक्षा का न्यूनतम स्तर मुहैया कराने के लिए टैक्स की फंडिंग वाली सामाजिक पेंशन।
- केंद्रीय नागरिक सेवा पेंशन स्कीम 1972 भुगतान के आधार पर तय फायदे वाली योजना है, जो 2004 से पहले नौकरी शुरू करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इसी तरह की स्कीम राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक/बीमा कंपनियों आदि के कर्मचारियों के लिए भी है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ईपीएफ और अन्य एक्ट, 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) की देखरेख वैसी सरकारी और प्राइवेट इकाइयों के लिए करता है, जहां 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।
- वैधानिक पेशेगत भविष्य निधि मसलन कोयला खदान भविष्य निधि, नाविकों की भविष्य निधि, असम चाय बागान भविष्य निधि आदि।
- बैंकों और डाकघरों के जरिये भारत सरकार की तरफ से और बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किए गए रिटायरमेंट पेंशन प्लान। इस तरह का प्लान कोई भी शख्स स्वैच्छिक आधार पर ले सकता है और ये मुख्यतौर पर टैक्स छूट आदि से प्रेरित होते हैं।

भारत में पेंशन सुधार की जरूरत लोक सेवाओं के बजट में कमी, तय फायदे वाले पहलुओं, भुगतान के आधार पर पेंशन सिस्टम के कारण पैदा हुई। दूसरी तरफ, बुजुर्गों की

लेखक वर्तमान में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के सर्वकालिक (इकोनॉमिक्स) सदस्य हैं। उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धों के लिए आर्थिक सुरक्षा के वे सभी उपाय करने हैं जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पीएफआरडीए ज्वाइन करने से पहले वे भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्षों तक अपनी कुशल सेवा दे चुके हैं। ब्रिटिश काउंसिल, डब्ल्यूएचओ, एडीबी, आईएमएफ द्वारा प्रायोजित देश और विदेश के विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों में वे भागीदारी कर चुके हैं। वे इन सेमिनारों और सम्मेलनों में कृषि, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास पर अपना पेपर भी प्रस्तुत कर चुके हैं। ईमेल: badris.bhandari@pfrda.org.in

आय सुरक्षा का दायरा बड़े असगंठित क्षेत्र तक बढ़ाने की जरूरत भी एक वजह है। कामकाजी आबादी में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की हिस्सेदारी 84 फीसदी से भी ज्यादा है। पेंशन सिस्टम में बदलाव के लिए कई विशेषज्ञ समितियों मसलन बुजुर्ग सामाजिक और आय सुरक्षा, भट्टाचार्य, रंगाचारी आदि की सिफारिशों के आधार पर भारत ने पुराने पेंशन सिस्टम से तय योगदान वाले पेंशन सिस्टम में प्रवेश किया, जिसे शुरू में न्यू पेंशन स्कीम कहा गया। अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) कर दिया है। एनपीएस तय योगदान वाला पेंशन सिस्टम है, जिसका संचालन और नियमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), भारत द्वारा किया जाता है।

एनपीएस के शुरू में 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (सैन्य बलों को छोड़कर) के लिए जरूरी आधार पर पेश किया गया और बाद में इसे संबंधित राज्यों की अधिसूचित तारीखों से इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू किया गया। आखिरकार, 1 मई 2009 से इसे सरकारी और निजी दोनों, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले समेत सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू कर दिया गया। अब 18 से 60 वर्ष की उम्र तक के सभी भारतीय नागरिकों के लिए यह स्कीम उपलब्ध है और वे अपने सक्रिय कामकाजी जीवन में नियमित तौर पर इसमें निवेश कर सकते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद वे पेंशन पा सकें। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस जरूरी है। उनके वेतन का 10 फीसदी (वेतन और महंगाई भत्ता) और नियोक्ता की तरफ से इतनी ही राशि पेंशन खाते में जमा करना जरूरी है, जिसे कर्मचारी का परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (पीआरएएन) भी कहा जाता है।

स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस में निवेश करने वाले कम से कम 1,000 रुपये एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, जिसे खुद की आय के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। एनपीएस के तहत इकट्ठा रकम को पीएफआरडीए की तरफ से तय निवेश दिशा-निर्देशों के मुताबिक अलग-अलग तरह की वित्तीय संपत्तियों में निवेश किया जाता है। मसलन सरकारी सिक्योरिटीज, डिबेंचर (ऋणपत्र), बॉन्ड के साथ-साथ स्थापित कंपनियों के शेयरों में भी। लोगों के पास पेंशन फंड की श्रेणी चुनने का विकल्प होता है और वे अपनी जोखिम की क्षमता के हिसाब से निवेश का मिला-जुला ढांचा तय (इक्विटी, कंपनियों के बॉन्ड, डिबेंचर, सरकारी सिक्योरिटीज) करते हैं। संपत्तियों के वर्ग के दायरे में निजी सिक्योरिटीज का चुनाव पेंशन फंड मैनेजर करते हैं।

एनपीएस का ढांचा अलग-अलग और खुला है, जहां ग्राहकों को हासिल करने और रजिस्ट्रेशन, निश्चित अवधि के तहत पेंशन संबंधी योगदान, निजी पेंशन संबंधी ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना, ऐसे फंडों को इकट्ठा किया जाना, वित्तीय बाजारों में वित्तीय सिक्योरिटीज में फंड की तैनाती, सिक्योरिटीज के रिकॉर्ड का मेंटनेंस जैसी अलग-अलग गतिविधियां अलग-अलग इकाइयों को सौंपी जाती हैं। इन इकाइयों का चुनाव उनके विशेषज्ञता और संबंधित क्षेत्र की जानकारी के आधार पर किया जाता है। इसमें कई सरकारी दफ्तरों की भूमिका होती है, जो सरकारी कर्मचारियों, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अलग-अलग तरह की एनपीएस संबंधी गतिविधियां को अंजाम देते हैं।

इन्हें *प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस* (पीओपी) के नाम से जाना जाता है, जो एनपीएस खाते खोलने, ग्राहकों से फंड प्राप्त करने और उसे एनपीएस ट्रस्ट खाते के लिए ट्रस्ट बैंकों को भेजने के लिए अधिकृत होते हैं। एनपीएस ट्रस्ट खाता पेंशन संबंधी ग्राहकों की संपत्तियों, सिक्योरिटीज को रखता है। केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी (सीआरए) हर ग्राहक के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है और एनपीएस से जुड़े अलग-अलग कामकाजों के बीच समन्वय बिठाती है। सीआरए पेंशन से जुड़े सभी ग्राहकों को परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (पीआरएएन) जारी करती है। साथ ही, एजेंसी जारी किये ऐसे सभी नंबर का डेटाबेस भी रखती है। एजेंसी एनपीएस ट्रस्ट और एनपीएस से जुड़ी मध्यस्थ एजेंसियों मसलन सरकारी नोडल ऑफिसों, पीएओ, डीडीओ, रिटायरमेंट सलाहकार, ट्रस्टी बैंक, पेंशन फंड, कस्टोडियन आदि के बीच कड़ी का काम करती है। एनपीएस के लिए रिकॉर्ड रखने की केंद्रीकृत व्यवस्था से किसी शख्स का पेंशन खाता देशभर के किसी भी हिस्से, किसी भी काम आदि में स्थानांतरित किया जा सकता है।

➔ जन सुरक्षा योजना से 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:

- हर साल ₹ 12 खर्च करके ₹ 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाता है
- करीब 13 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:

- हर साल सिर्फ ₹ 330 में ₹ 2 लाख का जीवन बीमा
- 3 करोड़ से ज्यादा लोग यह बीमा करा चुके हैं

अटल पेंशन योजना:

- 38.23 लाख लोग इस बीमा योजना से जुड़ चुके हैं
- ₹ 1344 करोड़ बांटे गए

एनपीएस का प्रबंधन उच्च तकनीक से संचालित है। सूचनाओं और फंड का आदान-प्रदान इलेक्ट्रॉनिक माहौल में किया जाता है, जिससे इसमें रफ्तार, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित किया जा सके। पेंशन फंड पीएफआरडीए के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और ये पेंशनधारकों के हितों में बीमा नियामक पीएफआरडीए की तरफ से तय दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ग्राहकों के पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए अधिकृत होते हैं।

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कोई शख्स डीडीओ या पीएओ (पे एंड एकाउंट्स अधिकारी) के जरिये एनपीएस खाता खुलवा सकता है। निजी कंपनियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी पीओपी के जरिये एनपीएस खाता खुलवा सकते हैं। पीओपी में सरकारी और प्राइवेट बैंक, डाकघर, कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाइयां शामिल हैं, जिनके देशभर में 60,000 से भी ज्यादा दफ्तर हैं। इसके लिए आवेदक को रजिस्ट्रेशन फॉर्म (एनएसआरएफ 1) फॉर्म भरना होगा और इसे केवाईसी दस्तावेजों (पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र) के साथ पीओपी को सौंपना होगा। कुछ ही पीओपी के कार्यालय या प्रतिनिधि कार्यालय विदेश में हैं। पीओपी की पूरी लिस्ट www.pfrda.org.in और www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध है। एनपीएस की वेबसाइट के जरिये भी एनपीएस खाता खोला जा सकता है। एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट www.npstrust.org.in के जरिये ऐसा किया जा सकता है। वेबसाइट पर कोई शख्स अपना आधार, पैन या बैंक एकाउंट को केवाईसी दस्तावेज की तरह पेश कर अपना एनपीएस खाता खोल सकता है। इसके अलावा, कुछ पीओपी अपनी वेबसाइट पर भी ग्राहकों के लिए इस तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं। एनपीएस से जुड़ने के बाद ग्राहक को प्राण (पीआरएन) मिलता है और इसी नंबर पर उनके हर योगदान को जमा किया जाता है इसे जगह और रोजगार के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। पेंशन योजना से जुड़ने वाले मोबाइल एप समेत ऑनलाइन भी अपने खाते की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की खातिर एनपीएस को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिसंबर 2003 में एक अधिसूचना जारी की। इसके संचालन के लिए जनवरी 2004 में कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स (सीजीए) की तरफ से कुछ नियम जारी किये गये। जनवरी 2004 से मार्च 2008 के बीच कर्मचारियों के एनपीएस योगदान को सार्वजनिक खाते में रखा गया और इसकी देखरेख केंद्रीय पेंशन एकाउंटिंग कार्यालय के जरिये की गई। इन फंडों के मार्केट में निवेश के लिए मार्च 2008 के बाद बीमा नियामक की तरफ से नियुक्त ट्रस्टी बैंक को भेज दिया गया। यह निवेश शुरू में सरकार की तरफ से तय दिशा-निर्देशों के तहत किया जाना था। इन फंडों को ट्रस्टी बैंक को सौंपे जाने तक सरकार ने इस पर 8 फीसदी वार्षिक ब्याज दिया। कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स के कार्यालय, एक्सपेंडिचर विभाग ने एनपीएस योगदान को सीआरए और ट्रस्टी बैंकों को भेजने के लिए सितंबर 2008 में विस्तार से दिशा-निर्देश जारी करने के अलावा इसके लिए समय-सीमा भी तय की थी। इसी तरह, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को सितंबर 2009 में दिशा-निर्देश जारी किया।

एनपीएस दो तरह के खातों की पेशकश करता है: टीयर-1 और टीयर-2, टीयर-1 खाता पेंशन खाता है और टीयर-2 खाता खोलने के लिए यह जरूरी है। टीयर-2 खाता वैकल्पिक निवेश योजना है। टीयर-1 खाता आंशिक निकासी की सुविधा देता है। इसके तहत खाताधारक अपने योगदान का 25 फीसदी हिस्सा उच्च शिक्षा, बच्चे की शादी, घर की खरीद, निर्माण, खुद व दंपति, बच्चे और निर्भर माता-पिता से जुड़ी खास बीमारियों के इलाज की खातिर निकाल सकते हैं। दुर्घटना या गंभीर बीमारियों की हालत में पेंशन फंड की आंशिक निकासी की जा सकती है। पेंशन इकट्ठा होने के दौरान ज्यादा से ज्यादा 3 बार निकासी की इजाजत होती है। पहली निकासी की इजाजत एनपीएस की शुरुआत की तारीख से 3 वर्ष पूरा होने के बाद मिलती है। टीयर-1 खाते से आंशिक निकासी पूरी तरह से टैक्स छूट के दायरे में है। टीयर-2 एकाउंट स्वैच्छिक बचत की सुविधा मुहैया कराता है और इसमें फंडों के जमा और निकासी की पूरी सहूलियत होती है। हालांकि, टीयर-2 में फंडों के जमा और निकासी पर टैक्स कटौती नहीं है।

रिटायरमेंट या 60 वर्ष पूरा करने पर पेंशनधारक को पीआरएएन में इकट्ठा राशि का 40 फीसदी पेंशन के लिए रखना होता है, जबकि बाकी 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है। कुल इकट्ठा राशि का 40 फीसदी हिस्सा अगर एकमुश्त रकम के तौर पर निकाला जाता है, तो इस पर टैक्स छूट मिलती है। रिटायरमेंट से जुड़ी राशि भी टैक्स छूट के दायरे में आती है।

60 वर्ष की उम्र से पहले पेंशन फंड से निकलने की सूरत में आपको इकट्ठा राशि का कम से कम 80 फीसदी हिस्सा रिटायरमेंट प्लान खरीदने में निवेश करना

तालिका 1: एनपीएस के तहत ग्राहक, योगदान और प्रबंधन

सेक्टर	ग्राहकों की संख्या		कुल फंड		परिसंपत्तियां	
	कुल संख्या	(%)	रुपये करोड़	(%)	रुपये करोड़	(%)
केंद्र सरकार	1,819,457	17.0	51,332	36.1	70,965	38.4
राज्य सरकार	3,412,486	31.8	72,331	50.8	91,595	49.5
उप योग	5,231,943	48.8	123,663	86.9	162,561	87.9
कॉरपोरेट	608,434	5.7	12,950	9.1	16,091	8.7
असंगठित	460,468	4.3	3,387	2.4	3,520	1.9
उप योग	1,068,902	10.0	16,337	11.5	19,610	10.6
एनपीएस लाइट	4,424,806	41.3	2,263	1.6	2,777	1.5
कुल योग	10,725,651	100.0	142,263	100.0	184,948	100.0
एपीवाई	5,372,618		2,077		2,203	
कुल योग	16,098,269		144,340		187,151	

स्रोत: *www.npst.org.in*

तालिका 2: योजनाओं की शुरुआत से योजना और पीएफ के हिसाब से रिटर्न (29 अप्रैल, 2017 के अनुसार)

पेंशन फंड		एसबीआई	यूटीआई	एलआईसी	कोटक	रिलायंस	आईसीआईसीआई	एचडीएफसी
सीजी		10.43	10.06	10.13				
एसजी		10.04	10.11	10.23				
कॉरपोरेट-सीजी		10.61		10.79				
टीयर I	ई	9.69	11.81	13.89	10.94	11.01	11.84	16.80
	सी	11.14	9.79	11.61	11.06	9.67	11.11	11.65
	जी	10.06	8.75	12.44	8.96	8.63	9.03	11.04
टीयर II	ई	9.33	9.64	8.91	10.08	9.59	9.31	12.31
	सी	10.80	9.99	9.94	9.80	9.44	11.04	9.90
	जी	10.29	9.86	12.63	8.82	8.95	9.20	11.65
एनपीएस स्वाबलंबन		11.10	10.96	10.92	11.18			

केंद्र सरकार: 1 अप्रैल 08, **राज्य सरकार:** 25 जून 09, **स्वाबलंबन:** (एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई,): 4 अक्टूबर 10, (कोटक पीएफ): 31 जनवरी 12, कॉरपोरेट (केंद्र सरकार पैटर्न): 5 नवंबर 12, **योजना:** [ई, सी, जी] (टीयर-I) - (एसबीआई, यूटीआई, आईसीआईसीआई, रिलायंस, कोटक): 1 मई 09, (एलआईसी): 23 जुलाई 13, (एचडीएफसी पीएफ): 1 अगस्त 13, **योजना:** [ई, सी, जी] (टीयर-II) - (एसबीआई, यूटीआई, आईसीआईसीआई, रिलायंस, कोटक): 14 दिसंबर 09, (एलआईसी): 12 अगस्त 13, (एचडीएफसी पीएफ): 1 अगस्त 13, **स्रोत:** *www.npst.org.in*

होगा और बाकी 20 फीसदी रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है। रिटायरमेंट या 60 वर्ष की उम्र पूरा करने से पहले किसी शख्स के आकस्मिक निधन की स्थिति में नामांकित व्यक्ति के पास बिना किसी तरह के टैक्स के पूरी इकट्ठा राशि निकालने का विकल्प होता है। बाजार के हिसाब से अनुकूल माहौल यानि सबसे सही वक्त में सिक्योरिटीज को भुनाने के मकसद से ग्राहक अपने एनपीएस फंड की निकासी को 70 वर्ष तक की उम्र के लिए टाल सकते हैं और एन्युटी की खरीदारी को रिटायरमेंट 60 वर्ष की उम्र पूरा करने की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष के लिए टाल सकते हैं। टाली गई अवधि के दौरान अगर कोई चाहे तो वह अपने पेंशन खाते में पैसा जमा करना जारी रख सकता है।

प्रवासी भारतीयों के लिए एनपीएस

प्रवासी भारतीय अपने एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ खातों के जरिये पैसे भेजकर स्वदेश भेजने योग्य और स्वदेश नहीं भेजने योग्य आधार पर एनपीएस खाता खुलवा सकते हैं। स्वेदश नहीं भेजने योग्य खाते के मामले में परिपक्वता के वक्त या आंशिक निकासी के वक्त एनपीएस फंड सिर्फ एनआरओ एकाउंट में ही जमा किया जाएगा। एनपीएस खाता सिर्फ निजी शख्स के नाम से ही खोला जा सकता है और पावर ऑफ एटॉर्नी के तहत इसके संचालन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर खाता पीओपी सर्विस मुहैया कराने वाले के जरिये विदेश में खोला जाता है, तो टीयर-1 खाता खुलवाने के वक्त कम से कम योगदान 6,000 रुपये है और टीयर-2 के लिए यह रकम 2,000 रुपये है।

इसके बाद ग्राहक की सहूलियत के हिसाब से वर्षाना या नियमित अंतराल पर पेंशन फंड में योगदान किया जा सकता है। ग्राहक के रजिस्ट्रेशन के लिए पीओपी सर्विसेज 8 डॉलर या स्थानीय मुद्रा में इसके बराबर रकम है और इसके बाद का योगदान शुल्क भेजी गई राशि का 1 फीसदी है। इसके तहत कम से कम चार्ज 1 डॉलर या स्थानीय मुद्रा में इसके बराबर रकम और अधिकतम 8 डॉलर या स्थानीय मुद्रा में इसके बराबर रकम प्रति सौदा है। अगर खाता भारत में खोला जाता है, तो टीयर-1 खाते के लिए कम से कम शुरुआती और वर्षाना योगदान क्रमशः 500 और 1,000 रुपये है। भारत में खोले जाने वाले खाते और इसकी सर्विस से जुड़े चार्ज और योगदान के नियम वही हैं, जो भारतीय नागरिकों के लिए हैं। मसलन 125 रुपये और योगदान की राशि का 0.25 फीसदी और कम से कम 20 रुपये व अधिक से अधिक 25,000 रुपये। सभी गैर-वित्तीय लेनदेन पर 20 प्रति लेनदेन चार्ज लगता है।

एनपीएस के तहत टैक्स लाभ

एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन का 10 फीसदी (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के योगदान पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा *80सीसीडी (1)* के तहत टैक्स में छूट है। इनकम टैक्स की धारा *80सीसीआई* के तहत टैक्स छूट की अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपये है। कर्मचारी को नियोक्ता के इस बाबत योगदान पर भी टैक्स में छूट मिलती है, जो सेक्शन *80सीसीडी (2)* के तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी तक हो सकता है। इसके अलावा, एनपीएस में 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त छूट सेक्शन *80सीसीडी (1बी)* के तहत मुहैया कराई जाती है, जो 1,50,000 रुपये की अधिकतम सीमा के ऊपर है। लिहाजा, एनपीएस में खुद के योगदान पर टैक्स में 2 लाख तक की छूट ली जा सकती है। साथ ही, नौकरी वाले और खुद का काम करने वाले लोगों के बीच समानता मुहैया कराने के लिए वित्त कानून 2017 में खुद का काम करने वाले लोगों के लिए सकल आय की छूट की ऊपरी सीमा को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। नियोक्ता मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 फीसदी योगदान को हर कर्मचारी के एनपीएस खाते में बिजनेस खर्च के तौर पर मान सकता है और बिना किसी ऊपरी सीमा के सेक्शन 36(1)(पअ)(ए) के तहत छूट पा सकता है।

एनपीएस के तहत शुल्क व अधिकार

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश की लागत का मतलब खाता खोलने और पीओपी का रेमिटेंस चार्ज, खाते के रखरखाव और सीआरए के लेन-देन से जुड़े शुल्क, पेंशन फंडों की निवेश प्रबंधन फीस, संरक्षक का संपत्ति रखरखाव शुल्क और एनपीएस ट्रस्ट से

जुड़ा सर्विज चार्ज आदि शामिल हैं। इन सभी को मिला देने पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 0.5 फीसदी से भी कम बैठता है, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल एनपीएस के तहत निवेश प्रबंधन और रिटर्न की तुलना कम है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश पैटर्न

फिलहाल सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस योगदान तीन पेंशन फंडों को आवंटित है। इनमें एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस और एलआईसी फंड शामिल हैं। यह आवंटन पिछले वर्ष के प्रदर्शन के अनुपात में होता है और इन फंडों को पीएफआरडीए की तरफ से तय निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत निवेश संपत्ति श्रेणी और अनुपात में इस तरह से निवेश किया जाता है:

1) 50 प्रतिशत तक सरकारी सिक्योरिटीज और इससे जुड़े उत्पादों में,

2) 45 प्रतिशत तक ऋण और इससे जुड़े उत्पादों में

3) 15 प्रतिशत तक इक्विटी और इससे जुड़े उत्पादों में

4) 5 प्रतिशत तक छोटी अवधि के उत्पादों और संबंधित निवेश में और

5) 5 प्रतिशत तक पद ट्रस्ट के ढांचे वाले और अन्य निवेश में

सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो ग्राहक हैं, वे 8 पेंशन इकाइयों में से किसी का चुनाव कर सकते हैं। इनमें एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और बिड़ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा, इस तरह के ग्राहक अपने फंड का निवेश पैटर्न चुन सकते हैं। कोई इक्विटी शेयरों, सरकारी सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड वाले मिले-जुले पोर्टफोलियो में निवेश कर सकता है, इक्विटी शेयरों में निवेश को 50 फीसदी तक सीमित किया जा सकता है, जबकि सरकारी सिक्योरिटीज या कॉरपोरेट बॉन्ड, डिबेंचर में से प्रत्येक में 100 फीसदी निवेश हो सकता है। वैकल्पिक तौर पर कोई शख्स लाइफसाइकिल फंड का विकल्प चुन सकता है, जहां संपत्ति श्रेणी में निवेश ग्राहक की उम्र के आधार पर तय किया जाता है।

3 जून 2017 के मुताबिक, एनपीएस के तहत 1.07 करोड़ ग्राहक थे, जिनका योगदान 1,42,263 करोड़ रुपये था और कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एएमयू) 1,84,948 करोड़ था। एनपीएस के कुल ग्राहकों में सरकारी कर्मचारियों की हिस्सेदारी तकरीबन 49 फीसदी है और एयूएम में इनका हिस्सा 88 फीसदी है। अगर अटल पेंशन योजना के ग्राहकों, योगदान और एयूएम को जोड़ा जाए, तो कुल 1.61 ग्राहक थे और 1,44,340 करोड़ का फंड था और एयूएम का आंकड़ा 1,87,151 करोड़ था। सेक्टर आधारित जानकारी नीचे के तालिका 1 में दी गई है।

एनपीएस पोर्टफोलियो हर श्रेणी की संपत्तियां और सिक्योरिटीज हैं। फिलहाल, कुल एनपीएस पोर्टफोलियो का 13.5 फीसदी हिस्से का निवेश इक्विटी शेयरों में है। साथ ही, 48 फीसदी निवेश सरकारी सिक्योरिटीज, 35.5 फीसदी कॉरपोरेट बॉन्ड और बाकी छोटी अवधि/मुद्रा बाजार के साधनों में है। इसके अलावा, कंपनियों के बॉन्ड पोर्टफोलियो का 98 फीसदी हिस्सा ऊंची रेटिंग वाली सिक्योरिटीज में निवेश किया गया है।

सीजी और एसजी स्कीम के लिए शुरुआत से लेकर अप्रैल 2017 तक वर्षाना औसत रिटर्न (वर्षाना चक्रवृद्धि बढ़ोतरी दर-सीएजीआर) 10 फीसदी से ज्यादा रही है। स्कीम के हिसाब से और पेंशन के हिसाब से विस्तार से जानकारी तालिका 2 में दी गई है।

लिहाजा, टैक्स के लिहाज से फायदेमंद होने और 50,000 रुपये की खास इनकम टैक्स छूट, आसान ढांचा, पारदर्शिता, ठिकानों और नौकरी बदलने पर भी सहूलियत, पेंशन फंडों की पसंद और निवेश पैटर्न, कम प्रबंधन लागत और आकर्षक रिटर्न जैसी वजहों से नेशनल पेंशन सिस्टम लोगों के लिए रिटायरमेंट का आकर्षक विकल्प है। ❑

ग्रामीण भारत के लिए सीएससी के माध्यम से टेली-लॉ

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हाशिए समुदायों और नागरिकों के लिए कानूनी सहायता आसानी से सुलभ बनाने के अपने प्रयास में भारत सरकार ने *टेली-लॉ* शुरू की है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई) मंत्रालय के साथ साझेदारी की है जो देशभर में फैले पंचायत स्तर पर अपने आम सेवा केंद्रों (सीएससी) के माधयम से कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संचालित करती है। पहले चरण में, उत्तर प्रदेश और बिहार में 500 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) में 'टेली-लॉ' योजना का परीक्षण वृहत् स्तर पर किया जाएगा।

इस योजना के तहत, 'टेली-कानून' नामक एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो आम सेवा केंद्र (सीएससी) नेटवर्क में उपलब्ध होगा। यह तकनीकी सक्षम प्लेटफॉर्म की मदद से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ देगा। 'टेली-लॉ' आम सेवा केंद्र (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को वकीलों से कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त, हाशिए पर रह रहे समुदायों का न्याय तक पहुंच को मजबूती देने के लिए कानूनी स्कूल क्लीनिकों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, स्वैच्छिक सेवा प्रदाताओं और कानूनी सहायता और सशक्तिकरण पर काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को कभी भी और कहीं भी सीएससी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली भी तैयार की जा रही है, जो दी जा रही कानूनी सलाह की गुणवत्ता का आकलन करने में और मूल्यांकन करने वालों के लिए लाभ सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के तहत, प्रत्येक आम सेवा केंद्र (सीएससी) एक लोक विधि स्वयंसेवी (पीएलवी) को शामिल करेगा, जो कि ग्रामीण नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा और कानूनी मुद्दों को समझने में उनकी मदद करेगा, वकीलों द्वारा दी गई सलाह को समझाएगा और वकील की सलाह के अनुसार मामले में आवश्यक कार्रवाई में सहायता करेगा। महिला पीएलवी को इस योजना के तहत प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। एक हजार महिला पीएलवी सीएससी के माध्यम से कानूनी सहायता की मुख्य धारा के लिए काम करेंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की उद्यमशीलता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ❑

निश्चय IAS Academy

सफलता की विशेष रणनीति

- प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान
- प्रश्नों की फ्रेमिंग पर बल
- प्रतिदिन 2 प्रश्नों का टेस्ट
- 3 महीने में दर्शनशास्त्र का बैच समाप्त
- संशय स्पष्टता कक्षा पर बल
- अवधारणात्मक समझ पर बल

दर्शनशास्त्र

द्वारा- यशवंत सिंह सर

30th June 8:30 am

3rd July 6:30 pm

G.S. Foundation Batch

15th July - 11:30 am

UPPCS-2015

मंगलेश दुबे

मैं मंगलेश दुबे UPPCS 2015 में अंतिम रूप से 2nd रैंक पर सफल रहा हूँ। यदि आज मैं इस सफलता की समीक्षा करता हूँ तो ईश्वर, अभिभावक, दोस्तों, और गुरुजनों के साथ ही साथ निश्चय IAS Academy के यशवंत सर सर्वप्रथम स्मरण में आते हैं क्योंकि उन्होंने परीक्षा के तीनों स्तर पर पूरी साथ दिया है। सर से हमेशा ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा मुझे मिलती रही। दर्शन तथा सामान्य अध्ययन के प्रति मेरा दृष्टिकोण तथा लेखन शैली मुझे सर के सान्निध्य में ही प्राप्त हुई। मेरी इस सफलता में यशवंत सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।

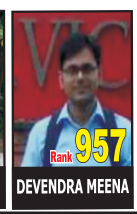

Ph. : 011-47074196, 9891352177, 9971035665

Head Office Delhi :- 102, 103, 1st Floor, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9 (Near Batra Cinema, Police Chowki)

Branch Office Jaipur :- S-5 Shri Gopal Nagar, Main Gopalpura Bypass Road Near Gurjar Ki Thadi Jaipur

visit our website: www.nischayias.in

link:- nishchay.ias.3

YH-683/1/2017

सबके लिए स्वास्थ्य

के सीता प्रभु

वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) की शुरुआत कमजोर वर्गों के लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य खर्चों से निजात दिलाने तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से की गयी थी। यद्यपि शुरू में यह योजना केवल बीपीएल परिवारों के लिए ही शुरू की गयी थी, लेकिन बाद में इसे रिक्शा चलाने और कूड़ा-कचरा चुनने जैसे अनौपचारिक क्षेत्र के कमजोर लोगों के लिए बढ़ा दिया गया

अस्थिर अर्थव्यवस्था और संकट के दौरान एक विषय (थीम) के तौर पर 'सामाजिक सुरक्षा' को सदैव महत्व मिलता रहा है। यद्यपि 1942 में ऐतिहासिक बेवेरिज कमेटी रिपोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा को 'तंगी से आजादी' के व्यापक संदर्भ में परिभाषित किया था, लेकिन इस परिभाषा पर अमल नहीं किया गया तथा 1950 के दशक में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में इसकी संकीर्ण व्याख्या करते हुए इसे आकस्मिक स्थितियों से संबंधित उपायों के तौर पर परिभाषित किया गया। वर्ष 1989 में द्रेज और सेन ने विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा को व्यापक बनाने का प्रस्ताव लाया। इसके बाद के. सीता प्रभु ने कहा कि भारत के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है- 'सामाजिक आर्थिक सुरक्षा', ताकि लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सुरक्षा का अभिप्राय सर्वव्यापी स्वास्थ्य सुविधाओं से है और 1978 के *अल्मा अता घोषणा पत्र* में इसे काफी महत्व दिया गया था। इस घोषणा पत्र का लक्ष्य था: *2000 तक सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।* इस लक्ष्य से प्रेरित होकर और आईसीएसएसआर-आईसीएमआर की 1981 की रिपोर्ट के जरिये सूचना मिलने के बाद भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की थी, जिसका स्थान बाद में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002' ने लिया था। देश की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जान फूंकने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरुआत की गयी थी। नीतिगत प्रयासों के बावजूद भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के लिए सपना ही साबित हुई और भारत स्वास्थ्य के मौलिक पैमानों पर बंगलादेश जैसे निम्न आय वाले देशों से भी निचले पायदान पर है। संभव है भारत स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) हासिल कर पाने में असफल रहे।

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली देश में विकास की असंगत प्रकृति का आईना है। आय और धन की असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में मनमाना परिवर्तन हुआ है और उपचारात्मक सेवाएं दूसरी-तीसरी श्रेणी की हो गयी हैं। इसके परिणामस्वरूप गरीबों की दृष्टि से आवश्यक रोगों की रोकथाम एवं प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़ी मूलभूत सेवाएं उपेक्षित हुई हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2008 में अनुमान व्यक्त किया था कि प्रतिवर्ष 52 लाख भारतीय गैर-संचारी रोगों से मरते हैं, जो देश में होने वाली कुल मौतों की 53 प्रतिशत हैं। आय और संपत्तियों में अंतर ग्रामीण एवं शहरी इलाकों, राज्यों एवं सामाजिक समूहों के स्वास्थ्य परिणामों में भी फर्क डालता है। यूएनडीपी द्वारा असमानता से संबंधित *मानव विकास सूचकांक* के अनुसार, 2015 में स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता के कारण भारत के स्वास्थ्य सूचकांक मूल्य में 24 प्रतिशत क्षति हुई थी। प्राथमिक एवं रोकथाम

लेखक वर्तमान में मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की टाटा पीठ में प्रोफेसर हैं। वे प्रधानमंत्री की ग्रामीण विकास योजना, जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ा है, की वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। के सीता प्रभु इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च (आईसीएसएसआर) की शासकीय परिषद् की सदस्य हैं। वे इससे पहले युनाईटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) के भारत स्थित ऑफिस में अनेक पदों पर काम कर चुकी हैं जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स सेंटर की प्रमुख और पॉवर्टी यूनिट की वरिष्ठ सलाहकार की जिम्मेदारी शामिल हैं। इन विषयों पर उनकी अनेक किताबें और आलेख देश और विदेश की अग्रणी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। ईमेल: seeta.prabhu@tiss.edu

संबंधी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी भी नजर आती है और यही कारण है कि शिक्षा से इतर 'हेल्थ फॉर ऑल' कभी महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बना ही नहीं, बावजूद इसके कि इस मुद्दे में भी मतदाताओं के वोट बटोरने की क्षमता मौजूद है। आंध्र प्रदेश इसका जीता-जागता उदाहरण है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निम्न बजटीय आवंटन भी राजनीतिक उपेक्षा को प्रदर्शित करता है। बेहतर आर्थिक विकास के बावजूद पिछले दशक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला 75 प्रतिशत व्यय इधर-उधर से ले-देकर करना होता है और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं।

भारत में स्वास्थ्य बीमा

ब्राजील, बोलीविया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी पहले लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच असमान थी, लेकिन इन देशों ने सभी को एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर अस्सी के दशक से ही अपनी नीतियों में सुधार किया। थाईलैंड की *30 बाट योजना*, इंडोनेशिया में विकेंद्रित सुधार एवं सामाजिक स्वास्थ्य बीमा तथा ब्राजील में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली इस बात के प्रमाण हैं कि किस प्रकार इन देशों ने अपने नागरिकों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया है। इन देशों के उदाहरण इस बात के संकेतक हैं कि सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाना प्रारम्भिक जरूरत है।

भारत में स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) तथा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) से शुरू हुई है। सीजीएचएस सरकारी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करती है। ये योजनाएं माध्यमिक एवं तीसरी श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन योजनाओं के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत 10 प्रतिशत से भी कम आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) जैसी सशर्त नकदी जमा योजना 2005 में लागू की गयी थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीब महिलाओं के बीच 'इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी' को प्रोत्साहित करना था। इस योजना से खासकर गरीब राज्यों में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में व्यापक सुधार तो हुआ है, लेकिन इससे मातृत्व मृत्यु दर में बहुत ज्यादा कमी नहीं आयी है।

वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) की शुरुआत कमजोर वर्गों के लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य खर्चों से निजात दिलाने तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से की गयी थी। यद्यपि शुरू में यह योजना केवल बीपीएल परिवारों के लिए ही शुरू की गयी थी, लेकिन बाद में इसे रिक्शा चलाने और कूड़ा-कचरा चुनने जैसे अनौपचारिक क्षेत्र के कमजोर लोगों के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत 30 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क देकर अस्पताल में भर्ती होने पर 30 हजार रुपये तक के खर्चे का बीमा कवरेज लिया जा सकता है। बीमा कवरेज को अब एक लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। आरबीएसवाई के तहत मार्च 2016 तक सात करोड़ 28 लाख पात्र परिवारों में से चार करोड़ 13 लाख परिवारों ने लाभ प्राप्त किया। हालांकि, अस्पताल में भर्ती होने के कुल मामले एक करोड़ 18 लाख थे, जो यह दर्शाता है कि इस योजना का उपयोग अब भी कम हो रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र से प्राप्त साक्ष्यों से इस बात के संकेत मिले हैं कि गरीबों के स्वास्थ्य खर्चे के बोझ में कटौती के इच्छित परिणाम नहीं मिल सके हैं, लोगों के ओओपी खर्चे कम नहीं हुए हैं और इसका प्रमुख कारण है कि दवाओं, जांच तथा अतिरिक्त वाहन खर्चे सहित कुछ अन्य सेवाओं के भुगतान की रिकवरी को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। आरएसबीवाई के तहत सबसे बढ़िया प्रदर्शन केरल का रहा है जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे खड़े किये हैं।

ब्राजील, बोलीविया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी पहले लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच असमान थी, लेकिन इन देशों ने सभी को एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर अस्सी के दशक से ही अपनी नीतियों में सुधार किया।

कम से कम आठ राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिनमें कर्नाटक में बीपीएल परिवारों के लिए वाजपेयी आरोग्यश्री योजना (वीएएस) तथा यशस्विनी सहकारी किसान स्वास्थ्य योजना, आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) में राजीव गांधी आरोग्यश्री योजना (आरएएस), तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, महाराष्ट्र में राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, गुजरात में मुख्यमंत्री अमृतम् योजना तथा छत्तीसगढ़ में संजीवनी कोष शामिल हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश की आरएसएस योजना 85 प्रतिशत कवरेज के साथ सबके लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य के बहुत करीब है।

हालांकि, सेकंड्री और टरशियरी केयर (माध्यमिक एवं तीसरी श्रेणी की) स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ झुकाव होने के कारण करीब आधा भुगतान तो दिल की बीमारी, कैंसर और किडनी खराब होने की समस्याओं से जुड़ा है, जबकि 40 फीसदी सर्वाधिक गरीब लोगों में समय से पूर्व मौत तथा श्वसन संक्रमण, डायरिया, क्षय रोग तथा कोरोनरी आर्टरी से संबंधित हृदय रोग से होने वाली विकलांगता आज भी गम्भीर मसले हैं। इन सभी बातों पर भी ध्यान दिए जाने और इन बीमारियों का इलाज प्राथमिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर 2015 के आंकड़ों के अनुसार, देश की करीब 28 करोड़ या एक-चौथाई आबादी को सरकार के बीमा कार्यक्रमों, जैसे- सीजीएचएस, ईएसआईएस, राज्य सरकारों की बीमा योजनाओं तथा आरएसबीवाई के तहत किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। हालांकि न तो केंद्रीय और न ही राज्य स्तरीय बीमा योजनाएं बीमा पैकेज में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करती हैं। मेघालय इसका अपवाद है जो आंशिक कवरेज देता है। ये सभी योजनाएं माध्यमिक और तीसरी श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देती हैं।

आगे का उपाय

नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत सरकार ने व्यापक प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में व्यापक बदलाव किये हैं और यह दो कारणों से भी महत्वपूर्ण है। पहला- इस नीति के तहत स्वास्थ्य को किसी बीमारी की अनुपस्थिति के बजाय तंदुरूस्ती के रूप में परिभाषित किया गया है और दूसरा- इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया गया है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गयी है। यद्यपि इसने 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का ढाई प्रतिशत खर्च करने के साधारण लक्ष्य को पीछे धकेल दिया है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र से अपेक्षाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आर्थिक तंगी से निकलने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को तरजीह दी जा रही है।

हालांकि, इस संदर्भ में परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं हैं और इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जब तक स्वास्थ्य नीतियों को सावधानीपूर्वक नहीं तैयार किया जाता तब तक सरकारी सब्सिडी की कीमत पर निजी क्षेत्र समृद्ध होता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य बीमा केवल तभी उपयोगी साबित हो सकती है जब स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत बुनियादी संरचनाएं दुरुस्त हों और इसे केवल सरकार ही कर सकती है। इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यदि 'सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य' को वास्तविकता में बदलना है, तो सरकार को इस क्षेत्र में व्यापक दक्षता में सुधार लाने के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यय के लिए जरूरी धन भी जुटाने होंगे।

राव ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी धन जुटाने के वास्ते एक सुझाव दिये हैं। उनके अनुमान के मुताबिक, स्वास्थ्य संबंधी बेहतर बुनियादी ढांचे सुनिश्चित करने के लिए जीडीपी के एक से डेढ़ प्रतिशत तक निवेश की जरूरत होगी, जबकि 60 फीसदी आबादी को व्यापक प्राथमिक, माध्यमिक एवं तीसरी श्रेणी की स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त एवं समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए जीडीपी की एक प्रतिशत राशि और निवेश करनी होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्वच्छता, कचरा निस्तारण, पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा आवास से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जीडीपी की कम से कम दो प्रतिशत राशि का पूंजी निवेश करना होगा।

सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना 2013 के सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 3.8 के रूप में सूचीबद्ध है। भारत का प्रदर्शन इस वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी होगा। वर्ष 2030 तक सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का भारत का लंबे समय से अभिलाषित लक्ष्य तभी हासिल हो पाएगा जब भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का क्रियान्वयन पूरे मनोयोग से करती है।

सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना 2013 के सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 3.8 के रूप में सूचीबद्ध है। भारत का प्रदर्शन इस वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी होगा। वर्ष 2030 तक सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का भारत का लंबे समय से अभिलाषित लक्ष्य तभी हासिल हो पाएगा जब भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का क्रियान्वयन पूरे मनोयोग से करती है। ❑

संदर्भ

1. **प्रभु, के सीता, (2001):** व्यापक गरीबी के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक आर्थिक सुरक्षा: भारत का केस स्टडी, जेनेवा: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
2. **आईसीएसएसआरधआईसीएमआर:** सबके लिए स्वास्थ्य: व्यापक रणनीति पुणे: भारतीय शिक्षा संस्थान, 1981
3. भारत को मध्य आय वर्ग का दर्जा है, लेकिन गरीबी एवं रोग के व्यापक बोझ के कारण आर्थिक प्रदर्शनों तथा सामाजिक सूचकांकों में सुधार के बीच असंतुलन सामने आया है।
4. एमओएसपीआईएस एमडीजी रिपोर्ट, विश्व बैंक डाटा और एनएफएचएस 3 इस बात के संकेत हैं कि 1992-93 और 2014-15 के बीच मृत्युदर आधी हो चुकी है और यह आंकड़ा प्रति हजार बच्चों के जन्म पर 109 बच्चों से 50 बच्चे पर आ गयी है। हालांकि यह गति 27 बच्चों के एमडीजी लक्ष्य को हासिल करने में नाकाफी है। इसी प्रकार, एमएमआर में भी कमी आयी है और यह प्रति लाख बच्चों के जन्म पर 1990 के 437 की तुलना में घटकर 2015 में 174 पर आ तो गयी है, लेकिन यह 109 के लक्ष्य से अब भी दूर है। 1990 में भारत में आधे से अधिक बच्चे सामान्य से कम वजन वाले थे और इसमें कमी की गति को देखते हुए इसके 2015 तक 33 प्रतिशत तक घटकर आने की उम्मीद है, इसके बावजूद यह लक्ष्य से 26 प्रतिशत दूर है।
5. उपभोक्ता व्यय की तुलना में आय की दृष्टि से असमानता का आंकड़ा 0.51 है, यह स्तर लातिन अमेरिकी देशों के बराबर या उससे अधिक है। धन की असमानता 0.70 के गिनी वैल्यू के साथ काफी अधिक है।
6. **विश्व स्वास्थ्य संगठन (2014):** गैर-संचारी रोगों वाले देशों के प्रोफाइल (http://www.who.int/nmh/countries/ind_en.pdf)
7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शिशु मृत्यु दर 14 है और यह उच्च आय समूह की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है (एनएफएचएस 3)। केरल में जन्मा बच्चा 74.9 वर्ष की आयु तक जी सकता है, जबकि एक ही समय में ग्रामीण बिहार में जन्म लेने वाला बच्चा 67.8 वर्ष तक जी सकता है। (एसआरएस एब्रिज्ड लाइफ टेबल्स 2010-14)। लैंगिक असमानता व्यापक है, यह हरियाणा और पंजाब जैसे अमीर राज्यों के आंकड़ों से पता चलता है, जहां प्रति हजार पुरुषों पर क्रमशः 880 तथा 906 महिलाएं हैं। (2011 की जनगणना के अनुसार)
8. http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
9. उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोग्य श्री योजना ने 2009 में सत्ताधारी पार्टी के वोट में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी।
10. **राव, एस. (2017):** डू वी केयर: इंडियाज हेल्थ सिस्टम, नयी दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
11. **विश्व स्वास्थ्य संगठन (2013):** सामाजिक स्वास्थ्य बीमा, क्षेत्रीय विशेषज्ञ दल की बैठक की रिपोर्ट, नई दिल्ली: डब्ल्यूएचओ
12. **योजना आयोग (2011):** उच्च स्तरीय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर इंडिया, नई दिल्ली पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट
13. **कुमार व अन्य (2011):** फाइनेंसिंग हेल्थकेयर फॉर ऑल: चैलेंजेज एंड ऑपरच्यूनिटीज, द लांसेट, 377 (9766): 668-679
14. **सेल्वाराज, एस. एवं करण, ए.के. (2012):** 'सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं वित्तीय जोखिम संरक्षण में अप्रभावी क्यों हैं' इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 47 (11): 60-68
15. **लिम एसएस, डनडोना एल, होईसिंगटन जेए, जेम्स एसएल, होगान एमसी व अन्य (2010):** भारत की जननी सुरक्षा योजना: स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नगदी जमा कार्यक्रम: प्रभाव का आकलन, द लांसेट, 375 (9730) - 2009-2023
16. **रणदीव, बी., दीवान, वी., डी कोस्टा, ए. (2013):** 'संस्थागत जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का सशर्त नकदी जमा कार्यक्रम (जेएसवाई): क्या संस्थागत जन्म अनुपात एवं मातृत्व मृत्युदर के बीच संबंध है,' पीएलओएस वन, 8(6): ई 67452
17. http://www.rsby.gov.in/Overview.aspx
18. **करण, ए. यीप, डब्ल्यू. एंड महल, ए. (2017):** 'भारत में गरीबों तक स्वास्थ्य बीमा का प्रसार: स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभाव का आकलन', सोशल साइंस एंड मेडिसीन, 181: 83-92
19. **राव, सुजाता (2017):** डू वी केयर: इंडियाज हेल्थ सिस्टम, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
20. **राव, सुजाता (2017):** आईबीआईडी

IGNITED MINDS IAS

पूरे भारत में दर्शनशास्त्र, एथिक्स एवं निबन्ध का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रामाणिक संस्थान

अमित कुमार सिंह के मार्गदर्शन में इस वर्ष भी 50 से अधिक विद्यार्थी सिविल सेवा में चयनित

हमारे टॉपर्स

Rank-5th
Abhilash Mishra

Rank-44th
Himanshu Jain

Rank-46th
Gaurav Singh Sogarwal

Rank-59th
Gautam Jain

Rank-61th
Milind Bapna

Rank-81th
Rajarshi Shah

Rank-82nd
Prateek Jain

Rank-99th
Namrata Jain

संस्थान से चयनित अन्य विद्यार्थी

Name	Rank	Name	Rank	Name	Rank
Prathit Charan Mishra	106	Arihant Singhi	322	Abhishek Gandhi	586
Sachin Kumar	129	Anita Yadav	350	Kavad Kalpesh Raghavbhai	618
Sourav Jain	161	Chandrakant Verma	352	Varun Yadav	767
Padmini Solanki	170	Godhani Aksharkumar	365	MD Mustaque	836
Rahul Gupta	182	Shreyansh Mohan	428	Aditya Patel	919
Sagar Bagmar	186	Ashutosh Dwivedi	454	Sandeep Kumar	927
Nipun Agarwal	197	Amit Samdariya	455	Pulkesh Singh	943
Anurag Jain	198	Bhawana Jain	478	Ameesha	989
Agrawal Sushil Ravindra	224	Deepka Parmar	511	Shailendra Bamaniya	1018
Pansuria Toral Pravinbhai	239	Pratik Patil	544	Chirag Jhirwal	1032
Pushkin Jain	252	Saurabh Jain	550	Rajesh Kumar Meena	1074
Priyank Jain	292	Vyas Paritosh Vineet	561	Galchar Priyankkumar	1077
Honey Patodi	316	Shalesh Jain	578	Sandip Kumar	1095

ETHICS (G.S. Paper-IV)

Ethics में हमारे संस्थान से प्राप्त श्रेष्ठ अंक

Name	Rank	Marks
Prateek Jain	82	122
Sourav Jain	161	121
Honey Patodi	316	115

PHILOSOPHY

Philosophy में हमारे संस्थान से प्राप्त श्रेष्ठ अंक

Name	Rank	Marks
Sandeep Kumar	927	273
Deepka Parmar	511	271
Ashutosh Dwivedi	316	269

Workshop

29 June @ 7:30 PM | **30 June @ 4:00 PM**

A-2, 2nd Floor, Comm. Comp., Mukherjee Nagar, Delhi-09

 # Ph.: 011-27654704, 8744082373, 9643760414 Website : www.ignitedmindscs.com

YH-650/2/2017

निशक्तजनों का सशक्तीकरण

संध्या लिमये

वर्तमान परिदृश्य में निशक्तता के विभिन्न आयामों को समझकर योजना एवं समावेशी रणनीतियां डिजाइन करने की जरूरत महसूस होती है और निशक्तजनों के लिए समावेशी प्रोत्साहनात्मक और निवारणात्मक सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को बनाने के लिए, सबसे महत्त्वपूर्ण पहला कदम निशक्तजनों की संख्या, निशक्त बच्चों के बीपीएल माता-पिता, शिक्षित बेरोजगार निशक्तजन जिन्हें रोजगार दिया जा सकता है, गंभीर रूप से निशक्तजन जिन्हें निरंतर सहायता की जरूरत है

भारत में परिवार व्यवस्था परंपरागत रूप से, अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था रही है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी जिसमें जरूरतमंद सदस्यों की जिम्मेदारी लेते हुए परिवार के सभी सदस्य एकसाथ रहकर जीवन व्यतीत किया करते थे। औद्योगिक क्रांति, आधुनिकीकरण, शहरीकरण और शहरों में रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो गया है। अब सामाजिक सुरक्षा की यह महत्वपूर्ण संस्था भंग हो गई है इसलिए राज्य को अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं।

सामाजिक सुरक्षा जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य बच्चों, वृद्धों और निशक्तजनों जैसे संवेदनशील लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना है जिससे कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। भारत में सामाजिक सुरक्षा को समाजिक बीमा, राष्ट्रीय भविष्य निधि एवं सामाजिक सहायता, नियोक्ता की जवाबदेही योजना, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बीमा कहा जाता है। (मारुति एवं मुस्तरी बेगम, 2011)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उल्लेख किया गया है कि इस देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 14 (सातवीं अनुसूची) यह गारंटी देती है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। निशक्तजनों एवं बेरोजगार वर्ग को राहत और सहायता प्रदान करने का निर्देश भी राज्य को दिया गया है। अनुच्छेद 41 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी की स्थिति में सामाजिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी एवं निशक्तता के लिए प्रभावी प्रावधान करता है। (शंकर 2006) निशक्तजन अधिनियम 1995, निशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 में जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात माता एवं शिशु की देखभाल जैसी निवारक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और यह अधिनियम निशक्तजनों, निशक्त महिलाओं और बच्चों को स्वाबलंबी जीवन व्यतीत करने, उन्हें सभी प्रकार की हिंसाओं से सुरक्षित करने सहित निशक्त लोगों के अधिकारों का समर्थन करता है।

प्रत्येक राज्य की गरीब एवं अपना भरण-पोषण करने में अक्षम निशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होती है और सरकार अपने संबंधित राज्य के दिशा-निर्देशों तथा आवेदक की वार्षिक आय के अनुसार मासिक भरण-पोषण भत्ता प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विक्लांगता पेंशन योजना, निशक्तजनों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना, निशक्त विद्यार्थियों

लेखिका वर्तमान में मुम्बई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में निशक्तता अध्ययन केंद्र और एक्शन स्कूल ऑफ सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वे नेहरू फुलब्राइट और रॉकफेलर फेलो हैं। उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्षों के कार्य का अनुभव है। निशक्तता के विभिन्न पहलुओं पर उनके अनेक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। ईमेल: limaye.sandhya@gmail.com, slimaye@tiss.edu

के लिए छात्रवृत्ति, मुख्य मातृशक्तिकरण योजना, सहायक उपकरण यंत्रों की खरीद के लिए सहायता और रोजगार में आरक्षण जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत कई कार्यक्रम व योजनाएं उपलब्ध हैं।

- निवाराणात्मक सामाजिक सुरक्षा स्कीम सामाजिक सहायता की स्कीम होती है जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल, रोगों का टीकाकरण, माता एवं शिशु के लिए जन्म से पूर्व ओर जन्म के पश्चात् देखभाल आदि करना होता है।
- प्रोत्साहनात्मक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास सेवाओं और आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करके निशक्तजनों को सहायता प्रदान कर रही हैं जिससे कि निशक्तजनों को सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

टैक्स

निशक्तजन अनुच्छेद 80 यू के तहत व्यावसायिक कर और आयकर में छूट के लिए पात्र हैं और आश्रित निशक्तजनों के कानूनी अभिभावक भी अनुच्छेद 80 डीडी के तहत आयकर में छूट के पात्र हैं। यह छूट निशक्तता की गंभीरता के आधार पर दी जाती है।

शिक्षा

1. मैट्रिकोत्तर या एक वर्ष से अधिक की अवधि के व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत निशक्तजन छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता, बहुविध निशक्त विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए मापदंड 40 प्रतिशत से अधिक निशक्तता है और उनके परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कम्प्यूटर खरीदने के लिए और प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए सपोर्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
3. निशक्त विद्यार्थियों को सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कुल सीटों में 3 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाता है।
4. **निशक्त बच्चों के लिए व्यापक शिक्षा योजना:** इस योजना के अंतर्गत निशक्त विद्यार्थियों के लिए सुगम एवं बाधामुक्त निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन सुविधाएं, पुस्तकों, वर्दियों और स्टेशनरी की आपूर्ति, विशेषीकृत अध्ययन सहायक उपकरण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस योजना के अन्य प्रावधानों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए गणित और चित्रात्मक प्रश्नों से छूट, दृष्टिबाधित हड्डी संबंधी निशक्त विद्यार्थियों के लिए लिपिक/वाचक के प्रयोग की अनुमति, सीखने संबंधी निशक्त विद्यार्थियों को परीक्षाओं में अतिरिक्त समय, तीसरी भाषा से छूट, पाठ्यक्रम में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

प्रोत्साहनात्मक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास सेवाओं और आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करके निशक्तजनों को सहायता प्रदान कर रही हैं जिससे कि निशक्तजनों को सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

5. **माध्यमिक स्तर पर निशक्त विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस):** इस स्कीम में 14 या उससे अधिक आयु के निशक्त बच्चों को सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं की माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक स्कूल में जाने वाले निशक्त बच्चों की पहचान का प्रावधान करती है और उन्हें उनकी निशक्ताओं के लिए सहायक यंत्र और उपकरण, पाठ्य सामग्री तक पहुंच, परिवहन की सुविधाएं, छात्रावास की सुविधाएं, छात्रवृत्तियां, पुस्तकें, सहायक प्रौद्योगिकियों और लिपिकों एवं वाचकों के लिए व्यवस्था का प्रावधान करती है।
6. **राजीव गांधी अध्येतावृत्ति स्कीम:** इस योजना के अंतर्गत निशक्तजनों को 5 वर्षों के लिए एम.फिल एवं पी.एचडी जैसी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 200 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कवर किए जाने वाले सभी विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल होते हैं।

रोजगार

1. सरकार ने निशक्तजनों के लिए सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में समूह क, ख, ग, घ के पदों में 5 प्रतिशत पद आरक्षित किये हैं।
2. निशक्तजनों को सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, निशक्तजनों को आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होती है।
3. सरकार ने विभिन्न विभागों और अनुभागों में ऐसे पदों की पहचान की है जो निशक्तजन व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार उस पद पर कार्य करने के लिए आरक्षित की जाएंगी।
4. सरकार क्षेत्रीय आधार पर समूह ग और घ में भर्ती किए गए निशक्त व्यक्तियों को पोस्टिंग प्रशासनिक सीमाओं के भीतर, यथासंभव रूप से उनके मूल निवास स्थान या उसके नजदीक ही करती है।
5. सरकार ने निशक्तजनों के लिए आरक्षित सरकारी पदों में भर्ती के लिए सभी राज्यों की राजधानियों में निशक्तजनों के लिए विशेष रोजगार केंद्रों की स्थापना की है और सभी जिला मुख्यालयों में विशेष रोजगार प्रकोष्ठों की स्थापना की जा रही है। जिन स्थानों पर रोजगार केंद्रों की स्थापना नहीं की गई है, वहां पर नियमित रोजगार केंद्रों में विशेष रोजगार प्रकोष्ठों की स्थापना की गई

है। निशक्तजनों को आरक्षण के अंतर्गत सरकारी रोजगार के लिए पात्र बनने के लिए विशेष रोजगार केंद्रों, प्रकोष्ठों में अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। निशक्तजनों के लिए विशेष रोजगार का पंजीकरण 17 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों पर भी किया जा सकता है।

6. सरकार नियोक्ताओं को प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र में निशक्तजनों के रोजगार के लिए व्यवस्था करती है। सरकार 25,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन प्राप्त करने वाले निशक्त व्यक्तियों के रोजगार के लिए 3 वर्षों तक निशक्त कर्मचारियों का नियोक्ता भविष्य निधि योगदान और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भुगतान करती है।
7. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की सभी प्रकार की डीलरशिप एजेंसियों में शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए 7.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की है।
8. राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम स्वरोजगार के लिए निशक्तजनों को ऋण प्रदान करती है। इन योजनाओं में सेवा/व्यापार/औद्योगिक इकाइयों में लघु व्यवसाय की स्थापना, उच्च शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण निशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का विनिर्माण/उत्पादन के लिए, कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के बीच स्वरोजगार के लिए ऋण शामिल हैं।
9. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनाथालयों, महिला गृहों और शारीरिक रूप से *विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्कीम* के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के साथ-साथ विकलांग लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए विशेष ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है। सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज को एकसमान रूप से वसूला जाएगा। लघु स्तर उद्योगों का वित्तपोषण की योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये तक की पूंजी सीमा प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ब्याज की दर (0.5 प्रतिशत की छूट) में विशेष प्रावधान किया गया है।

सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए निशक्त व्यक्तियों को सहायता (एडिप योजना)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद निशक्तजनों को ऐसे टिकाऊ कृत्रिम एवं वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक एवं मानक सहायक उपकरण और यंत्र की खरीद में सहायता प्रदान करना है जो निशक्तता के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित कर सके और उनकी आर्थिक क्षमता में बढ़ोतरी की जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनाथालयों, महिला गृहों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्कीम के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के साथ-साथ विकलांग लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए विशेष ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है। सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज को एकसमान रूप से वसूला जाएगा।

इंदिरा आवास योजना

यह केंद्रीय प्रायोजित आवास योजना है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रुपये तक की लागत और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 22,000 रुपये तक की लागत पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों को मुफ्त आवासी ईकाइयां प्रदान की जाती हैं। इस योजना की तीन प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आरक्षित हैं।

निशक्तजन सशक्तीकरण राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

निशक्तजनों के प्रयासों की पहचान करने और इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत निपुण/उत्कृष्ट निशक्त कर्मचारी, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी/अधिकारी, उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट संस्था, अनुकरणीय व्यक्ति, उत्कृष्ट रचनात्मक निशक्तजन, उत्कृष्ट प्रौद्योगिकीय नवाचार और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए, नवाचार के अनुकूलन के लिए अलग से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। निशक्तजनों के लिए बाधा मुक्त परिवेश का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र और निजी कंपनियों, निशक्तता पुनर्वास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले,राष्ट्रीय न्यास की सर्वश्रेष्ठ स्थानीय स्तरीय समिति और राष्ट्रीय विक्लांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) को भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों और स्वरोजगार प्राप्त महिलाओं, निशक्त महिलाओं के प्लेसमेंट को प्राथमिकता दी जाती है।

निशक्तजनों के सशक्तीकरण के लिए ट्रस्ट फंड

माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2,000 की सिविल याचिका संख्या 4,655 और 5,218 में दिनांक 16 अप्रैल, 2014 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया था कि जिन बैंकों ने पूर्णांकन के माध्यम से ब्याज कर के संग्रह में कर्जदारों से अनुमानित 723.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि एकत्र की थी, उन्हें इस धनराशि को किसी ट्रस्ट में जमा कराना होगा जिसका निशक्तजनों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने इन निधियों को ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविध निशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का निर्देश मांगा था जिससे कि इन निधियों का उद्देश्यपूर्ण उपयोग किया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय को मंत्रालय के अनुरोध पर निर्णय लेना अभी बाकी है लेकिन इसी दौरान ट्रस्ट की स्थापना कर ली गई है और वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग द्वारा सभी बैंकों को ट्रस्ट के अकाउंट में से बकाया धनराशि का जमा करने की सलाह दी है।

मिशन मोड में प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं

निशक्तजनों को प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उचित और लागत प्रभावी सहायक

उपकरण एवं यंत्रों को प्रदान करने,उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, समाज में उनको शामिल करने की दृष्टि से लिए उपयुक्त स्कीम को वर्ष 1990-91 के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की पहचान की जाती है और सहायक यंत्र एवं उपकरणों के विकास के लिए वित्तपोषण किया जाता है।

- संरक्षणात्मक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का डिजाइन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा परिभाषित आकस्मिक निर्धनता या आकस्मिकताओं के समाधान के लिए किया गया है। इन योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा बीमा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

1. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना:** इसे 17 फरवरी, 2009 में सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत 18 से 79 आयु समूह के बहुविध निशक्तजन या गंभीर रूप से निशक्तजनों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गृहस्थों को 300 रुपये प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
2. **निशक्तता लाभ:** कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जिसे पूर्व में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता को रोजगार से संबंधित उन क्षतियों के लिए कर्मचारी या उसके परिवार को क्षतिपूर्ति करना जरूरी होता है जिसका परिणाम मृत्यु या निशक्तता हो।यदि किसी कामगार को व्यवसाय से संबंधित रोग हो जाता है तो उसे रोजगार के दौरान पीड़ित माना जाएगा, ऐसी स्थिति में नियोक्ता को उक्त के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। ऐसी क्षतियों की सूची कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की अनुसूची 1 के भाग 1 और 2 में दी गई है जिसका परिणाम पूर्ण या आंशिक निशक्तता होता है जबकि व्यावसायिक रोगों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की अनुसूची 3 के भाग क, ख और ग में परिभाषित किया गया है लेकिन यह केवल संगठित क्षेत्र में लागू है।

चुनौतियां और समाधान

भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निशक्त लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। भारत में अधिकांश विकासात्मक कार्यक्रम निशक्तजनों के आसपास की सामाजिक या शारीरिक बाधाओं के कारण उनकी पहुंच से बाहर हैं। देश में निशक्तता के विभिन्न सहायता कार्यक्रम उपलब्ध हैं लेकिन इन कार्यक्रमों की कवरेज समावेशी नहीं है और इन योजनाओं में निशक्तजनों की समस्याओं का समावेशी समाधान नहीं है। सूचना के अभाव और एक स्थान पर सूचनाएं एकत्र न हो पाने के कारण अक्सर निशक्तजन अपने लिए उपलब्ध फायदों और स्कीमों से अनभिज्ञ रहते हैं। निशक्तजनों की सहायता और फायदों की डिलीवरी के प्रशासनिक प्रबंध इधर-उधर फैले हुए हैं। इसमें न तो एकरूप फायदे का सूत्र है और न ही कोई एकल एजेंसी है जो कार्यक्रमों को प्रशासित या निर्देशित कर सके। यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में निशक्तता संबंधी कार्यक्रमों और फायदों की देख-रेख करने वाले सभी एजेंसियों एवं विभागों को एक साथ समेकित करने की जरूरत है जिससे कि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ एक छत के नीचे समावेशी कार्यक्रम और कार्यान्वयन नीति बनाई जा सके।

देश में निशक्तता के विभिन्न सहायता कार्यक्रम उपलब्ध हैं लेकिन इन कार्यक्रमों की कवरेज समावेशी नहीं है और इन योजनाओं में निशक्तजनों की समस्याओं का समावेशी समाधान नहीं है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में निशक्तजनों के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं में निधियों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के बजट में निशक्तजनों के लिए खंड योजना प्रस्तुत करने का पक्ष समर्थन किया गया था। लेकिन मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज़ यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस सुझाव के कार्यान्वयन के लिए कुछ भी नहीं किया जो कि इस संबंधित मंत्रालय की कार्यप्रणाली के बारे में स्वयं ही बुरी टिप्पणी है। इसके अतिरिक्त, दसवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न नीतियों के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मंजूर किये गये व्यय का केवल 31 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है जो कि सरकार की लचरता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ निशक्तजनों के प्रति सरकार के उदासीन दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। (शंकर, 2006)

वर्तमान परिदृश्य में निशक्तता के विभिन्न आयामों को समझकर योजना एवं समावेशी रणनीतियां डिजाइन करने की जरूरत महसूस होती है और निशक्तजनों के लिए समावेशी प्रोत्साहनात्मक और निवारणात्मक सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को बनाने के लिए, सबसे महत्त्वपूर्ण पहला कदम निशक्तजनों की संख्या, निशक्त बच्चों के बीपीएल माता-पिता, शिक्षित बेरोजगार निशक्तजन जिन्हें रोजगार दिया जा सकता है, गंभीर रूप से निशक्तजन जिन्हें निरंतर सहायता की जरूरत है, 60 वर्ष की आयु से अधिक के निशक्तजन, निशक्त महिलाएं, असंगठित क्षेत्रों आदि में काम करने वाले निशक्तजन आदि आयामों को शामिल करते हुए निशक्तजनों के संबंध में विस्तृत आंकड़े एकत्र करना है।

विस्तृत प्रशासनिक प्रबंध, विभिन्न स्रोतों से निधियों का एकीकरण, व्यावसायिक विशेषज्ञों की देखरेख में लाभांतरण और नियत्रंण ऐसे महत्त्वपूर्ण कदम हैं जिन्हें तत्काल उठाया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं से और अधिक संसाधनों को एकत्रित करने की जरूरत है जिससे कि निशक्तजनों तक अधिक से अधिक लाभों को पहुंचाया जा सके। ❑

संदर्भ

- **मूर्ति, जे.पी. और डॉ. मस्तुरी बेगम (2011):** भारत में निशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, संस्करण II, अंक I, जनवरी 2011
- **शंकर, चित्रा (2006):** भारत में सामाजिक सुरक्षा और निशक्तजन, संस्करण 4, अंक 10, 15 मई 2006https%//www.dnis.org/print_features.php\features_id¾115
- http_//cis&india.org/accessibility/blog/central&government&schemes
- http%//socialjustice.nic.in/pdf/adipsch.pdf
- Disability Benefit- http://www.india-briefing.com/news/introduction-social-security-system-india-6014.html/

कृषक कल्याण का निश्चय: सपना और हकीकत

नीलाब्जा घोष

राज्य का जितना दायित्व लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का है, उतना ही किसानों का सामाजिक सुरक्षा करना भी है। उन्हें प्राकृतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना, बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक सुविधाओं का निर्माण करना और ज्ञान एवं सूचना प्रवाह को सुगम बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने वाले नागरिकों और कृषि का लाभ उठाने वाले निजी क्षेत्र को भी भागीदार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। एक लंबी अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र को एक उद्यम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जोकि अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत हो

अक्सर नाम परिवर्तित करते हुए मंत्रालयों को विभाजित या संगठित किया जाता है लेकिन 2015 में कृषि मंत्रालय को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में रूपांतरित करना, सिर्फ एक कार्यात्मक पुनर्गठन नहीं था। मंत्रालय का नाम बदलने के पीछे यह अवधारणा भी थी कि कृषि का अर्थ सिर्फ अधिक भोजन उत्पन्न करना नहीं है। इसका यह भी अर्थ है कि समाज के अन्य वर्गों के समान ही किसानों का जीवन स्तर भी उत्तम हो।

दरअसल नीतिगत प्रोत्साहनों के कारण ही मुख्य खाद्य उत्पादों के उत्पादन में कई गुणा वृद्धि हुई है। 1960 का एक दशक वह भी था, जब भारत खाद्यान्नों की कमी से जूझ रहा था। अब वह दौर है जब भारत विश्व के शीर्ष दूध और चावल उत्पादक देशों में शामिल है और भोजन के मामले में आत्मनिर्भर भी। इसके बाद हमने अपनी कृषि नीति को व्यापक बनाया और इसमें दलहन, फलों और सब्जियों जैसी अन्य फसलों को शामिल किया।

इसके बावजूद किसानों का एक बड़ा वर्ग वंचित और निरुत्साहित ही रहा। उसकी आय नहीं बढ़ी और वह आर्थिक अनिश्चितता का सबसे अधिक शिकार रहा। वर्ष 2003-04 के एक सर्वेक्षण में कहा गया कि 40 प्रतिशत किसान परिवारों को अगर विकल्प मिले तो वे कृषि की बजाय दूसरा व्यवसाय करना पसंद करेंगे (एनएसएसओ, 2005)। इसके पश्चात् उसी सर्वेक्षण से पता चला कि छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अन्य स्रोतों से अपनी आय को पूरा करना पड़ता है (एनएसएसओ, 2014)। प्रस्तुत लेख में इस बात का पता लगाने की कोशिश की गयी है कि उच्च उत्पादन स्तर होने के बावजूद किसानों को निम्न स्तरीय जीवन क्यों जीना पड़ता है। वे क्यों गरीबी से जूझते हैं और सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही किस प्रकार पारंपरिक और अभिनव, दोनों तरीकों से इस हालात को बदला जा सकता है।

किसान: आय और संवेदनशीलता

जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों की तकलीफ का जिक्र किया और 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य प्रस्तुत किया तो इस तरफ सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। खेतिहर आय कई बातों पर निर्भर करती है। उच्च आय के लिए जरूरी है कि उत्पादकता बढ़े, खासकर भूमि की। कुल कारक उत्पादकता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी और उर्वरक जैसे दुर्लभ इनपुट महंगे हैं। प्रौद्योगिकी और कृषि कार्यों में सुधार से उत्पादन और कार्यकुशलता बढ़ती है। बिक्री योग्य मूल्य और उत्पाद अपव्यय भी बिक्री मूल्य निर्धारित करते हैं, लेकिन उत्पादों और इनपुट की कीमतें कृषि आय के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु अलग-अलग है। हमारे देश की व्यवस्था संघीय है इसीलिए सभी राज्यों में अलग-अलग नीतियां लागू हैं। नतीजतन, देश भर में फसल उपज दरें, बुनियादी ढांचे और संस्थान भी भिन्न-भिन्न हैं। हमारे देश में बहुत से खेतों का आकार छोटा है जोकि

लेखिका नई दिल्ली में आर्थिक विकास संस्थान में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और वे कृषि, खाद्य और पर्यावरण जैसे विषयों पर कार्य कर रही हैं। वे वर्षों से एम्पिरिकल स्टडीज पर कार्यरत रही हैं। यह स्टडीज कार्यालयीन सांख्यिकीय प्रणाली में मदद हेतु भारतीय कृषि, नीति-मापन का मूल्यांकन और जलवायु परिवर्तन, आर्थिक उदारीकरण और समेकित विकास से संबंधित है। ईमेल: nila@iegindia.org

बहुत लाभकारी नहीं होता। एक ओर देश का औद्योगिक रोजगार सृजन कमजोर है, दूसरी ओर जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इससे कृषि भूमि पर दबाव पड़ता है और प्रति व्यक्ति कृषि आय कम होती है। इसलिए प्राकृतिक, जनसांख्यिकीय और प्रशासनिक भिन्नताओं के कारण हमारे देश में कुछ स्थानों पर खेती करना लाभकारी है तो कुछ स्थानों पर अलाभकारी। विभिन्न क्षेत्रों में श्रमशक्ति की गतिशीलता से प्रति व्यक्ति घरेलू आय में वृद्धि होती है और उस क्षेत्र में नए विचार और कौशल उत्पन्न होते हैं। बदले में उच्च खेतिहर आय से मांग उत्पन्न होती है और गैर कृषि क्षेत्रों को सहायता मिलती है।

खेती का सबसे बड़ा जोखिम मौसम है। मानसून की विफलता से न केवल वर्तमान वर्ष के उत्पादन को नुकसान होता है बल्कि आने वाले वर्षों पर भी उसका असर होता है। चूंकि जलाशयों, नदियों, नहरों, कुओं और मिट्टी के जल स्तर में गिरावट आती है। 2014 और 2015 में मानसून की विफलता के चलते किसानों को भयंकर कर्ज और संकट का सामना करना पड़ा था। जबकि बाकी देशों में सामान्य मानसून होता है, अंतर-वर्षीय वर्षा वितरण चिंता का विषय बनता है क्योंकि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बारिश कम होती है। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक या बेमौसमी बरसात भी एक खतरा बनता है क्योंकि बाढ़ भी विनाशकारी होती है। 2016 में जब मानसून सामान्य था, तो नौ राज्यों में बाढ़ आई थी। बिहार में तो नदी का जल स्तर बढ़ने से 5 लाख लोग विस्थापित हो गए थे और 3 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी।

मूल्य परिवर्तन से भी किसानों की संवेदनशीलता बढ़ती है। सामान्य परिस्थितियों में भी विपणन के समय कीमतों पर दबाव बना रहता है हालांकि फसल की कीमत मिल जाती है और कई बार उसमें बढ़ोतरी भी हो जाती है लेकिन किसानों के पास स्टॉक जमा करने के पर्याप्त साधन कम ही होते हैं। उन्हें कई बार उच्च कीमत पर खाद्यान्न खरीदने पड़ते हैं। एमएसपी बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक पैदावार करने और कीमतों को लाभकारी और स्थिर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब सरकार पर्याप्त रूप से खरीद करे। आपूर्ति अधिक होने से कीमतों में गिरावट होती है। 2016-17 में दलहन की बंपर पैदावार के बाद कीमतों में गिरावट हो गई थी, जबकि उस वर्ष एमएसपी बढ़ाया गया था। मुक्त बाजार के दौर में मांग में उतार-चढ़ाव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के चलते भी कीमतों में अनिश्चितता आती है।

ग्रामीण सुविधाएं

किसानों का कल्याण केवल उत्पादन और कीमतों से जुड़ा हुआ नहीं है। बल्कि ऐसा सोचना भ्रम उत्पन्न करता है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं रोजमर्रा के जीवन को सुधारती हैं, नए अवसर उत्पन्न करती हैं और दक्षताएं प्रदान करती हैं (सेन, 2005)। इनसे तकनीकी प्रगति के सुफल प्राप्त होते हैं। इनमें से कई को नागरिकों का 'अधिकार' और राज्य की बाध्यता माना जाता है। दुर्भाग्य से, देश के विकास का नजरिया अब भी 'शहरी पूर्वाग्रह' (लिप्टन, 1977) से ग्रस्त है और किसानों को अधिक उत्पीड़ित करता है।

मूल्य परिवर्तन से भी किसानों की संवेदनशीलता बढ़ती है। सामान्य परिस्थितियों में भी विपणन के समय कीमतों पर दबाव बना रहता है, हालांकि फसल की कीमत मिल जाती है और कई बार उसमें बढ़ोतरी भी हो जाती है लेकिन किसानों के पास स्टॉक जमा करने के पर्याप्त साधन कम ही होते हैं। उन्हें कई बार उच्च कीमत पर खाद्यान्न खरीदने पड़ते हैं।

कई वर्षों तक गरीबों के मानव संसाधन विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। जिन गांवों में गरीब आबादी अधिक है, वे तो सबसे अधिक प्रभावित थे। यहां तक कि स्कूलों में बच्चों के दाखिले को महत्व दिए जाने के बावजूद अच्छी और रोजगारपरक शिक्षा प्रदान नहीं की गई। बजटीय अभाव, नीतियों को पूरी तरह से लागू न करना और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं इस स्थिति के लिए लंबे समय से जिम्मेदार हैं। इनके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हुई जिस पर हमारे देश के किसान बहुत हद तक निर्भर रहते हैं। यूं पोषण और पर्यावरण भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं जबकि स्थायी पद्धतियों का प्रयोग करते हुए इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे देश में पीडीएस पहले सार्वभौमिक थी लेकिन इसे बाद में गरीबों पर केंद्रित किया गया। इस प्रणाली ने गरीबों की तब मदद की, जब उच्च खाद्य उत्पादन के बावजूद उनका गुजारा चलना मुश्किल हुआ। इस प्रणाली को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और 1980 के दशक के बाद से इस प्रणाली में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं।

हालांकि पिछले दशक में सरकार ने भौतिक संचार (सड़कों, रेलवे, मेट्रो-रेल) पर विशेष ध्यान दिया, फिर भी 16 प्रतिशत भारतीय गांव अब भी बारहमासी सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं (आशेर और नोवोसैड, 2017)। बिजली जीवन को आसान बनाती है और आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए आवास, पानी और सीवरेज निपटान आवश्यक हैं। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि 45-70 प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली कनेक्शन, घर के परिसर में पानी की आपूर्ति या शौचालय नहीं है और उनमें से 18 प्रतिशत के पास इनमें से कोई सुविधा नहीं है (मिश्रा और शुक्ला, 2013)। मोबाइल फोन के जरिए त्वरित सूचना संप्रेषण संभव है और इंटरनेट एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए कुछ बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। इसलिए भौतिक आधारभूत संरचना से किसान समुदाय के सामाजिक जीवन में सुधार आ सकता है, उत्पादकता बढ़ सकती है, विपणन सुविधाजनक हो सकता है, उत्पाद अपव्यय को कम किया जा सकता है, मूल्य-वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है और सामाजिक बुनियादी ढांचे को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

महिलाओं की विशेष जरूरतें होती हैं। किसान औरतें ज्यादातर अवैतनिक खेत मजदूरों के रूप में काम करती हैं। छोटे खेतों वाली किसान औरतों को तो कम मजदूरी पर धान रोपने जैसे असुविधाजनक काम करने पड़ते हैं (घोष, 2010)। प्रमाण बताते हैं कि नई तकनीक और उच्च आय के अवसर मिलने पर महिलाएं श्रमशक्ति से बाहर हो जाती हैं (बोसरप, 1970)। अगर पुरुष गैर-कृषि कार्य की तरफ मुड़ते हैं तो कृषि का 'स्त्रीकरण' गरीब महिलाओं के लिए मजबूरी बन जाता है (जिगिंस, 1998)। इसलिए किसान औरतों के कल्याण के लिए प्रशिक्षण और कौशल, महिला-विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की

देखभाल में सहायता, महिलाओं के अनुकूल मशीनरी, सूचनाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण हैं।

कृषक कल्याण के नए तरीके

कई वर्षों तक भारत के कृषि विकास के प्रमुख साधनों, जैसे कि अच्छे बीज, उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई कार्यों के लिए सस्ती बिजली और रियायती ऋण एवं एमएसपी पर अनाज की सार्वजनिक खरीद का जोर उत्पादन पर था ताकि खेती को फायदेमंद बनाकर उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जब इस बात का अहसास हुआ कि अतिरिक्त उत्पादक क्षेत्रों को अधिक सहयोग दिया जा रहा है, तो अन्य फसलों की पैदावार, भंडारण सुविधाओं, बीजीआरईआई, आईएसओपीओएम, एनएफएसएम, आरकेवीवाई, डब्लूडीआरए जैसे कार्यक्रमों के जरिए बारिश वाले क्षेत्रों और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। सतत पद्धतियों को प्राथमिकता दी गई। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्य किया और सतत एवं उच्च विकास के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश (एनएपीसीसी) तैयार किया। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरुकता बढ़ाना, जिससे किसान विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की ओर नीति निर्देश का कार्य करता है।

जोखिम प्रबंधन का सामान्य समाधान बीमा है इसीलिए अत्यधिक सोच-विचार के बाद सीआई (फसल बीमा) स्कीम को शुरू किया गया (मिश्रा, 1996, हैज़ल एवं अन्य, 1986)। एनएआईएस की शुरुआत 1999-2000 में हुई, फिर बीमा के लिए 'क्षेत्र' संबंधी दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें आंकड़ों की जरूरत कम से कम होती है क्योंकि किसी भी 'क्षेत्र' में किसानों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसके तहत संस्थागत उधारकर्ताओं का कवरेज अनिवार्य किया गया। हालांकि आंकड़ों की कमी के कारण एनएआईएस जोखिम से प्रभावित छोटी इकाइयों को लाभ पहुंचाने में विफल रहा और उसे वाणिज्यिक हानि उठानी पड़ी। प्रतिक्रियास्वरूप सीआई में कई संशोधन किए गए। जनवरी 2016 में सरकार ने पीएमएफबीवाई की शुरुआत की जिसमें मौसम, कीट, बीमारियों के जोखिम, रोपाई न कर पाने की स्थिति को कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्ति अगर खड़ीया कटाई की गई फसल को नुकसान होता है तो भी किसानों को मुआवजा दिया जाता है। हालांकि सरकार किसानों द्वारा चुकाए जाने वाले प्रीमियमों पर सब्सिडी देती है लेकिन फिर भी प्रतियोगी बीमांकिक दरों के कारण निजी बीमा कंपनियों को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित किया गया है। आधुनिक तकनीक की वजह से उपज के आंकड़े जमा किए जा रहे हैं ताकि अधिसूचित 'क्षेत्र' भविष्य में वाकई एकरूप हो सकें।

फसल बीमा जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन मौसम की मार एक विशाल क्षेत्र को बड़ी संख्या में प्रभावित कर सकती है। पर हमारे देश की उपग्रह क्षमता ऐसी है कि इससे हमें शुरुआती और भरोसेमंद चेतावनी मिल जाती है। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के पारित होने के बाद एक आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया गया जिसके तहत जरूरत पड़ने पर राज्यों को सहयोग देने के लिए केंद्रीय बल तैनात किया जाता है। अगर राज्य सूखे को अधिसूचित करते हैं तो उसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाता है और सिंचाई पर विशेष सब्सिडी दी जाती है।

जब पारंपरिक नियम पराजित होते हैं तो विपणन संबंधी सुधारों की आवश्यकता होती है। बाजारों को प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के लिए एपीएमसी कानून में संशोधन किया गया ताकि किसानों को और विकल्प चुनने का मौका मिले। भंडारण और वितरण प्रणाली, जो अब निरीक्षण और बजटीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मूल्य नियंत्रण के लिए सरकारी हस्तक्षेप के प्रभाव का निर्धारण करती हैं। इनपुट और खाद्य सब्सिडी और 2013 में एनएफएसए के लागू होने से, जो भोजन के अधिकार को कानूनी बनाता है, अधिक राजकोषीय दबाव पड़ा। फिर भी जब सरकारी नीतियों के कारण किसानों के गुमराह होने का खतरा पैदा होता है और कई बार कमी पैदा करने के कारण उनके हितों को नुकसान होता है तो विश्व बाजार की शक्तियां कीमतों को अधिक से अधिक प्रभावित करती हैं। इस बीच, भारत की सब्सिडी प्रणाली संक्रमण के दौर से गुजर रही है। ऐतिहासिक यूआईडी और बैंकिंग आउटरीच कार्यक्रम (जनधन) ने गरीब लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। इससे पूर्व एलपीजी सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण के जरिये प्रदान की जा रही है। यहां तक कि 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूबीआई

की नई अवधारणा पर एक पूरा अध्याय समर्पित किया गया है जिसमें सभी प्रकार की सब्सिडी को समाहित किया जाएगा। जिन लोगों की आय बहुत कम है, यह विचार उन्हें अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है।

कई ग्रामीण विकास योजनाएं किसानों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में काम कर रही हैं। इनमें आजीविका (एनआरएलएम), उचित मूल्य निर्धारण (ई-नाम), सामाजिक सहायता (एनएएसएपी), आवास (आईएवाई), सड़क विकास (पीएमजीएसवाई) और स्वास्थ्य (एनआरएचएम) को लक्षित करते हुए सब्सिडी या निवेश के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सिंचाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि सिंचाई सस्ती होने से सूखे के असर को कम किया जा सकता है। 2005 से लोक निर्माण कार्यक्रम (पीडब्लूपी) मनरेगा ने ग्रामीण आबादी के लिए न्यूनतम आय को आश्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रोजगार को कानूनी अधिकार प्रदान करने का प्रतीक है। हालांकि इसके बजटीय अनुमान विवादास्पद रहे और अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए, इसे सोद्देश्य लागू किया गया, फिर भी यह ग्रामीण परिसंपत्ति सृजन का साधन हो सकता है। रोजगारपरकता को आगे बढ़ाने के लिए 2015 में एनपीएसईडी के जरिए उत्पादकता और उपक्रम मानकीकरण कौशल को प्रोत्साहित किया गया।

निष्कर्ष

कई वर्षों तक किसानों को आय संबंधी सुरक्षा देने का कारण यह था कि सरकारों को उपभोक्ता कल्याण की चिंता थी। अब बाजार सुधारों के साथ इन सहयोगपरक प्रणालियों को विरोधाभासों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए बजटीय प्रावधान भी घटाए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक नया प्रतिमान अब हमारे समक्ष है जहां हर नागरिक के न्यूनतम कल्याण को उसका अधिकार माना जाता है। सरकार बाजार को सुविधाजनक तरीके से संचालित करने की सुविधा दे सकती है लेकिन खुले बाजार में कीमतों और आय पर सीमित नियंत्रण है।

फिर भी राज्य का जितना दायित्व लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का है, उतना ही किसानों का सामाजिक सुरक्षा करना भी है। उन्हें

राज्य की निरीक्षण संबंधी जटिलताओं को तकनीकी सहायता प्राप्त प्रशासनिक नवाचारों द्वारा कम किया जा सकता है। एक नागरिक के रूप में किसान को भी सर्वोत्तम जीवन जीने का हक है और वह भी बाजार के मुताबिक कुशल होने का प्रयास करेगा।

प्राकृतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना, बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक सुविधाओं का निर्माण करना और ज्ञान एवं सूचना प्रवाह को सुगम बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने वाले नागरिकों और कृषि का लाभ उठाने वाले निजी क्षेत्र को भी भागीदार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। एक लंबी अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र को एक उद्यम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जोकि अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत हो। इससे आजीविका के लिए कृषि भूमि पर दबाव कम होगा। राज्य की निरीक्षण संबंधी जटिलताओं को तकनीकी सहायता प्राप्त प्रशासनिक नवाचारों द्वारा कम किया जा सकता है। एक नागरिक के रूप में किसान को भी सर्वोत्तम जीवन जीने का हक है और वह भी बाजार के मुताबिक कुशल होने का प्रयास करेगा। ❑

संदर्भ

- एशहर और नोवोसैड (2017), रूलर रोड्स एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन डरमाउथ,
- https%//www.dartmouth.edu/~novosad/asher&novosad&roads.pdf
- बोसरप एस्टर (1970), विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लंदन, अर्थस्कैन
- घोष, नीलाब्जा (2010) इकोनॉमिक एंपावरमेंट ऑफ फॉर्म विमेन थ्रू वायबल इंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी रिपोर्ट
- हेजल पी पॉमेरेडा सी और वेल्ड्स ए (1986), क्रॉप इंश्योरेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इश्यूज एंड एक्सपीरियंस, जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, बाल्टीमोर एमडी
- जिगिन्स जेनिस(1998), द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्टर, द ब्राउन जनरल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, अंक 5, संख्या पेज, 251-262
- लिप्टन, माइकल (1977), वाय पुअर पीपुल स्टे पुअर : अर्बन बायस इन वर्ल्ड डेवलपमेंट, कैंब्रिज, एमए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
- मिश्रा प्रमोद के (1996), एग्रीकल्चर रिस्क, इंश्योरेंस एंड इनकम : द स्टडी ऑफ द इंपैक्ट एंड डिजाइन ऑफ इंडियाज कंप्रिहेंसिव क्रॉप इश्योरेंस स्कीम
- मिश्रा उदय एस एंड वाचस्पति शुक्ला (2013), बेसिक हाउसहोल्ड एमिनिटीज इन इंडिया: अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, ई सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, 1 अगस्त
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) (2005), सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मर्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मिंग, रिपोर्ट संख्या 496 (59/33/3), एनएसएस 59वां दौर, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) (2014), की इंडिकेटर्स ऑफ लैंड एंड लाइफस्टॉक होल्डिंग्स इन इंडिया, एनएसएस के1(70/18.1), एनएसएस 70वां दौर (जनवरी-दिसंबर 2013) सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
- सेन ए के (2005) ह्यूमन राइट्स एंड केपेबिलिटीज, जनरल ऑफ ह्यूमन डेवलमेंपट 6 (2), 151-66
- पटनायक, बानिकिंकिर (2015), व्हॉट्स इन अ नेम? आस्क मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अगस्त, 16

शब्द संक्षेप

- एपीएमसी: कृषि उत्पाद बाजार समिति
- बीजीआरईई: ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया
- सीआई: फसल बीमा
- डीबीटी: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
- ईनाम: (इलेक्ट्रॉनिक) राष्ट्रीय कृषि बाजार
- जीआर: हरित क्रांति
- आईएवाई: इंदिरा आवास योजना
- आईएसओपीओएम: तिलहन, दलहन, मक्का और तेलपाम की एकीकृत योजना
- एलपीजी: तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
- मनरेगा: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- एमओएएंडएफडब्ल्यू: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- एमएसपी: न्यूनतम समर्थन मूल्य
- एनएआईएस: राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
- एनएपीसीसी: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना
- एनएफएसए: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- एनएफएसएम: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- एनपीएसडीई: राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति
- एनआरएचएम: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
- एनआरएलएम: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- एनएसएपी: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- पीडीएस: सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- पीएमएफबीवाई: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- पीएमजीएसवाई: प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना
- आरकेवीवाई: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- यूबीआई: सार्वभौमिक मूलभूत आय
- यूआईडी: अद्वितीय पहचानकर्ता
- डब्लूडीआरए: वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी

सामाजिक सुरक्षा: वैश्विक परिदृश्य

चंद्रकांत लहरिया

1900 और 1920 के दौरान, अमेरिका में वृद्धावस्था सहायता (पेंशन) से आर्थिक सुरक्षा और अंत में सामाजिक सुरक्षा (सामाजिक बीमा के साथ आर्थिक सुरक्षा) प्रदान करने के दर्शन का विकास देखा गया है। अमेरिका ने राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट के शासनकाल में 'सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 लागू किया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1943 में 'एकीकृत राष्ट्रीय सामाजिक बीमा प्रणाली' की शुरुआत हुई थी

आजकल विभिन्न समस्याओं और संदर्भ में 'सामाजिक सुरक्षा' शब्द को 'सामाजिक संरक्षण', 'सामाजिक कल्याण' और कुछ अन्य समानार्थी अवधारणाओं में प्रयोग किया जाता है। फिर भी 'सामाजिक सुरक्षा' का प्रयोग सर्वाधिक सामान्य रूप में किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का उल्लेख सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा (संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 21 क, 1948) के अनुच्छेद 22 में किया गया है, जिसमें यह सुस्पष्ट रूप से बताया गया है कि 'समाज के सदस्य के रूप में, प्रत्येक व्योक्ति को सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयासों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रत्येक राज्य की संस्था तथा संसाधन, अर्थव्यवस्था, व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व के मुक्तक विकास के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाने का हकदार है। इस घोषणा के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि 'काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, यदि संभव हो तो सामाजिक सुरक्षा के किसी अन्य माध्यम द्वारा।' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 22 को सामाजिक सुरक्षा का मूलभूत अधिकार माना जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा का उद्भव एवं विकास

इतिहासकारों ने प्राचीन और मध्यकालीन काल से सभी सभ्यताओं तथा समाजों में सभी सम्राटों एवं राजाओं के परोपकारी दृष्टिकोण को अभिलिखित किया है, यद्यपि इस अवधारणा का आधुनिक उद्भव उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में हुआ है। जर्मनी को सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में यह अग्रणी माना जाता है, जब जर्मनी के तत्कालीन चांसलर ओटो वॉन विस्मार्क के नेतृत्व में, जर्मनी ने कामगार क्षतिपूर्ति कार्यक्रम (1884), 'बीमारी' बीमा कार्यक्रम (1888) और समाजिक बीमा कार्यक्रम (1989) सहित सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की थी। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक समय तक, जर्मनी के लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा की एक विस्तृत प्रणाली विकसित हो गई थी।

इसी बीच 1897 में ब्रिटेन ने 'कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम' लागू करने के पश्चात्, राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, 1911 लागू किया। ब्रिटेन सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध के तुरंत बाद प्रथम एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना की थी। इन सुधारों का मुख्य श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री तथा प्रगतिशील एवं सामाजिक सुधारक, विलियम हैनरी बेवरिज को जाता है, जिन्होंने सरकार के समक्ष एक मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे 'बेवरिज प्लान' के नाम से जाना जाता है। बेवरिज प्लान पर आधारित विद्यमान कार्यक्रमों में से ब्रिटेन की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली (एनएचएस) को आधुनिक समय में स्वास्थ्य सेवा की सुपुर्दगी के लिए आदर्श समझा जाता है।

लेखक विश्व स्वास्थ्य संगठन के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय व्यावसायिक अधिकारी (भारत) के रूप में कार्यरत हैं। ये लोक नीति, गवर्नेंस, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र और लोक स्वास्थ्य में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक हैं। इन्होंने व्यापक रूप से लेखन किया है और ये लोक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समावेशन, धारणीय विकास और स्वास्थ्य शहरों सहित अन्य विषयों के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं। ईमेल: c.lahariya@gmail.com, lahariya@who.int

तालिका 1: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय, 1952 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा आकस्मिकताएं

वृद्धावस्था पेंशन	निर्धारित आयु से अधिक उत्तरजीविता को कवर किया जाएगा।
उत्तरजीवी का लाभ	परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के परिणामस्वरूप किसी विधवा या बच्चे द्वारा सहायता की हानि के पश्चात्
बीमारी छुट्टी लाभ	अवस्था के परिणामस्वरूप काम करने की अक्षमता के कारण अर्जन का स्थगन
रोजगार के दौरान दुर्घाटनाएं	रोजगार संबंधी दुर्घटना या रोग के कारण परिवार के अर्जक व्यक्ति की चिकित्सा देखभाल, बीमारी की छुट्टी, निशक्तता और मृत्यु में शामिल लागत और हानियां।
निशक्तता लाभ	किसी लाभपूर्ण कार्य में संलग्न होने की स्थायी या चिरस्थायी अशक्तता
बेरोजगारी लाभ	काम करने योग्य एवं उपलब्ध संरक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में अक्षमता के कारण अर्जन का स्थगन
पारिवारिक लाभ	बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी
स्वास्थ्य देखभाल	किसी भी अस्वस्थता की स्थिति (गर्भावस्था सहित) का उपचार, चाहे इसका कारण कुछ भी हो
मातृत्व लाभ	गर्भावस्था और प्रसव एवं उसके परिणामों के कारण अर्जन का स्थगन
अन्य कारणों से गारंटी प्राप्त सामाजिक न्यूनतम मानक तक पहुंच न रखने वाले लोगों के लिए सामाजिक सहायता	

1900 और 1920 के दौरान, अमेरिका में वृद्धावस्था सहायता (पेंशन) से आर्थिक सुरक्षा और अंत में सामाजिक सुरक्षा (सामाजिक बीमा के साथ आर्थिक सुरक्षा) प्रदान करने के दर्शन का विकास देखा गया है। अमेरिका ने राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट के शासनकाल में 'सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 लागू किया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1943 में 'एकीकृत राष्ट्रीय सामाजिक बीमा प्रणाली' की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1946 में, फ्रांस ने पियरे लॉर्क के नेतृत्व' में एक ऐसी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाई जिसमें देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा के अंतर्गत कवर किया गया।

इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों और अभिसमयों में प्रभावशाली ढंग से एवं बारम्बार सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित तथा समर्थित किया। वर्ष 1944 की *अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन* की घोषणा को मुख्य उपलब्धि (माइलस्टोन) माना जा सकता है जिसमें प्रभावशाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही, समन्वय और सामाजिक सुरक्षा संस्थानों के बीच आदान-प्रदान के लिए कहा गया है। इस घोषणा में औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करने तथा इस तरह की सुरक्षा और विस्तृत चिकित्सा देखभाल के सभी जरूरतमंद लोगों को आधारभूत आय प्रदान करने के लिए सभी देशों की सहायता करनी जरूरी है।

1952 में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अभिसमय (एन आर 102) अपनाया था, जिसमें सामाजिक सुरक्षा द्वारा कवर की जाने वाली आकस्मिकताएं सूचीबद्ध की गई हैं (तालिका 1) यह अभिसमय अंतरराष्ट्रीय आय श्रम संगठन के सामाजिक सुरक्षा अभिसमयों में सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि आधारभूत सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित यही एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है जो सामाजिक सुरक्षा के लिए विश्वव्यापी रूप से सहमत न्यूनतम मानकों की स्थापना करता है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख

सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को आघात-अवशोषक के रूप में अतिसंवेदनशीलताओं के विरुद्ध लोगों को सुरक्षित, सामाजिक असमानताओं को खत्म करने, गरीबी और भूख समाप्त करने और मानवीय प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्बद्धता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मान्यता दी गई है। इन प्रक्रियाओं को सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) और अब संतुलित विकास लक्ष्य (एसडीजी) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों और अभिसमयों में अंतरराष्ट्रीय एकता और प्रतिबद्धताओं के रूप में चिन्हित किया गया है।

कुछ चुनिंदा देशों में प्रारम्भिक पहल होते हुए भी, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सामाजिक सुरक्षा के उपायों की प्रगति सुस्त रही है। वर्ष 2014 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व की जनसंख्या में से सिर्फ 27 प्रतिशत लोगों की पहुंच विस्तृत सामाजिक सुरक्षा तक है। सामाजिक सुरक्षा पहलों के साथ कई चुनौतियां जुड़ी हुई हैं और निरंतरता एवं सार्वभौमिकता ऐसी दो मुख्य चुनौतियां हैं।

अधिकतर देशों में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चयनित जनसमूह और लाभों के साथ शुरू हुई थीं जिनमें समय के साथ-साथ लाभों तथा चयनित जनसमूहों का विस्तार देखा गया। यद्यपि मुख्य चुनौती निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में है जिनमें उनकी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में अत्यंत सीमित जनसमूह के लिए सीमित प्रावधान होते हैं। ये सभी योजनाएं कागजों में तो बहुत अच्छी प्रतीत होती हैं, यद्यपि वास्तविकता में, विशाल जनसंख्या इनमें कवर नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त, लक्षित जनसमूहों की पहचान मुख्य चुनौती बनी रहती है। इसलिए ये योजनाएं व्यापक और विस्तृत, दोनों संदर्भ में सार्वभौमिक नहीं बन पाती हैं। कवरेज के निरंतर विस्तार पर राजनीतिक ध्यान होना अनिवार्य है और लोगों की प्रत्याशाओं तथा देश की राजकोषीय क्षमता, दोनों को मिलाकर, नियमित आधार पर इन योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए।

निरन्तरता पर, यद्यपि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम के डिजाइन विभिन्न देशों में अलग-अलग हैं। देशों की जनसांख्यिकी और आर्थिक अनुमानों ने यह रेखांकित किया है

कि वर्ष 2050 तक अनेक विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर व्यय जीडीपी में से पांचवें हिस्से के बराबर किया जाएगा। इस संदर्भ में, चूंकि जीवन प्रत्याशा की दर बढ़ रही है और कार्यशील जनसंख्या जो अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचेगी, तब वर्ष में जीडीपी में सेवानिवृत्ति की लागतों की अनुपात में बढ़ोत्तरी जारी रहेगी। जिससे की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की लागत में भी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इस प्रकार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवर और प्रकार पर ध्यान देने के साथ-साथ राष्ट्रीय सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी राजकोषीय योजना बनानी होगी कि सामाजिक सुरक्षा के उपाय जन-सांख्यिकी में परिवर्तन से प्रतिकूल रूप में प्रभावित न हों।

विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में अत्यंत पहचानी गई चुनौती सीमांत वर्ग को होने वाले लाभ को प्रकाशित करने की संस्थागत क्षमता का अभाव है। अधिकांश लक्षित लाभार्थियों का अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजन होने के कारण, अक्सर कुछ लक्षित लाभार्थी समूह योजनाओं में अंशदान और भागीदारी करने के लिए कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं। ऐसे लक्षित लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें गैर-अंशदायी प्रदान करना एक नवोन्मेषी समाधान है जिसे खोजने के साथ-साथ लागू भी कर दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को औपचारिक रूप देने का सबसे महत्वपूर्ण उपकार देश के संविधान द्वारा अध्यादेश प्रदान करके प्रावधान करना है। अधिकांश देशों के संविधानों में सामाजिक सुरक्षा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रावधान होते हुए, यह नोट किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख करने वाले देश अन्य देशों की तुलना में इस तरह के उपायों को लागू करने में बहुत आगे हैं।

वैश्विक स्तर पर विकसित होती हुई सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के कई उदाहरण उपलब्ध हैं। फिनलैंड को विश्व में सर्वाधिक उन्नत एवं विस्तृत सुरक्षा प्रणाली वाला देश माना जाता है। फिनलैंड में, देश के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कवर किया जाता है और इस देश में विशेष जनसमूहों के लिए अलग-अलग प्रणालियां हैं। नागरिकता आधारित सामाजिक सुरक्षा का वित्त पोषण टैक्स द्वारा किया जाता है जबकि इसको स्वायत्त एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रोजगार-आधारित, अर्जन संबंधी सामाजिक सुरक्षा का वित्तपोषण निजी बीमा कम्पनियों और पेंशन फंड को अंशदान करके किया जाता है जबकि इसका प्रशासन फिनलैंड पेंशन फंड द्वारा किया जाता है। इसमें सामाजिक बीमा के साथ-साथ कल्याणकारी प्रावधान भी शामिल होते हैं। फिनलैंड में सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में

तालिका 2: चुनिंदा देशों में सामाजिक सुरक्षा पहलों का सारांश

देश	विवरण
ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया जीवन साधनों की जांच करने के पश्चात् सामाजिक कल्याण भुगतान प्रदान करता है जैसे कोई व्यक्ति/गृहस्थ विभिन्न योजनाओं के लिए तभी पात्र होता है जब उसके पास भुगतानों के बिना जीवन व्यतीत करने के संसाधनों का अभाव होगा। ऑस्ट्रेलिया की कल्याणकारी प्रणाली अत्यंत व्यापक है, तथा इन भुगतानों में परंपरागत प्राप्तकर्ताओं (सेवानिवृत लोग, पति-पत्नी बच्चों, निशक्तजनों, बेरोजगार, बीमार, नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए माता-पिता आदि) सहित विद्यार्थियों, देखभाल प्रदाताओं (बीमार की सेवा करने वाले लोग), मूल निवासियों को भी कवर किया जाता है। इसमें अतिरिक्त अनुपूरक भुगतानों का प्रावधान भी है।
चीन	चीन में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं विशेष रूप से राज्यों के लिए बनाई गई हैं। नियमों को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है जबकि स्थानीय प्राधिकरण इसके प्रशासन और विशेषताओं का निर्णय करता हैं। पिछले चार दशकों में इन योजनाओं में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। इसमें अनेक योजनाएं एवं प्रावधान हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें नियोक्ता - कर्मचारी अंशदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और कुछ को नियोक्ता के अंशदानों के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है यह सभी बीमा योजनाएं विभिन्न सीमाओं के अधीन हैं जैसे व्यक्तियों के लिए मजदूरी सीमा उनके सामाजिक सुरक्षा अंशदान पर सीमा सहित उनकी पिछले वर्ष की आय पर आधारित है।
क्यूबा	क्यूबा में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लगभग सार्वभौमिक है और तीन योजनाओं के वित्तपोषण का मुख्य भार सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यहां पर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की व्याप्ति और परिधि कई विकसित देशों से अधिक व्यापक है। इसके साथ-साथ क्यूबा में विस्तृत मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था है। क्यूबा ने इनमें से अधिकांश प्रावधानों को अत्यंत तीव्र गति और तुलनात्मक रूप से कम लागत पर प्राप्त कर लिया है।
जापान	जापान में एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो लगभग सार्वभौमिक हो गई है। जापान में कम से कम सैद्धांतिक रूप से इस प्रणाली में सभी नागरिकों को भागीदारी करना अनिवार्य है। जापान में आधारभूत रहन-सहन के खर्चे, आवासीय लागत, अनिवार्य शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण लागतों, स्वास्थ्य बीमा और अंत्येष्टि को कवर करने वाले सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम भी विद्यमान है। यह प्रणाली पिछले कुछ वर्षों से महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। यह अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है जो की वृद्धावस्था जनसंख्या की ओर बढ़ रहे हैं।
फिलीपींस	फिलीपीन की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली राज्य द्वारा संचालित की जाती है। यहां पर निजी व्यवसायिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के लिए सामाजिक बीमा कार्यक्रम विद्यमान है। एसएसएस द्वारा तीन कार्यक्रमों को प्रशासित किया जा रहा है। उनके नाम हैं: (क) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (ख) चिकित्सा देखभाल कार्यक्रम और (ग) कर्मचारी क्षतिपूर्ति (ईसी) कार्यक्रम। सरकारी कर्मचारियों को सरकारी सेवा बीमा प्रणाली (जी एस आई एस) द्वारा प्रबंधित अलग राज्य पेंशन फंड के अधीन कवर किया गया है।

विस्तृत स्वास्थ्य प्रणाली है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में पांच अन्य देशों की सामाजिक सुरक्षा पहल और प्रणालियों की सूची तालिका में दी गई है।

विभिन्न देशों की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में कुछ समान विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं का सार निम्नानुसार है:

- अधिकतर सभी देशों ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ और न्यूनतम मजदूरी आदि के प्रावधानों को शामिल किया है।
- अतिरिक्त लक्षित जनसमूह को कवर करने के प्रयास उप-इष्टतम हैं और वर्तमान अधिकतर लाभों के साथ कवरेज विस्तृत तथा सार्वभौमिक से कम रही है।
- सामाजिक सुरक्षा पहलों के भाग के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने की सामान्य सहमति है। यद्यपि, केवल कुछ ही देशों ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति करने के लिए तंत्रों की स्थापना की है।
- अधिकांश अच्छी प्रगति करने वाले देशों में योजनाओं को अभिमुख करने और कार्यान्वयन को एकीकृत करने का प्रयास किया है। इन समस्याओं में प्रदाताओं को इन सेवाओं के खरीदारों से अलग किया गया है और सरकार की तरफ से इन प्रावधानों को एक या एक से अधिक स्वतंत्र और स्वायत्त एजेंसी द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- संघीय संरचना में, प्रांत और राज्य इन योजनाओं को बनाते एवं लागू करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सौहार्दता लाने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और नियम एवं विनियम प्रदान करते हैं।
- इन सेवाओं के इष्टतम प्रवर्धन के लिए संशोधन और लर्निंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रयोग जैसी नवोन्मेषी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसके साथ-साथ, जरूरत पड़ने पर देशों ने उचित विधायी और कानूनी प्रावधानों द्वारा इन प्रणालियों का समर्थन किया है।

भारत के लिए कार्ययोजना

स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षों पश्चात्, वर्तमान में भारत युवा जनसंख्या (जनसांख्यिकी लाभांश की क्षमता के साथ) और तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था, वैश्विक मंदी से मुख्य रूप से अप्रभावित देश है। शायद ये सर्वाधिक उचित समय है जब भारत में सामाजिक सुरक्षा की विद्यमान प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

इसको शुरू करने के लिए, भारत में सामाजिक सुरक्षा उपायों की एक शक्ति यह है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 41 और 42, भाग IV के माध्यम से रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निशक्तता की स्थिति में सहायता की चर्चा करता है। भारत में सामाजिक सुरक्षा उपायों का विस्तार करने के लिए यह एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा है।

कई मायनों में, भारत को सामाजिक सुरक्षा शुरू करने वाला अग्रणी देश माना जा सकता है और भारत में वर्ष 1923 में 'कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम' लागू कर दिया गया था। अतिरिक्त लक्षित जनसमूहों के साथ, नई योजनाओं को हमेशा से सूची में शामिल किया गया है और यह सम्पूर्ण व्यवस्था कागजों पर कारगर प्रतीत होती है। यद्यपि, विश्व के अन्य भागों की तरह (भारत और भारत के राज्यों) में चुनौतियां एक समान हैं जैसे विखंडित योजनाएं, योजनाओं का उप-इष्टतम कार्यान्वयन और प्रसार (यहां तक कि हाल ही में की गई पहल और योजनाओं पर भी लागू)। इस संदर्भ में, भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्याप्ति और परिपधि को बढ़ाने के लिए कम से कम न्यूनतम सात कदम उठाए जा सकते हैं (बॉक्स 1 में सूचीबद्ध)।

बॉक्स 1: भारत के लिए कार्ययोजना

सार्वभौमीकरण के लिए सहमति और विकास
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा स्वायत्त संस्थान स्थापित करने पर विचार
नवोन्मेषी वित्तपोषण प्रणाली के साथ सामाजिक क्षेत्र की निवेश योजना का विकास
एकजुटता सहित जन जागरूकता एवं संवाद पर ध्यान
सामाजिक सुरक्षा के उपायों में अंश के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर विचार
अन्य सरकारों द्वारा अतिसक्रिय नेतृत्व
विधायी एवं कानूनी सुधारों पर विचार कर

सार्वभौमीकरण के लिए सहमति और विकास

अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह सुझाव देता है कि लक्षित लाभार्थियों के समावेशन के लिए व्यवस्थित तंत्र होना चाहिए, नहीं तो उनके बाहर होने की संभावना है। इस प्रकार के प्रयासों की परिधि और व्याप्ति बढ़ाने के लिए रोडमैप उपलब्ध होना चाहिए और पर्याप्त कानूनी प्रावधानों के साथ रोडमैप को सरकार द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया जाना जरूरी है, जिससे कि लोक जवाबदेहता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सहायक संस्थागत प्रणालियों को स्थापित करने की जरूरत के साथ-साथ कार्यक्षमता लाने के लिए कई विद्यमान योजनाओं का एकीकरण भी जरूरी है। आधार और जनधन योजना जैसी हाल ही की पहलें सामाजिक समावेशन का उत्कृष्ट मंच प्रदान कर सकती हैं और इन्हें कार्यान्वयन के लिए रोडमैप और फ्रेमवर्क के रूप में गढ़ा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा स्वायत्त संस्था स्थापित करने पर विचार

कई देशों ने अधिकतर सामाजिक सुरक्षा लाभों/स्कीमों को प्रशासित करने के लिए स्वास्थ्य एजेंसियों की स्थापना की है। भारत में, अनेक सामाजिक सुरक्षा प्रावधान मौजूद हैं जिन्हें बुरी तरह से लागू किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर इस प्रकार की स्वायत्त एजेंसी निपुणता तथा कार्यान्वयन की प्रभावकारिता उत्पन्न करेगी। यह सरकार को विभिन्न प्रावधानों के प्रशासन के लिए नीति और एजेंसी को बनाने की अनुमति देगी।

नवोन्मेषी वित्त पोषण प्रणाली के साथ सामाजिक क्षेत्र की निवेश योजना का विकास

अनुभव यह दर्शाता है कि किसी देश का व्यापक एवं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा उपायों को शुरू करने के लिए समृद्ध होना जरूरी है। इसके बजाय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में निवेश आर्थिक वृद्धि के लिए सुविधाजनक हो सकता है। यह अत्यंत रूप से उपयोगी होगा यदि संसाधन की जरूरतों की स्पष्ट समझ के साथ और बदलती हुई जनसांख्यिकी पर विधिवत विचार करते हुए अगले 15 या 20 वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना का विकास किया जाता

है। ये सभी उपाय निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय आवंटन के लिए नवोन्मेषी और आश्वस्त प्रणाली की सूची प्रस्तावित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, संवैधानिक और कानूनी संशोधन द्वारा चयनित और लक्षित जनसमूहों से अनिवार्य अंशदान को लागू किया जा सकता है।

एकजुटता सहित जन जागरुकता एवं संवाद पर ध्यान

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में एकजुटता महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें लोग वंचित एवं कम-खुशकिस्मत लोगों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हों। अमीर, गरीब का साथ दें; शिक्षित लोग, कम शिक्षित लोगों का साथ दें और संगठित क्षेत्र के कर्मचारी बेरोजगारों या असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी महत्व दें। इस प्रकार की पहलों में समुदाय को शामिल करके और जागरुकता सृजन के प्रयासों के माध्यम से एकजुटता स्थापित की जा सकती है जो कि विद्यमान योजनाओं की बढ़ी हुई समझ में भी योगदान देगी।

सामाजिक सुरक्षा के उपायों में अंश के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर विचार

भारत में लगभग 6 करोड़ 30 लाख लोग वार्षिक रूप से स्वास्थ्य संबंधी महंगे व्ययों (ओओपीई) के कारण गरीबी में आ जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग, इस समस्या के कारण और गहन गरीबी में चले जाते हैं। अन्य शब्दों में, स्वास्थ्य संबंधित व्यय और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के अभाव में देश में गरीबी उन्मूलन के लिए लक्षित प्रयासों सहित सामाजिक सुरक्षा के सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। मूल तथ्य यह है कि स्वास्थ्य पर सरकार का निम्न खर्च जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 30 प्रतिशत है, विश्व में सबसे कम व्यय है। लोगों द्वारा कुल स्वास्थ्य व्यय का 65 प्रतिशत ओओपीई विश्व में सर्वाधिक उच्च है। यह स्पष्ट रूप से तब सिद्ध होता है जब स्वास्थ्य पर सरकार अधिक निवेश करती है तो लोगों को स्वास्थ्य पर कम खर्च करना पड़ता है और यह गरीबी के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा का उपाय बन जाता है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य में निवेश जीडीपी की उच्चतर दर और आर्थिक विकास में योगदान होता है। कई देशों से स्वाभाविक रूप से, अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंश के रूप में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणालियों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का मार्ग चुना है। भारत और भारत की राज्य सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य पर अधिक निवेश और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के लिए प्रणालियों का विकास करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीआई) जैसी योजनाएं बेहतर इच्छा से शुरू की गई हैं, यद्यपि भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर इस योजना में व्यय सरकार के कुल व्यय के एक प्रतिशत से भी कम है। स्वाभाविक रूप से, इस योजना का प्रभाव सीमित रहा है। यह उपयुक्त समय है जब इस योजना और प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम (एनएचपीएस) को लॉन्च किया जाए और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति करने के लिए स्वास्थ्य पर सरकार के बढ़ते हुए निवेश की दृष्टि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाए। हाल ही में जारी की गई भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) को लागू करके भारत में यूएचसी की दिशा में प्रगति करने में योगदान मिलेगा।

अन्य सरकारों द्वारा अतिसक्रिय नेतृत्व

भारत जैसी संघीय व्यवस्था वाले देश में, सामाजिक सुरक्षा उपायों में राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यह सामाजिक सुरक्षा के प्रयासों को सफल बनाने के लिए पर्याप्त लचीलापन और विन्डो प्रदान करता है। जबकि केंद्र सरकार के वित्तीय एवं राजकोषीय संसाधन सदैव सीमित रहे। यद्यपि कार्यान्वयन का अन्तर तब होता है जब राज्य का उच्च राजनीतिक नेतृत्व दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता दर्शाता है। कई भारतीय राज्य इस चरण में हैं जहां ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सहित सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के सार्वभौमिकरण के लिए देश के अन्य राज्यों का पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं।

विधायी एवं कानूनी सुधारों पर विचार

सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की निरन्तरता के लिए वैधानिक एवं कानूनी समर्थन की जरूरत होती है। एक समय बिन्दु पर पहुंचकर, टैक्स-आधारित वित्तपोषण को उन लोगों से अनिवार्य अंशदान लेकर बदला जा सकता है जो इसका भुगतान करने योग्य हों, इन प्रावधानों का कुशल प्रबंधन न होने पर योजनाओं की निरन्तरता एक चुनौती बन जाएगी। इसे वैधानिक और कानूनी प्रावधानों का समर्थन प्रदान करना जरूरी है, यदि जरूरत हो तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं। भारत में इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विषय विशेषज्ञों, प्रमुख अकादमिक एवं नीति संस्थाओं का मार्गदर्शन अनिवार्य है।

निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन का पिछले कुछ दशकों में विकास हुआ है और इस संबंध में आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में अनेक देशों से सीख ली जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा भारत के संवैधानिक प्रावधानों का हिस्सा रही है और भारत में सभी सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर इसको प्राथमिकता दी है। हालांकि इन योजनाओं की कवरेज और प्रभाव सीमित रहा है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमीकरण एवं निरंतरता की दिशा में प्रगति करने के लिए, भारत द्वारा वैश्विक अनुभवों से सीख ली जा सकती है। यह सामाजिक क्षेत्र निवेश योजना, इन योजनाओं में शामिल एजेंसियों और स्कीमों के एकीकरण, ऐसी स्कीमों के लिए अंशदान देने के लिए लोगों में एकजुटता की भावना और राज्य सरकारों द्वारा नेतृत्व के माध्यम से संभव है। इसके साथ-साथ सामाजिक कल्याण प्रणाली के रूप में यूएचसी पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए सार्वभौमिक और पोषणीय प्रणालियां तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, उपयुक्त धारणीय विकास लक्ष्यों व (एसडीजी) की प्रगति के साथ-साथ देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य और कवरेज (यूएचसी) प्राप्ती करने में योगदान देंगी। ❑

संदर्भ

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017):** भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली: 2017
- **अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघः** विश्व भर में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः चौथा संस्करण, यूरोप, एशिया और प्रशांत; अमेरिका और अफ्रीका; वर्ष 2011-12 में प्रकाशित। आईएसएसए एवं सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, अमेरिका, वॉशिंगटन डी सी, 2011
- **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनः** आईएलओ सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अभिसमय, 1752
- **श्रम स्वास्थ्य संगठनः** स्वास्थ्य वित्त पोषणः सार्वभौमिक कवरेज की ओर, डब्लूएचओ रिपोर्ट 2010, जेनेवा 2010

नारी शक्तिः महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अखिल भारतीय कार्यान्वयन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के मातृत्व लाभ कार्यक्रम के पैन-इंडिया के कार्यान्वयन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी जिसे अब देश के विभिन्न जिलों तक विस्तारित किया गया है और वह 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर, 2016 को अपने संबोधन में मातृत्व लाभ कार्यक्रम के पैन इंडिया कार्यान्वयन की घोषणा की थी। मातृत्व लाभ कार्यक्रम नकद प्रोत्साहन के रूप में मजदूरी क्षति की प्रतिपूर्ति करेगा ताकि महिलाएं प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम ले सकें और उचित पोषण से वंचित न रहें।

01.01.2017 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए प्रस्ताव की कुल लागत जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार का हिस्सा शामिल है, 12,661 करोड़ रुपये है। 01.01.2017 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान भारत सरकार का हिस्सा 7932 करोड़ रुपये के आसपास बैठता है।

योजना का उद्देश्य

(क) प्रथम जीवित बच्चे के जन्म के बाद नकद प्रोत्साहन के रूप में मजदूरी क्षति की आंशिक प्रतिपूर्ति करना ताकि महिलाएं प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम ले सकें।

(ख) प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहनों से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली (पीडब्ल्यू एंड एलएम) मां के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग एवं अन्य संबंधित समस्याओं के प्रभाव को कम कर स्वास्थ्य में सुधार होगा।

लक्ष्य समूह

सभी योग्य गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (पीडब्लू और एलएम), इनमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नियमित रोजगार में या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या इस दौरान किसी कानून के तहत समान लाभ ले रही गर्भवती महिलाएं या

नारी शक्ति : स्वस्थ मां स्वस्थ राष्ट्र

मैटर्निटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) एक्ट, 2017 के तहत मैटर्निटी लीव की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह कर दी गई

गर्भवती और स्तनपान कराती महिलाओं के समुचित पोषण के लिए ₹ 6,000 की मातृत्व सहायता

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानः

- सुरक्षित गर्भावस्था को सामाजिक अभियान बनाया
- सेवाएं देने के लिए 11,000 से अधिक केंद्र
- 33 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच

महिला ई-हाटः

- महिला उद्यमियों की **सभी जरूरतों** को पूरा करने के लिए सुलभ हाट
- तकनीक के माध्यम से उनके उत्पादों को **बड़ा बाजार** मिला
- **आर्थिक विकास** में सभी की भागीदारी सुनिश्चित

सशस्त्र बलों में महिलाओं की नियुक्ति

पिछले वर्ष पहली बार 3 महिला पायलट को भारतीय वायु सेना में शामिल किया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

धुएं से मुक्त स्वस्थ भविष्य

बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन

- 2 करोड़ से ज्यादा बीपीएल महिलाओं को जानलेवा धुएं से मिली मुक्ति
- 37 प्रतिशत लाभार्थी एसटी/एससी समुदाय से

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

सस्ते आवास

ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ सस्ते आवासों का पंजीकरण महिलाओं के नाम

स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल नहीं हैं। एमडब्ल्यूसीडी के प्रथम जीवित बच्चे के जन्म पर पीडब्ल्यू और एलएम को तीन किश्तों में 5000/- रुपये की राशि का लाभ प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया है और शेष नकद प्रोत्साहन मौजूदा कार्यक्रमों के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संस्थागत वितरण के बाद प्रदान किया जाता है। इसके तहत औसतन, एक महिला को 6000 रुपये मिलेंगे।

शर्तें और किश्त

- पात्र गर्भवती महिलाएं और स्तन पान कराने वाली माताओं को तालिका 1 में निर्दिष्ट
- निम्नलिखित चरणों में तीन किश्तों में 5000/- रुपये का नकद लाभ प्राप्त होगा।
- पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन मौजूदा कार्यक्रमों के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संस्थागत वितरण के बाद प्रदान किया जाना जारी रखा जाएगा। इसके तहत औसतन, एक महिला को 6000 रुपये मिलेंगे।
- लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण का तरीका
- सशर्त नकद हस्तांतरण योजना डीबीटी मोड में होगी।

पृष्ठभूमि

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर महिला को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के समय के दौरान पर्याप्त समर्थन और स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त हो और हर नवजात शिशु समय पर प्रतिरक्षित हो जाए जो मां और नवजात शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नींव की तरह है।

आम तौर पर, किसी महिला की पहली गर्भावस्था उसके सामने नई चुनौती और तनाव के कारक उजागर करती है। इसलिए, यह योजना सुरक्षित प्रसव के लिए मां को सहायता प्रदान करने और उसे अपने पहले जीवित बच्चे के प्रतिरक्षण प्रदान करने पर लक्षित है। पीडब्लू और एलएम के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल व्यवहार की मांग से मां और बच्चे के लिए बेहतर स्वास्थ्य स्थिति बनेगी। ❑

तालिका 1: शर्तें व किश्त

हस्तांतरण	शर्तें	राशि (रु. में)
पहली किश्त	गर्भावस्था के पंजीकरण के तुरंत बाद	1,000/-
दूसरी किश्त	कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच के बाद (गर्भधारण के 6 महीने बाद)	2,000/-
तीसरी किश्त	बच्चे के जन्म का पंजीकरण	
	बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हैपेटाइटिस-बी या इसके समकक्ष/पूरक का एक चक्र पूरा हो गया हो	2000/-

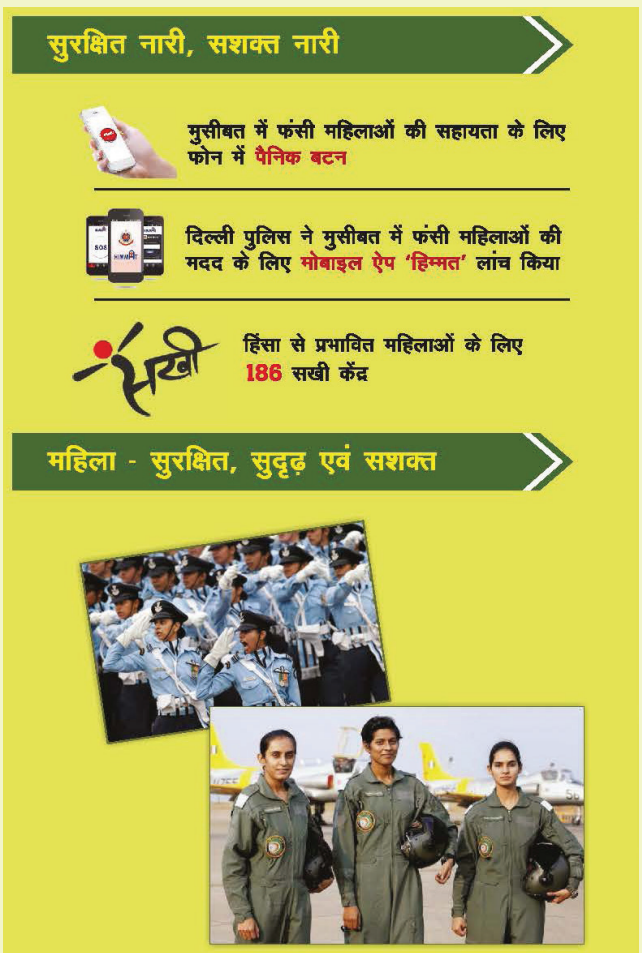

एनपीएस-लाइट/स्वाबलम्बन योजना और अटल पेंशन योजना

संगठित क्षेत्र के वंचित लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत हेतु प्रोत्साहित करने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2010 में एक सह-अंशदायी पेंशन योजना स्वाबलंबन की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत सरकार किसी *एनपीएस-लाइट/स्वाबलंबन* अभिदाता, जो अपने *स्वाबलंबन* खाते में न्यूनतम 1000/- रुपये से लेकर अधिकतम 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष अंशदान करेगा, ऐसे अभिदाता के खाते में पांच वर्षों की अवधि या वर्ष 2016-17 जो भी पहले हो, तक 1000/- रुपये का अंशदान करेंगी। योजना का क्रियान्वयन विशेषताओं पर आधारित एनपीएस लाइट के कम लागत समूह मॉडल द्वारा किया जाता है।

व्यक्तिगत अभिदाताओं द्वारा किया गया अंशदान निवेश हेतु एक स्रोत का काम करता है जबकि रिकार्डों को व्यक्तिगत रूप से रखा जाता है। व्यक्तियों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों से अंशदान प्राप्त करने की प्रणाली काफी लचीली है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अभिज्ञात व्यावसायिक समूहों जैसे आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, निर्माण मजदूरों इत्यादि के लिए *एनपीएस-लाइट/स्वाबलंबन* को अपनाया है। राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले अंशदान और लाभार्थियों की श्रेणियों का राज्यवार विवरण तालिका-1 में दिया गया है। योजना का संचालन जमीनी स्तर पर काम करने वाले मध्यवर्ती संस्था के द्वारा किया जाता है जिसे *एग्रीगेटर* कहा जाता है। यह संस्था पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत होती है और एग्रीगेटरों के लिए पीएफआरडीए के विनियमों के अनुसार अभिदाताओं को पेंशन खाता खोलने, आवधिक अंशदान का संकलन और न्यासी बैंक के साथ इसे एनपीएस न्यास के खाते में जमा कराने इत्यादि सेवाएं प्रदान करते हैं।

तालिका 1: राज्य सरकारें जो अपने विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एनपीएस-स्वाबलंबन में सह अंशदान कर रही हैं

एजेंसी का नाम	लाभार्थी	सह-अंशदान
ए.पी. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	भवन और निर्माण कर्मचारी	रु. 1000/- प्रति वर्ष
महिला और बाल विकास निदेशालय, कर्नाटक	आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायक	आंगनवाड़ी कर्मचारी: रु. 1800/- प्रतिवर्ष आंगनवाड़ी सहायिका: रु. 1004/- प्रतिवर्ष
कर्नाटक असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड	निर्दिष्ट सूची के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी	रु. 1000/- प्रतिवर्ष
झारखंड भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड रांची	भवन और निर्माण कर्मचारी	रु. 1000/-
राजस्थान भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड	भवन और निर्माण कर्मचारी	रु. 1000/-
छत्तीसगढ़ सरकार	निर्दिष्ट सूची के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी	रु. 1000/-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	निर्दिष्ट सूची के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी	रु. 1000/-
असम सरकार	निर्दिष्ट सूची के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी	रु. 1000/-
हरियाणा सरकार	गन्ना उत्पादक, संस्थाएं/ सहकारी चीनी मिल/हेफेड चीन मिल/दुग्ध सहकारी और आंगनवाड़ी कर्मचारी	रु. 1200/- प्रतिवर्ष
मध्य प्रदेश सरकार	भवन और निर्माण कर्मचारी	रु. 1000/- प्रतिवर्ष

31 मार्च 2017 तक लगभग 42.39 लाख अभिदाताओं ने एनपीएसलाइट/स्वाबलंबन योजना के अंतर्गत नामांकन करवाया है। तत्पश्चात, मई 2015 से *अटल पेंशन योजना* की शुरुआत के बाद, *स्वाबलम्बन योजना* के अंतर्गत नए नामांकन पर रोक लगा दी गई है और 18 से 40 वर्ष की आयुसमूह के अभिदाताओं *अटल पेंशन योजना* में स्थानांतरित होने की सलाह दी गई है। एपीवाई में स्थानांतरण के लिए, *एनपीएस-लाइट/स्वाबलंबन* अभिदाता को *एनपीएस-लाइट/स्वाबलंबन* कार्ड और आधार कार्ड के साथ उस बैंक में जाने की आवश्यकता होती है जहां उसका बचत बैंक खाता और बचत बैंक पासबुक है। यदि अभिदाता का बचत बैंक खाता नहीं है या आधार कार्ड नहीं है तो उसे सबसे पहले अपना बचत बैंक खाता खुलवाना चाहिए और आधार कार्ड हेतु नामांकन करवाना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक *स्वाबलंबन* योजना में बने रह सकते हैं।

अटल पेंशन योजना

भारत सरकार गरीब कामगारों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और उन्हें अटल पेंशन योजना में शामिल करने के लिए समर्थ बनाने और प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के दीर्घ आयु जोखिम से निपटने और उन्हें उनकी वृद्धावस्था/सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मई 2015 में *अटल पेंशन योजना* (एपीवाई) का शुभारंभ किया। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी नामांकन करवाने वाले दिन आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम है, अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों की किसी भी शाखा और भारतीय डाक की अधिकृत शाखाओं जिनके पास *कोर बैंकिंग सोल्यूशन* (सीबीएस) है और

जिन्होंने सीबीएस के साथ एपीवाई मॉडयुल को संचरित कर लिया है, के माध्यम से योजना में शामिल हो सकता है। कुछ ही बैंक कागजरहित वातावरण में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अभिदाताओं का पंजीकरण कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 228 बैंक और भारतीय डाक देशभर में अपनी 14,500 शाखाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

एपीवाई के अंतर्गत, अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, उसके अंशदान के आधार पर, जो कि उसके एपीवाई में शामिल होने की आयु और चयनित मासिक पेंशन पर आधारित होता है, 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये की एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन प्राप्त करेगा। मासिक 1000/- रुपये की पेंशन के लिए मासिक अंशदान राशि 42 रुपये जितनी छोटी राशि होगी किसी ऐसे अभिदाता के लिए जो 39 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है। केंद्र सरकार 31 मार्च, 2016 तक या इससे पूर्व योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक पात्र अभिदाता, जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं है और जो आयकरदाता नहीं है, के खाते में 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या 1000/- रुपये वार्षिक जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। कोई भी व्यक्ति संचयन अवधि के दौरान अपनी पेंशन राशि को वर्ष में केवल एक बार अप्रैल महीने में घटा या बढ़ा सकता है। आवधिक अंशदान राशि तदनुसार समायोजित होगी। यदि 60 वर्ष की आयु के बाद, पेंशन प्राप्त करने के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, उसके पति/पत्नी को आजीवन समान पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। अभिदाता और उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर नामिति को संचित पेंशन राशि लौटा दी जाएगी।

हालांकि, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व अभिदाता की आकस्मिक मृत्यु होने पर, पति/पत्नी के पास शेष अवधि के लिए खाते में अंशदान जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है ताकि वह जिस तिथि से मूल अभिदाता को पेंशन मिलना आरंभ होगी, उस तिथि से पेंशन प्राप्त कर सके। यदि अभिदाता अंशदान जारी नहीं रखना चाहता या योजना से निकास चाहता है तो उसे केवल उसके द्वारा किया गया अंशदान और उस पर प्रोद्भूत प्रतिलाभ, रख-रखाव और निवेश प्रबंधन शुल्कों की कटौती के बाद लौटा दिया जाएगा। न्यूनतम पेंशन की गारंटी भारत सरकार की होती है।

यदि संचयन अवधि के दौरान पेंशन अंशदान पर वास्तविक प्रतिलाभ न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन हेतु कल्पित प्रतिलाभ से अधिक है तो ऐसी वर्धित प्रतिलाभ को उच्च लाभ के रूप में अभिदाता को दे दिया जाएगा। इसका आशय है कि जहां नकारात्मक पक्ष जोखिम को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा वहीं अधिक लाभ को अभिदाता/लाभार्थी को दे दिया जाएगा। इस प्रकार एपीवाई स्वाबलंबन से इस प्रकार बेहतर है कि सरकारी सह-अंशदान के अलावा इसमें न्यूनतम *गारंटीयुक्त पेंशन* की व्यवस्था है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान पर लागू निवेश पद्धति का अनुसरण करती है। वर्ष 2016-17 के अनुसार इसने 13.91 प्रतिशत की दर से प्रतिलाभ अर्जित किया।

अभिदाता अपनी संव्यवहार विवरणिका (एसओटी) और ई-प्रान को ऑनलाइन देख सकते हैं और www.npscra.nsdl.co.in और www.npstrust.org.in वेबसाइट के अंतर्गत अटल पेंशन योजना भाग में जाकर एसओटी और ई प्रान कार्ड का प्रिन्ट ले सकते हैं। इन सभी को एपीवाई प्रान संख्या और बचत बैंक खाता संख्या विवरण उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है। जिस अभिदाता के पास एपीवाई प्रान संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है वह भी अपनी जन्म तिथि और बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध करा कर इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।

ये ऑनलाइन सुविधाएं अभिदाता को अपने एपीवाई खाते के सम्पूर्ण विवरण जैसे संव्यवहार विवरण, पेंशन राशि,पेंशन प्रारंभ होने की तिथि, नामिति विवरण, संबंधित बैंक का नाम इत्यादि देखने में समर्थ बनाते हैं। अभिदाता ई प्रान कार्ड का प्रिन्ट ले सकते हैं और भविष्य के संदर्भ हेतु, यदि आवश्यक हो तो अपने पास रख सकते हैं। यदि एपीवाई खाते में पेंशन राशि, आवधिक अंशदान, पेंशन विवरणों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो अभिदाता अपने ई प्रान कार्ड का दुबारा प्रिन्ट ले सकता है जो अद्यतन अभिदाता रिकार्ड में परिलक्षित होगा। इसके अतिरिक्त अभिदाता https//npslite-nsdl.com/CRAlite/grievance पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

13 जून, 2017 तक लगभग 54.71 लाख अभिदाता एपीवाई के अंतर्गत नामांकन करवा चुके हैं। पुरुष अभिदता 62 प्रतिशत है जबकि महिला अभिदाता लगभग 38 प्रतिशत हैं। अधिकांश अभिदाताओं ने मासिक अंशदान को चुना है, लगभग 97.5 प्रतिशत अभिदाता मासिक अंतराल पर लगभग 0.8 अभिदाता तिमाही आधार पर और लगभग 1.7 अभिदाता अर्ध वार्षिक आधार पर अंशदान कर रहे हैं। अभिदाताओं की अधिकांश संख्या (51.5 प्रतिशत) ने 1000 रुपये की मासिक पेंशन का चयन किया है और 34.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने 5000/- रुपये की मासिक पेंशन का चुनाव किया है। मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अंशदान किश्तों का आयुवार और चयनित पेंशनवार विवरण को तालिका 2 (पृष्ठ 40) में दिया गया है। ❑

तालिका 2: अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदान विवरण

कार्पस निधि से नामिति को देय सांकेतिक रिटर्न		प्रतिमाह 1000 रुपये की निश्चित पेंशन			प्रतिमाह 2000 रुपये की निश्चित पेंशन			प्रतिमाह 3000 रुपये की निश्चित पेंशन			प्रतिमाह 4000 रुपये की निश्चित पेंशन			प्रतिमाह 5000 रुपये की निश्चित पेंशन		
		₹ 1.7 लाख			₹ 3.4 लाख			₹ 5.1 लाख			₹ 6.8 लाख			₹ 8.5 लाख		
प्रवेश आयु	निवेश अवधि	मासिक अंशदान	तिमाही अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	तिमाही अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	तिमाही अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	तिमाही अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	तिमाही अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान
18	42	42	125	248	84	250	496	126	376	744	168	501	991	210	626	1239
19	41	46	137	271	92	274	543	138	411	814	183	545	1080	228	679	1346
20	40	50	149	295	100	298	590	150	447	885	198	590	1169	248	739	1464
21	39	54	161	319	108	322	637	162	483	956	215	641	1269	269	802	1588
22	38	59	176	348	117	349	690	177	527	1045	234	697	1381	292	870	1723
23	37	64	191	378	127	378	749	192	572	1133	254	757	1499	318	948	1877
24	36	70	209	413	139	414	820	208	620	1228	277	826	1635	346	1031	2042
25	35	76	226	449	151	450	891	226	674	1334	301	897	1776	376	1121	2219
26	34	82	244	484	164	489	968	246	733	1452	327	975	1930	409	1219	2414
27	33	90	268	531	178	530	1050	268	799	1582	356	1061	2101	446	1329	2632
28	32	97	289	572	194	578	1145	292	870	1723	388	1156	2290	485	1445	2862
29	31	106	316	626	212	632	1251	318	948	1877	423	1261	2496	529	1577	3122
30	30	116	346	685	231	688	1363	347	1034	2048	462	1377	2727	577	1720	3405
31	29	126	376	744	252	751	1487	379	1129	2237	504	1502	2974	630	1878	3718
32	28	138	411	814	276	823	1629	414	1234	2443	551	1642	3252	689	2053	4066
33	27	151	450	891	302	900	1782	453	1350	2673	602	1794	3553	752	2241	4438
34	26	165	492	974	330	983	1948	495	1475	2921	659	1964	3889	824	2456	4863
35	25	181	539	1068	362	1079	2136	543	1618	3205	722	2152	4261	902	2688	5323
36	24	198	590	1169	396	1180	2337	594	1770	3506	792	2360	4674	990	2950	5843
37	23	218	650	1287	436	1299	2573	654	1949	3860	870	2593	5134	1087	3239	6415
38	22	240	715	1416	480	1430	2833	720	2146	4249	957	2852	5648	1196	3564	7058
39	21	264	787	1558	528	1574	3116	792	2360	4674	1054	3141	6220	1318	3928	7778

स्रोत: *पीएफआरडीए*

महिला कामगारों की सामाजिक सुरक्षा

सरोज सिंह

कामगार महिलाओं के लिए योजनाओं, संवैधानिक प्रावधानों और प्रशिक्षण की कमी नहीं है। जरूरत है तो इन योजनाओं, संवैधानिक प्रावधानों और प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं को इसके लिए प्रचार-प्रसार करने की। साथ ही अलग से आंकड़े रखने की कि हर योजना से महिलाओं को कितना लाभ पहुंचा

देश की कुल आबादी में महिलाओं का हिस्सा 48 फीसदी है, लेकिन देश के श्रम बल में महिलाओं का योगदान आबादी के मुकाबले बहुत कम है। वर्ष 2017 में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केवल 27 फीसदी महिलाएं ही कामकाजी हैं। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में महिला कामगारों की संख्या 14 करोड़ 98 लाख है। इनमें 12 करोड़ 18 लाख महिलाएं ग्रामीण इलाकों में काम करती हैं और तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख महिलाएं शहरी इलाकों में काम करती हैं। गांवों में काम करने वाली 12 करोड़ 18 लाख महिलाओं में से 97.4 फीसदी महिलाएं कृषि क्षेत्र यानि खेती-बारी से जुड़े काम करती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को माने तो देश में उपलब्ध कुल कामगारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 25.51 फीसदी है। इन आकड़ों में वर्ष 2001 के आंकड़ों के मुकाबले थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2001 में देश में महिला कामगारों की हिस्सेदारी 25.63 फीसदी हुआ करती थी। हालांकि 2011 के आंकड़े 1991 के मुकाबले थोड़े बेहतर जरूर हैं, क्योंकि 1991 में महिला कामगारों की हिस्सेदारी 22.27 फीसदी थी।

महिला कामगारों के इन आंकड़ों के पीछे की बड़ी वजह कामकाज के दौरान सामाजिक सुरक्षा के अभाव को माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा के कई अहम आयाम हैं, जैसे कि - स्वास्थ्य, बीमारी, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रोजगार में रहते हुए कोई अपंगता, परिवार के लिए सहायता, प्रसव और मातृत्व से जुड़ी सुविधाएं। हर देश अपने हितों को ध्यान में रखते कामगारों की बेहतरी के लिए ऐसी सुविधाओं उन्हें मुहैया कराता है। भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हित में महिला कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनके लिए अंतरराष्ट्रीय मानक पर इस तरह की कई योजनाएं बनाई हैं।

भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक कानून बनाया गया है। *असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम* 2008 के तहत भारत सरकार कई तरह की समाजिक सुरक्षा सुविधाओं के लिए योजनाएं चलाती है:

1. जीवन और अपंगता से संबंधित
2. स्वास्थ्य और प्रसूति संबंधित
3. वृद्धावस्था संबंधित
4. इसके आलावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी और मामले पर।

ऐसी योजनाओं के साथ कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किये गये हैं। इनमें कुछ सिर्फ महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर चलाए जा रहे हैं, जबकि कुछ पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बनाए गये हैं, लेकिन महिलाओं का इन योजनाओं और प्रवाधानों में खास ख्याल रखा गया है। ऐसा इसलिए ताकि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का अहसास हो और उनके साथ महिला होने के कारण किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो और उनकी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही उनसे काम कराया जा सके। सबसे पहले महिलाओं पर केन्द्रित योजनाओं और संवैधानिक प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं।

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। टीवी पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष के अनुभव के बाद संप्रति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महिला पत्रकारों के करियर की स्थिति पर शोध कर रही हैं। महिला, मानव संसाधन, श्रम सुधार इनके पसंदीदा विषय हैं। ईमेल: saroj01@gmail.com

समान वेतन अधिनियम, 1974

इस कानून के तहत महिला और पुरुष किसी भी संस्था में अगर एक ही जैसा काम कर रहे हों, तो दोनों के वेतन-भत्ते में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इस कानून का उद्देश्य कामगार महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का था लेकिन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले एक ही काम करने के लिए औसतन 30 फीसदी ज्यादा वेतन दिया जाता है। कम पैसा पाने वाली महिलाओं में ये अंतर 60 फीसदी तक है जबकि ज्यादा वेतन कमाने वाली महिलाओं में यह अंतर 15 फीसदी तक है।

कारखाना अधिनियम, 1948

वैसे तो यह कानून फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए बनाया गया है लेकिन इसमें विशेष तौर पर महिलाओं के पक्ष में भी कई प्रवाधान किये गये हैं, जिससे वहां काम करने वाली महिलाओं को एक सुरक्षित परिवेश मिल पाए।

- फैक्ट्री कानून की धारा 22(2) के तहत महिला कामगारों को किसी भी चलती हुई मशीन की सफाई के काम में नहीं लगाया जा सकता।
- इस कानून की धारा 27 के तहत किसी भी महिला कामगार को कपास मिल में कॉटन प्रेसिंग के काम में नहीं लगाया जा सकता। ये दोनों ही नियम महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को देखते हुए बनाए गये।
- फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत महिला कामगारों के लिए शौच और प्रसाधन के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था करने का प्रवाधान है।
- इसी कानून की धारा 66(1)(इ) के मुताबिक किसी भी फैक्ट्री में महिला से सुबह छह बजे से पहले और शाम के सात बजे के बाद काम कराने की इजाजत नहीं होगी।
- बीड़ी और सिगरेट बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी इस सुविधा का उल्लेख बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 25 में भी किया गया है।
- इसी कानून से सीख लेते हुए खदानों में काम करने वाली महिलाओं को भी यह सुविधा दी गई है। खदान अधि नियम, 1952 की धारा 46(1) के मुताबिक खदान में भी महिलाओं को सुबह छह बजे से पहले और शाम के सात बजे के बाद काम पर नहीं लगाया जा सकता।
- साथ ही खदान में काम करने वाली महिलाओं को जमीन के नीचे के हिस्से में किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता।

महिला कामगारों के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार सजग दिख रही है और हाल के वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं। स्वास्थ्य बीमा से लेकर जननी सुरक्षा तक इसकी झलक देखी जा सकती है। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 इस दिशा में क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है।

सरकार ने उन 10 राज्यों में अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देने पर गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा सहायता राशि देने का प्रवाधान किया है। ये राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, असम और जम्मू-कश्मीर। इन राज्यों में अस्पताल में बच्चे को जन्म देने पर महिला को प्रसव के बाद 1400 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत असंगठित क्षेत्र में काम करने और गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों के लिए की गयी थी। इसके तहत किसी भी ऐसी बीमारी में, जिसमें इलाज के लिए मरीज का अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य होता है (अस्पताल और बीमारी दोनों की सूची सरकार मुहैया कराती है), केंद्र और राज्य सरकार मिल कर 30 हजार रुपये की वर्षाना सहायता राशि कामगार या उसके परिवार को मुहैया कराती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आर्थिक रूप से गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार में पति-पत्नी और उन पर आश्रित तीन लोगों को जिला कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसी कामगार को अचानक हुई बीमारी और फिर इलाज के खर्चे से उसके परिवार को लगने वाले आर्थिक झटके से बचाना और उबारना है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी ऐसी सुविधाएं हर गरीब कामगार तक पहुंचाना चाहती है।

जननी सुरक्षा योजना

प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं के मृत्यु दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने इस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि हर गर्भवती महिला अस्पताल में ही अपने बच्चे को जन्म दे, ताकि मां और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक निश्चित राशि गर्भवती महिलाओं को देती है। इस योजना की अहम बात ये भी है कि इसका लाभ उठाने के लिए महिला का कामगार होना आवश्यक नहीं है। न ही इस योजना के तहत गर्भवती महिला के लिए कोई आयु सीमा रखी गई है और न ही बच्चों की संख्या पर किसी तरह की कोई रोक है। आशा वर्कर को इस योजना में एक अहम कड़ी माना गया है।

जानकारी के मुताबिक देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां प्राय: गर्भवती महिलाएं प्रसव के दौरान अस्पताल नहीं जातीं। सरकार ने उन 10 राज्यों में असपताल में जाकर बच्चे को जन्म देने पर गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा सहायता राशि देने का प्रवाधान किया है। ये राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, असम और जम्मू-कश्मीर। इन राज्यों में अस्पताल में बच्चे को जन्म देने पर महिला को प्रसव के बाद 1400 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी और उसकी मदद करने वाली आशा वर्कर को ऐसी हर डिलिवरी करवाने पर 600 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा देश के बाकी के राज्यों में भी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन 10 राज्यों के अलावा बाकी के राज्यों में अस्पताल में डिलिवरी के बाद महिला को 600 रुपये और आशा वर्कर को भी 600 रुपये दिए जाएंगे। शहरी इलाकों के लिए ये राशि थोड़ी और कम है।

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017

इसी वर्ष एक अप्रैल से यह अधिनियम महिला कामगारों के लिए लागू किया गया है। यह कानून संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसके लिए 1961 के पुराने कानून में कई बड़े बदलाव किये गये हैं जिनके बाद अब गर्भवती महिलाओं को 12 हफ्तों की जगह 26 हफ्तों का अवकाश मिलेगा। इस अवकाश के दौरान उनको उनकी पूरी तन्खवाह भी दी जाएगी। कानून में बदलाव के बाद किसी भी संस्था में जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वहां क्रेच की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों को ये सुविधा नहीं दी जा रही है। इस सामाजिक सुरक्षा कानून के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद अपना करियर बीच रास्ते में न छोड़ें और मातृत्व अवकाश के बाद वापस अपने काम पर लौटें।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून, 2013

इस कानून के तहत ऐसे प्रवाधान किये गये हैं जिससे कि कार्यस्थल पर काम करते हुए महिला, पुरुषों से खुद को सुरक्षित महसूस करे। इस कानून के तहत सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न शिकायत समिति का गठन आवश्यक किया गया है। यह समिति आमतौर पर काम करने वाली अन्य विभागीय समितियों से अलग होनी चाहिए। प्रावधान के मुताबिक समिति में एक तीसरे पक्ष को भी जरूर रखा जाना चाहिए, जो या तो कोई गैरसरकारी संगठन से हो या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो जेंडर और सैक्सुआलिटी यानी सामाजिक लिंग और यौनिकता की समझ रखता हो और साथ ही यह भी जानता हो कि यौन उत्पीड़न के मामलों से कैसे निपटा जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 8 अगस्त 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के बनने के बाद वर्ष 2014 में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के 526 मामले दर्ज किए गए।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

2016 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के दो अहम उद्देश्य है। पहला गरीब परिवार की महिला को स्वच्छ ईंधन मुफ्त उपलब्ध कराना जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा का अहसास हो और महिलाएं खुद को सशक्त महसूस करें जबकि दूसरा उद्देश्य लकड़ी और गोबर के उपलों के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाना है। वैसे ये योजना सीधे महिला कामगारों से जुड़ी नहीं है, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला कामगारों का जीवन इस योजना के आने से बेहतर जरूर हुआ है। खाना बनाना न सिर्फ आसान हुआ है, बल्कि वो काम पर भी सही समय पर पहुंच पाती हैं। इस योजना के तहत पहले वर्ष में 1.5 करोड़ कनेक्शन बांटने का लक्ष्य था और पहले तीन वर्षों में 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया है।

मुद्रा योजना के तहत 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन सरकार मुहैया कराती है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016-17 मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले 7.5 करोड़ रुपये तक के लोन में 70 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की रही है।

उज्ज्वला स्कीम (देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं और बच्चों के लिए)

वर्ष 2007 से केंद्र सरकार यह स्कीम चला रही है। जो महिलाएं और बच्चे जबरन देह व्यापार में झोंक दिए जाते हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की थी। हालांकि स्वेच्छा से देह व्यापार से जुड़ने वाली महिलाएं अगर चाहें तो उन्हें भी इस स्कीम के तहत मदद दी जाती है।

2014 के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं के पुनर्वास के लिए अलग-अलग राज्यों में कुल 151 पुनर्वास गृह चल रहे हैं, जिनमें 6,350 ऐसी महिलाएं रहती हैं। इन पुनर्वास गृहों में न सिर्फ महिलाओं को खाने, स्वास्थ्य, कानून सुविधा और पहनने की सुविधा दी जाती है, बल्कि उनको व्यावसायिक कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि आगे चल कर वो अपना गुजारा भी स्वयं कर सकें।

केवल महिलाओं को ध्यान में रखकर बनायी गयी योजनाओं और कानूनों के अलावा कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन महिलाओं को उनका लाभ अवश्य मिले इसका विशेष ख्याल रखा गया है। ऐसी योजनाओं पर भी एक नजर डालते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना

इस योजना के तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में एक वर्ष में 100 दिन तक पुरुष और महिलाओं को काम का अवसर प्रदान करने की पहल की थी लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जहां वर्ष 2004-05 में 28.2 फीसदी महिलाएं मनरेगा के तहत काम करती थीं वो आंकड़ा 2011-12 में घटकर 21.7 फीसदी ही रह गया। इस योजना के जरिए सरकार ने बरोजगारों को रोजगार सुरक्षा के अपने वादे को पूरा करने की मुहिम चलाई थी।

मुद्रा योजना

छोटे संगठन, व्यवसाय, स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई। अगर महिलाएं भी इस तरह के किसी व्यवसाय में हिस्सा लेना चाहती हैं या फिर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं तो सरकार की इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन भर सकती हैं। मुद्रा योजना के तहत 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन सरकार मुहैया कराती है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016-17 मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले 7.5 करोड़ रुपये तक के लोन में 70 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की रही है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय यह कार्यक्रम चलाता है। इसके तहत राज्य सरकारों से भी मदद ली जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार चार अलग-अलग योजनाएं चलाती है, जिनमें एक है कामगारों के लिए *नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम* यानी *राष्ट्रीय*

परिवार कल्याण योजना। इस योजना के तहत अपने पैसे से परिवार चलाने वाले किसी भी कामगार (पुरुष या महिला) की मृत्यु पर सरकार उसके परिवार को 10,000 रुपये की सहायता राशि मुहैया कराती है। शर्त ये है कि परिवार चलाने वाले कामगार की मृत्यु 18 से 64 वर्ष की आयु के बीच हुई हो। इस योजना की मदद से सरकार कामगारों के परिवार वालों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू नहीं है। केंद्र की इस योजना का लाभ उन्हीं राज्यों के कामगारों को मिल पाएगा जो इसे अपने राज्य में लागू कर चुके हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर ही शुरू की गई थी। इसके लिए लाभार्थी (महिला या पुरुष) की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होना और आर्थिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे होना, दोनों अनिवार्य है। इसके तहत सरकार लाभार्थी को प्रति माह 300 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यानि काम कर पाने की उम्र नहीं रहने पर सरकार कामगार को आर्थिक मदद देती है ताकि वो अपना जीवन-यापन ढंग से कर पाए।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

इस योजना के तहत कोई भी बुनकर (पुरुष या महिला), जो स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन (राज्य हथकरघा विकास निगम) से मान्यता प्राप्त हो, इस योजना का लाभ हासिल कर सकता है। इसके तहत बुनकर की आकस्मिक मृत्यु या बीमारी की वजह से हुई मृत्यु या अपंगता पर सरकार उसे एक निश्चित रकम मुहैया कराती है। किसी बीमारी की वजह से बुनकर की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 60 हजार रुपये की सहायता राशि, दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर डेढ़ लाख रुपये, पूर्ण रूप से अपंग होने पर बुनकर को डेढ़ लाख रुपये और आंशिक अपंगता पर 75 हजार रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए बुनकर को वर्षाना 80 रुपये की राशि सरकार के पास जमा करवानी पड़ती है। इस योजना से सरकार ने शिक्षा-सहयोग योजना को भी जोड़ा है। जिसके तहत बुनकर के दो बच्चों को नौवीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए हर तीन महीने पर 300 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के जरिए सरकार बुनकर को स्वास्थ्य के साथ उनके बच्चों की पढ़ाई की समाजिक सुरक्षा भी मुहैया करा रही है। यहां गौर करने वाली बात है कि हथकरघा उद्योग में महिला कामगारों की संख्या अधिक है अत: इस बीमा योजना का लाभ महिला वर्ग को अधिक मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में की गयी है। ये योजना पुरुष और महिला कामगारों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुरक्षा मुहैया करानी है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई कामगार इस योजना के तहत अपने पेंशन फंड में वर्षाना 1000 से 5000 रुपये तक की राशि जमा करा सकता है। अगर कोई कामगार 2000 रुपये से ज्यादा की राशि वर्षाना जमा करता है तो सरकार भी उसके खाते में 1000 रुपये प्रति माह 5 वर्ष तक जमा कराएगी। इस योजना का लाभ पाने की शर्त ये है कि वो कामगार सरकार की किसी दूसरी ऐसी योजना का लाभ न ले रहा हो और उसने अटल पेंशन योजना के तहत अपना खाता 31 मार्च 2016 के पहले खोल रखा हो। कामगार की ओर से जमा की गई वर्षाना रकम के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद उसे या उसके परिजनों को प्रतिमाह 1000 से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन राशि मिल सकती है। हाल के रूझानों से पता चलता है कि इस योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है।

सरकार ने महिला कामगारों को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अलग से संस्था भी बनाई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1971 से चल रही इस संस्था का नाम है नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमन। इसमें दूसरे शहरों से आकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए रहने की भी सुविधा है।

शिल्पकार विस्तृत कल्याण योजना

इस योजना के तहत हस्तशिल्प का काम करने वाले एक वर्ष से 80 वर्ष की आयु के प्रत्येक पुरुष या महिला शिल्पकार का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे आते हों या नहीं। हस्तशिल्प कामगार को इसके लिए 200 रुपये हर वर्ष जमा करवाने पड़ते हैं, जिसके बाद कामगार के परिवार के चार सदस्यों (कामगार को जोड़कर) को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। इस योजना में परिवार के रजिस्टर्ड सदस्य की मृत्यु पर एक लाख रुपये तक की सहायता राशि का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा दूसरी बीमारियों पर सरकार द्वारा चयनित अस्पतालों में इलाज करने पर एक निश्चित राशि तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है।

आम आदमी बीमा योजना

वर्ष 2013 से *जनश्री बीमा योजना* इसी योजना में मिला दिया गया। ये एक सामूहिक बीमा योजना है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वाले वे कामगार ले सकते हैं, जिनके पास ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए घर नहीं है या फिर वो सरकार द्वारा चयनित 48 व्यवसायों में किसी एक से जुड़े हों। योजना का लाभार्थी होने के लिए गरीबी रेखा के नीचे या फिर मामूली रूप से उसके ऊपर होना आवश्यक है। कामगार की मृत्यु या अपंगता की स्थिति में इस योजना के तहत 30 हजार से 75 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के साथ सरकार ने एड-ऑन बेनिफिट की भी शुरुआत की है। इस योजना से जुड़े कामगारों के दो बच्चों, जो नौवीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, को प्रति माह 100 रुपये की छात्रवृत्ति भी सरकार देती है। यह छात्रवृत्ति छह महीने में एक बार दी जाती है।

सरकार अक्सर अपनी इन सभी योजनाओं का आकलन भी करती रहती है ताकि पता लगाया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ असल मायने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। ऐसी ही कुछ योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या भी श्रम मंत्रालय ने जारी की है। तालिका में हालांकि किसी

तालिका 1: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या

सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम	लाभार्थी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	20833673
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (2014-15)	175592
जननी सुरक्षा योजना (2013-14)	10648487
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2013-14)	38515411
आम आदमी बीमा योजना (2013-14)	50307950
शिल्पकार विस्तृत कल्याण योजना (2013-14)	16089

*31 दिसंबर 2014 तक, **स्रोत:** *श्रम एंव रोजगार मंत्रालय, 10 अगस्त 2015*

योजना का लाभ कितनी महिलाओं तक पहुंचा, इससे संबंधित कोई अलग आंकड़ा नहीं दिया गया।

इनके अलावा सरकार ने महिला कामगारों को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अलग से संस्था भी बनाई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1971 से चल रही यह संस्था है *नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमन।* इसमें दूसरे शहरों से आकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए रहने की भी सुविधा है। यहां फैशन, शिक्षा, सिलाई, बुनाई और कढ़ाई सहित कई तरह के कोर्स चलाए जाते हैं। इसी तर्ज पर कई शहरों में महिलाओं के लिए 10 रीजनल इंस्टीट्यूट भी खोले गए हैं। सरकार ने 8 नए इंस्टीट्यूट की भी मंजूरी दे दी है। फिलहाल 3,260 महिलाओं को इसके जरिये प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इतना ही नहीं सरकार अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी अलग से योजनाएं चला रही है, ताकि वो भी देश के महिला श्रम बल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकें। अल्पसंख्यक विभाग भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला समृद्धि योजना ऐसी ही एक योजना है। इस योजना के तहत कई व्यवसायों के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी ही एक और योजना है: *सीखो और कमाओ।* कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं में क्रमश: 30 और 33 फीसदी सीटें अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसमें महिलाएं खुद के लिए खुद से सामाजिक सुरक्षा बनाती है। इन्हें महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से जाना जाता है। ये समूह द्वारा संचालित होती हैं, जिसमें आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं एक-दूसरे से जुड़ती हैं, उन्हें प्रशिक्षित भी करती हैं और फिर उनके काम का उचित दाम भी उन्हें दिलाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऐसे ही समूहों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाती है। कुल मिला कर देखें तो कामगार महिलाओं के लिए योजनाओं, संवैधानिक प्रावधानों और प्रशिक्षण की कमी नहीं है। जरूरत है तो इन योजनाओं, संवैधानिक प्रावधानों और प्रशिक्षण देने वाले संस्थाओं को इसके लिए प्रचार-प्रसार करने की। साथ ही अलग से आंकड़े रखने की कि हर योजना से महिलाओं को कितना लाभ पहुंचा। ❑

संदर्भ

- विश्व बैंक रिपोर्ट 2017 (भारत में महिला श्रमबल सहभागिता)
- भारत की जनगणना, 2011
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट
- नीता एन (2017): एश्योरिंग जेंडर जस्टिस इन लेबर, योजना, अप्रैल 2017

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-655/2/2017

CHANAKYA IAS ACADEMY®

24 Years of Excellence, Extraordinary Results every year, more than 3000 selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

under the direction of Success Guru AK Mishra

IAS 2018

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Intensive Classes with online support
- Offline/ Online test series for Prelims & Mains
- Pattern proof teaching
- Experienced faculty
- Hostel assistance

Separate classes in Hindi & English medium

Batches Starting From

10th JUNE, 10th JULY, 10th August - 2017

Weekend Batches & Postal Guidance Also Available

To Reserve your seat - Call: 1800-274-5005 (Toll Free)

www.chanakyaiasacademy.com | enquiry@chanakyaiasacademy.com

HO/ South Delhi Centre: • 124, Satya Niketan, Opp. Venkateshwara College, Near Dhaula Kuan, Ph: 011-64504615, 9971989980/ 81

North Delhi Centre: • Near Gate No.1, GTB Nagar Metro Station, 103 & 105, Kingsway Camp, Mall Road, Ph:9711494830

Also at

• 1596, Outram Line, Kingsway Camp, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45

Our Centres-

Ahmedabad: 301, Sachet III, 3rd Floor, Mirambika School Road, Naranpura, Ph: 7574824916
Chandigarh: SCO - 45 - 48, 2nd Floor, Sector 8 C, Madhya Marg, Ph: 8288005466
Guwahati: Building No. 101, Maniram Dewan Road, Silpukhuri, Near SBI evening branch, Kamrup, Ph: 8811092481
Hazaribagh: 3rd Floor, Kaushaliya Plaza, Near Old Bus Stand, Ph: 9771869233
Jammu: 47 C/C, Opposite Mini Market, Green Belt, Gandhi Nagar, Ph: 8715823063
Jaipur: Felicity Tower,1st Floor, Plot no- 1, Above Harley Davidson Showroom, Sahakar Marg, Ph: 9680423137
Ranchi : 1st Floor, Sunrise Forum, Near Debuka Nursing Home, Burdhwan Compound, Lalpur, Ph: 9204950999, 9771463546
Rohtak: DS Plaza, Opp. Inderprastha Colony, Sonipat Road, Ph: 8930018880
Patna: 304, 3rd Floor, above Reliance Trends, Navyug Kamla Business park, East Boring Canal Road, Ph: 8252248158
Allahabad: 10B/1, Data Tower, 1st Floor, Patrika Chauraha,Tashkand marg, Civil Lines, Ph: 9721352333

CAUTION NOTICE

Students/ aspirants are hereby cautioned that some unaffiliated entities have been using trademarks/ tradenames which are identical/ deceptively similar to trademarks/ tradenames of Chanakya IAS Academy/ Chanakya Academy (promoted under the direction of SuccessGuru AK Mishra since 1993). We hereby declare that these entities have no affiliation with us and legal actions have already been initiated against such entities. All students must verify authenticity of the academy/ study centre/ institute before enrolling and are requested to inform us of any such functioning under an identical/ deceptively similar trademarks/tradenames by calling on 09650299662/3/4 or sending email at info@chanakyaacademygroup.com.

YH-662/2/2017

कृषि से पोषण का पथ

मौसुमी दास

खाद्य सुरक्षा को हासिल करने के लक्ष्य को विभिन्न लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों द्वारा संबोधित किया गया है। अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के लिए यह ज्यादा ज़रूरी है कि वे एक साथ काम करें। विश्व स्तर पर सतत विश्वव्यापी खाद्य प्रणाली की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है (फैन 2016), भारत में इसे तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए

पुस्तकों में खाद्य सुरक्षा उस बहुआयामी प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें उत्पादन, वितरण, उपभोक्ता की पसंद और खपत,स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा और उनका प्रभावी आत्मसात शामिल होता है (दास, 2016)। खाद्य प्रणाली और पोषण की स्थिति के बीच दोतरफा संबंध है (पिनस्ट्रप-एंडर्सन, 2007)। नीतिगत सहजता के लिए खाद्य सुरक्षा पर एफएओ की परिभाषा भी इसी के आधार पर तैयार की गई है।

खाद्य नीति के ढांचे को बदलती जरूरतों के अनुसार विकसित किया गया है। दक्षिण एशिया और अफ्रीकी उपमहाद्वीप के विकासशील देशों सहित दुनिया भर में अधिकांश देशों में भी इसे लागू किया गया है। इस संबंध में पिनस्ट्रप-एंडर्सन और वॉटसन (2011) ने हाल ही में एक रूपरेखा तैयार की है जिसमें विभिन्न आयामों और दिशाओं को शामिल किया गया है।

हालांकि भारत में खाद्य नीति लंबे समय से निरर्थक ही रही है क्योंकि अधिकतर नीतियां या तो वैचारिक मुद्दों के आधार पर बनाई गई या पूर्व की नीतियों के आधार पर। देश में सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता था, उस समय की आवश्यकता थी और समय के साथ ही उसे देश के प्रमुख राज्यों में लागू किया गया। फिर भी उसमें बहुत सी कमियां थीं जैसे लीकेज और भ्रष्टाचार, खराब वितरण और खराब क्वालिटी। पिछले कई वर्षों के दौरान पीडीएस बेमानी हो गया था क्योंकि अधिकांश राज्यों में खाद्य सुरक्षा की प्रक्रिया के अन्य आयामों पर कम ध्यान दिया जा रहा था। इनमें से मुख्य थे, स्वच्छता और सेनिटेशन की कमी, विभिन्न प्रकार के आहार की खपत, महिला सशक्तीकरण आदि। यह हैरान करने वाली बात थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में भी देश में अनाज के वितरण पर ही ध्यान दिया गया। इसमें आहार विविधता पर उचित ध्यान नहीं दिया गया और पूरा ध्यान पीडीएस के पुनरुद्धार पर ही केंद्रित किया, जो तत्काल आवश्यक नहीं था। जो परिवार टीपीडीएस धारक थे, या जो नहीं थे, उनके बच्चों में पोषण की स्थिति एक बराबर ही थी (देसाई और वन्नमेन, 2015)। वर्तमान में हमें कृषि से पोषण के मार्ग पर चलते हुए विभिन्न आयामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए (दास, शर्मा और बाबू, 2017)। इसी के कारण भारत सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजीज़) को हासिल नहीं कर पाया। एमडीजी लक्ष्य 1 के अनुसार भारत को 1990 में 53.5 प्रतिशत कुपोषित बच्चों के अनुपात को 2015 तक आधा करना था। लेकिन 2005 के आंकड़ों में यह अनुपात 40 प्रतिशत था, जो कि 26 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी दूर है।

हाल ही में एमडीजीज़ ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थान ले लिया है और उनकी प्राप्ति भी मुश्किल प्रतीत हो रही है। इन्हें प्राप्त करने के लिए कृषि की बजाय पोषण सुरक्षा के विभिन्न कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। इसके

मौसमी दास इंस्टीट्यूट ऑफ फिनानेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च (आईएफएमआर) में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे नई दिल्ली स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ सप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च में एसोसिएट फेलो रह चुकी हैं। वे वाशिंगटन डीसी के इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफ. पीआरआई) में विजिटिंग फेलो भी रह चुकी हैं। मौसमी दास एग्रीकल्चर एंड सप्लाइड इकनोमिक्स एसोसिएशन (एएईए) से सिल्विया लेन मेंटर एवार्डेड भी हैं। ईमेल: mdas@ncaer.org, mousumii.das@gmail.com

विभिन्न कारक इस प्रकार हैं (कदियाला एवं अन्य 2014): (1) भोजन के स्रोत के रूप में कृषि, (2) खाद्य और गैर खाद्य व्यय के लिए आय के स्रोत के रूप में कृषि, (3) कृषि नीति और खाद्य मूल्य जोकि खपत को प्रभावित करते हैं, (4) कृषि-अंतरपरिवार के फैसले और संसाधनों के आवंटन में महिलाओं की भूमिका, (5) कृषि में महिलाओं का रोजगार और बच्चों की देखभाल एवं उनके भोजन पर उसका प्रभाव और (6) महिलाओं और उनके बच्चों के पोषण की स्थिति एवं स्वास्थ्य पर कृषि में महिला रोजगार का असर। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनके विभिन्न उप लक्ष्यों को हासिल करना भी उतना ही जरूरी है, जैसे लक्ष्य 1 (गरीबी से मुक्ति), लक्ष्य 2 (भूख से मुक्ति), लक्ष्य 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), लक्ष्य 6 (स्वच्छ पानी और सेनिटेशन), लक्ष्य 12 (सतत खपत और उत्पादन) और लक्ष्य 13 (जलवायु संबंधी कार्रवाई)।

खाद्य सुरक्षा को हासिल करने के लक्ष्य को विभिन्न लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों द्वारा संबोधित किया गया है। अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के लिए यह ज्यादा ज़रूरी है कि वे एक साथ काम करें। इस लेख में 2030 तक एसडीजीज़ को हासिल करने के लिए सरकार को लघु और मध्यम रणनीतियों का सुझाव दिया जा रहा है। विश्व स्तर पर सतत विश्वव्यापी खाद्य प्रणाली की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है (फैन 2016), भारत में इसे तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए। इस संबंध में अल्पकालिक सुझाव निम्नानुसार हैं:

आहार विविधता

एक ऐसी जरूरत, जिसकी अनदेखी की गई है। सरकार को विविध आहार की खपत को तत्काल बढ़ावा देना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (एनआईएन) का भारतीय खाद्य पिरामिड जनता की समझ से परे था। हमें जनता को शिक्षित करने के लिए कुछ सरल लेकिन आकर्षक तरीकों पर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने एक रंगीन थाली की अवधारणा बनाई जिसे नन्हे-मुन्नों से लेकर वयस्क तक समझ सकते हैं। रंग हर दिन भोजन की थाली में खाद्य पदार्थों की संरचना को दर्शाते हैं। रंग अलग-अलग खाद्य समूहों जैसे अनाज, दाल, फलों, सब्जियां, मांस आदि से संबंधित हैं। व्यापक रूप से भारतीय परिवारों के लिए भी यह अवधारणा काम कर सकती है, भले ही हम शाकाहारी हों या मांसाहारी (दास, 2016)।

क्या हम स्वास्थ्य संबंधी खबरों और आदतों का प्रचार करते हैं? हमारा सुझाव है कि सांस्कृतिक और स्थानीय भोजन संबंधी आदतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो पोषण संबंधी स्थिति में सुधार कर करती हैं। देश में खाद्य उत्पादन की विविधता, खपत और तैयारी को देखते हुए टॉप डाउन एप्रोच कभी सफल नहीं रहती। खाद्य नीति में विकेंद्रीकरण से वास्तव में अभिशासन और उत्तरदायित्व पर अधिक जोर दिया जा सकता है। जमीनी सबूत के आधार पर ही धन का आवंटन किया जाना चाहिए। फिर यह केवल तभी काम कर सकता है जब सभी विभाग परस्पर सहयोग से कार्य करें। किसी भी नीतिगत पहल की सफलता के लिए देश में अच्छा बुनियादी ढांचा अनिवार्य है (विश्व बैंक, 2003)। दास (2016) ने यह पाया कि बुनियादी ढांचा, चिकित्सा केंद्रों और समाचार पत्रों की उपलब्धता विविध आहार की खपत में सुधार करने में सहायक होते हैं।

यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों से स्पष्ट होता है (डीटन और ड्रेज़, 2009)। हालांकि अनाज और दालों (चयनित राज्यों में वितरित) के अलावा अन्य सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करना मुश्किल हो सकता है, हम स्थानीय उपभोग के आधार पर सब्जी, फलों, दूध, अंडे, मछली और मांस आदि के उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हालिया अध्ययन आहार की गुणवत्ता में सुधार के लिए दालों को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं।

लक्ष्य में सुधार

कमजोर कौन हैं? जबकि भारत में अत्यधिक निर्धन वर्ग को अब भी मुफ्त अनाज की आवश्यकता है, शेष आबादी के कैलोरी ग्रहण में सुधार हुआ है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों से स्पष्ट होता है (डीटन और ड्रेज़, 2009)। हालांकि अनाज और दालों (चयनित राज्यों में वितरित) के अलावा अन्य सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों को उपलब्ध करना मुश्किल हो सकता है, हम स्थानीय उपभोग के आधार पर सब्जी, फलों, दूध, अंडे, मछली और मांस आदि के उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हालिया अध्ययन आहार की गुणवत्ता में सुधार के लिए दालों को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं (मैकडरमोट एंड वायट, 2017)। कोल्ड स्टोरेज का अभाव भारत के लिए एक समस्या बना हुआ है (बर्थल, झा और सिंह, 2007), जबकि वितरण और उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर पौष्टिक आहार को सभी तक पहुंचाया जा सकता है। कुछ राज्यों में स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के जरिए अनाज, दालों और अंडों को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है (म्यूएहोफ़ एवं अन्य, 2011)।

गरीबी रेखा के खाद्य घटक को अद्यतन करना

तेंदुलकर और रंगराजन समिति, दोनों ने कैलोरी के अलावा अन्य पोषक तत्वों के महत्व को चिन्हित किया है, और उन्हें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को उपलब्ध कराने की बात कही है। हम भारत के लिए स्वस्थ भोजन सूचकांक नामक आहार विविधता का एक नया प्रस्ताव रखते हैं। यह एक विविधतापूर्ण थाली के उपभोग के आधार पर गरीब परिवारों की पहचान करने में मदद करेगा (दास, 2015क)। यह सूचकांक न केवल शाकाहारी बल्कि मांसाहारी परिवारों में कम विविध आहार का उपभोग करने वालों की पहचान के लिए उपयोगी है। यह परिवारों की संवेदनशीलता की सीमा के बारे में भी बताएगा। गरीबी रेखा को प्रकृति से और अधिक गतिशील होना चाहिए जो कमजोर वर्गों का पता लगाए। अनिश्चित आय, स्वास्थ्य या जलवायु संबंधी आपदाओं के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए नकद हस्तांतरण जरूरी हो सकता है जोकि निम्न स्तरीय खाद्य उपभोग से निपटने का पहला तरीका है (दास 2015 ख)।

डिजिटल समाधान

हस्तांतरण और निगरानी, नकद और वस्तु हस्तांतरण का समूह न केवल सेवा सुपुर्दगी पर निगरानी रखें, बल्कि स्वास्थ्य परिणामों पर भी अगर जमीनी स्तर पर

जरूरी हो तो नकद बनाम वस्तु हस्तांतरण की वकालत की जा सकती है- जिसकी ज्यादा जरूरत हो। जिन क्षेत्रों में पीडीएस सफलतापूर्वक लागू किया गया है, उन्हें जारी रखना चाहिए। हालांकि, नकद हस्तांतरण को सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि परिवारों की खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। नकद हस्तांतरण से परिवारों को अधिक पौष्टिक और विविध आहार प्राप्त हो सकता है (झा एवं अन्य 2013, स्वेदबर्ग 2012, खेड़ा 2014)। संभवतः हम पीडीएस द्वारा वितरित किए गए अनाज की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे, बशर्ते आबादी के निचले तबके को इसकी आवश्यकता हो। इस संदर्भ में महिला सशक्तीकरण महत्वपूर्ण है। परिवार में बुजुर्ग महिलाएं आम तौर पर निर्णय लिया करती हैं और उन्हें विविध आहार के संबंध में जानकारी होनी चाहिए (दास 2016)।

इसके बाद आधार कार्ड और बैंक खातों से न केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बल्कि स्वास्थ्य स्थिति पर भी नज़र रखी जा सकती है। देश में डिजिटल क्रांति को देखते हुए गरीब वर्ग पर नियमित अंतराल में नज़र रखी जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 में नरेगा के लाभार्थियों को लगभग 51 प्रतिशत आधार ब्रिज भुगतान (एबीपी) पद्धति के माध्यम से किया गया है। अनाज के प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के लिए, यह 94 प्रतिशत था। सरकारी अनुमानों के मुताबिक दिसंबर 2016 तक लगभग 50,000 करोड़ रुपये बचाए गए, जो एक वर्ष की सब्सिडी

के बराबर है। यह गरीबी का निर्धारण करने के लिए अतिरिक्त कट-ऑफ के रूप में भी काम कर सकता है। हम किसी भी नए विभाग को इसकी निगरानी करने या नए कर्मचारियों की भर्ती करने का सुझाव नहीं देते। बल्कि इसे मौजूदा कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक उपयोग के जरिए लागू किया जा सकता है। इस रणनीति को मंगोलिया के अंदरूनी इलाकों में लागू किया गया है जहां परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए उनकी निरंतर निगरानी की जाती है (केवल आय नहीं बल्कि खाद्य और स्वास्थ्य के संबंध में भी)।

समृद्धि और मोटापा

क्या बेखबर अमीर खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुपोषण के अलावा, भारत मोटापे और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाले रोगों से भी पीड़ित है। मध्यम और उच्च वर्ग इन दोनों का शिकार हैं। इसके कारण हैं, शहरीकरण, सस्ती कीमत, जीवन शैली, फैटी और तैलीय उत्पादों की आसान उपलब्धता और इन पदार्थों की अत्यधिक मार्केटिंग। तो, अमीरों को जानकारी देना भी आवश्यक है। उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि वे मधुमेह, दिल के दौरा जैसे गैर-संचारी रोगों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। फैटी खाद्य उत्पादों और सुपर मार्केटों पर टैक्स लगाकर सरकार इस संबंध में हस्तक्षेप कर सकती है जोकि अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की खपत को प्रोत्साहित करते हैं। कुल मिलाकर, समाज और जीडीपी को कुपोषण की तिहरी मार झेलनी पड़ती है।

खाद्य सुरक्षा, हानि और अपशिष्ट

यह बढ़ती चिंता का विषय है। हालांकि पीडीएस प्रणाली लीकेज और भ्रष्टाचार से भरी हुई है, फिर भी कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण काफी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों का नुकसान होता है। हालांकि इस संबंध में शोध करना उपयोगी हो सकता है

स्रोतः *यूएनडीपी*

लेकिन हमें नुकसान और भोजन की बर्बादी कम करने के लिए लागत प्रभावी उपाय करने की जरूरत है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में रसायनों के कम उपयोग और उनके संरक्षण से ही खाद्य सुरक्षा की जा सकती है। यह भारत के लिए एक चेतावनी के समान है क्योंकि खाद्य सुरक्षा पर कोई रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है (ग्रेस, डेला, मैकडरमॉट, जॉन, 2015)। उदाहरण के लिए, एफ्लोटॉक्सिन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जो कि न केवल बच्चों, बल्कि वयस्कों में कुपोषण और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है (यूनेनाह और डेला, 2013)। कुमार एवं अन्य (2011) के अनुसार, भारत में डेयरी किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले खाद्य सुरक्षा उपायों को कई बातें प्रभावित करती हैं, और केवल उच्च कीमतों से उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में खाद्य प्रणालियों का समायोजन हो रहा है (अग्रवाल एवं अन्य, 2004)।

जबकि उपरोक्त त्वरित सुधार महत्वपूर्ण हैं, हम वैश्विक खाद्य प्रणाली का हिस्सा बनने से दूर हैं। कुपोषण की तिहरी मार से बचने के लिए देश की लिए खाद्य नीति का ढांचा समग्र होना चाहिए। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भारत में कभी भी एक व्यापक खाद्य नीति मौजूद नहीं थी। इसके बजाय कार्यक्रमों को तत्काल, और विभिन्न हितधारकों के प्रभाव के आधार पर तैयार किया गया था। इस तरह की प्रणाली को लागू करना आसान नहीं है। इसलिए एसडीजी को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लक्ष्यों की दिशा में काम किया जाना चाहिए।

कृषि से पोषण की ओर बढ़त

एक एकीकृत विभाग का गठन, जैसे फंड्स का आवंटन तात्कालिकता पर आधारित हो (दास, शर्मा और बाबू, 2017)। एसडीजी द्वारा सुझाए गए सूचकांकों और उप-लक्ष्यों के विश्लेषण के लिए एक डैशबोर्ड आधारित नीति का कार्यान्वयन भी एक तरीका हो सकता है। निश्चित रूप से इसे अन्य परिष्कृत तकनीकों का पूरक होना चाहिए। ❑

संदर्भ

- अग्रवाल, पी के, जोशी, पी के, इंग्राम, जे एस आआई, और गुप्ता, आरके (2004), एडैप्टिंग फूड सिस्टम्स ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स टू ग्लोबल एन्वायरमेंट चेंज: की इन्फॉरमेशन नीड्स टू इंप्रूव पॉलिसी फॉरमुलेशन, एनवायरमेंट साइंस एंड पॉलिसी, 7(6), 487-498
- बर्थल, पी एस, झा, ए के और सिंह एच (2007), लिंकिंग फारमर्स टू मार्केट्स फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यू, 20(2007)
- दास, एम ए शर्मा और बाबू, एस सी (2017), पाथवेज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू न्यूट्रिशन इन इंडिया: इंप्लीकेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई), आगामी डिस्कशन पेपर, महानिदेशक कार्यालय, वॉशिंगटन डीसी
- दास, एम (2014), मेजर्स, स्पैटियल प्रोफाइल एंड डेटरमिनेंट्स ऑफ डायटरी डायवर्सिटी: एविडेंस फ्रॉम इंडिया। वर्किंग पेपर 2014-2015, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर)
- दास, एम (2015क), हेल्दी ईटिंग इंडेक्स: एविडेंस फ्रॉम इंडिया, अप्रकाशित पांडुलिपि, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई
- दास, एम (2015ख) वर्नेबिलिटी टू फूड सिक्योरिटी : एविडेंस फ्रॉम रूरल इंडिया, अप्रकाशित पांडुलिपि, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई
- दास, एम (2016), फूड सिक्योरिटी इन इंडिया: मेजर्स, इश्यूज एंड पॉलिसी इंपेरेटिव्स, अप्रकाशित डेसेटेशन, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, मुंबई
- दास, एम, ए शर्मा और बाबू एस सी (2017), पाथवेज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू न्यूट्रिशन इन इंडिया: इंप्लीकेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आगामी डिस्कशन पेपर,इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई), वॉशिंगटन डीसी
- डेटन, ए, और ज्यां द्रेज (2009), फूड एंड न्यूट्रिशन इन इंडिया: फैक्ट्स एंड इंटरप्रेटेशंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 44 (7): 42-65
- देसाई, एस और वन्नमण, आर (2015), "एनहांसिंग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाया इंडियाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट: यूजिंग एन एक्स इंस्टेड ऑफ ए स्कैलपेल" इंडिया पॉलिसी फोरम अंक 11, शाह, एस, ए पानगढ़िया और एस गोकर्ण (संपादित), नई दिल्ली: सेज
- फैन, एस (2016), अ न्यू ग्लोबल फूड सिस्टम फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आईएफपीआरआई ब्लॉग, मूल रूप से ई 15 इनिटिटिव ब्लॉग पर प्रकाशित, http%//www.ifpri.org/blog/w&global&food&system&achieving&sustainable&development&goals
- ग्रेस, डेला; मैकडरमॉट, जॉन (2015), रिड्यूसिंग एंड मैनेजिंग फूड स्केयर्स। 2014-2015 वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट में अध्याय 6 पेज 41-50। वाशिंगटन, डीसी : इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई)
- झा, आर, आर, गैहा, एम.के. पांडे, और एन काइकर (2013), "फूड सबसिडी, इनकम ट्रांसफर एंड द पुअर: भारत के राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण।" जर्नल ऑफ पॉलिसी मॉडलिंग, 35 (6): 887-908
- खेड़ा, आर (2014), "कैश वर्सेज इन कांइड ट्रांसफर्स: इंडिया डेटा मीट्स थ्योरी" फूड पॉलिसी 46: 116-128
- कुमार, ए, राइट, आई ए, और सिंह, डी.के. (2011), एडॉप्शन ऑफ फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेज इन मिल्क प्रोडक्शन: इंप्लिकेशंस फॉर डेयरी फार्मर्स इन इंडिया। जनरल ऑफ इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीबिजनेस मार्केटिंग, 23 (4), 330-344
- मैकडरमोट, जे, एंड वायट, ए जे, (2017) द रोल ऑफ पल्सेज इन सस्टेनेबल एंड हेल्दी फूड सिस्टम्स, एनल्स ऑफ द न्यूयार्क एकेडमी ऑफ साइंसेज, 13 9 2 (1), 30-42
- मुहल्होफ, ई, रमण, आर, गोपालन, एच, और रामचंद्रन, पी, (2011), 11 इंट्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स इनटू द इंडिया मिड-डे मील (एमडीएम) प्रोग्राम : द पोटेंशियल फॉर डायटरी चेंज। कॉम्बैटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज: फूड बेस्ड एप्रोचेज, 198
- पिनस्ट्रप-एंडर्सन, पी, (2007), एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड पॉलिसी फॉर बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज: अ फूड सिस्टम एप्रोच। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, 37 (एस 1), 187-198
- सूर्यनारायण, एम एच, (2009), न्यूट्रिशनल नॉर्म्स फॉर पावटी: इश्यूज एंड इंप्लिकेशंस, गरीबी के आकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समूह के लिए तैयार कॉसेप्ट पेपर।
- स्वेदबर्ग, पी (2012), "रिफार्मिंग ऑर रिप्लेसिंग द पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम्स विद कैश ट्रांसफर्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली", 47 (7), 53-62
- अननेवेर, लॉरियन जे, संपादित; ग्रेस, डेला, संपादित (2013), एफ्लाटॉक्सिन्स: फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर इंप्रूव्ड फूड सेफ्टी, 2020 विजन फोकस 20 वाशिंगटन, डीसी : इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई)
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2015), सतत विकास लक्ष्यों, 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, ऑफिस ऑफ द रेजिडेंस कोऑडिनेटर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

कराधान, कल्याणकारी राज्य व सामाजिक सुरक्षा

रहीस सिंह

एक प्रश्न है कि भारत का नागरिक यदि सेवाओं को पाने के लिए कतारों में खड़ा है तो क्या इसके लिए सिर्फ राज्य/सरकार ही दोषी है? क्या किसी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ राज्य या सरकार ही उत्तरदायी होती है, नागरिकों का कोई दायित्व नहीं होता? यदि ऐसा है तो फिर भारत में कभी पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होना ही नहीं चाहिए था

सामान्यत: विमर्शों में प्राय: जनावश्यकता, जनापेक्षा एवं राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच एक गैप देखने को मिलता है और दिखाया जाता है। इन विमर्शों में देश का आम नागरिक बहुत से दबावों और संशयों के साथ-साथ प्रतिरोधों व प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता हुआ नजर आता है। इस समस्त वैचारिक व प्रतिक्रियात्मक परिवेश को गम्भीरता से देखें तो नागरिक की अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार होती है-एक वेतन से कितने और कितनी बार टैक्स। आम जरूरत की चीजें खरीदें तो टैक्स, गाड़ी खरीदें तो टैक्स, सड़क पर चलें तो टैक्स, घर खरीदें तो टैक्स, बाहर खाना खाएं तो टैक्स, राशन खरीदें तो टैक्स, दवाई खरीदें तो टैक्स, कहीं फीस, कहीं बिल, कहीं ब्याज, कहीं सेवा न जाने कितने तरह के टैक्स.....इसके बाद थोड़ी बहुत सेविंग कर ली तो फिर टैक्स दिया। सारी उम्र काम करने के बाद कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई पेंशन नहीं, स्वास्थ्य सेवा पाने का बुनियादी अधिकार नहीं, बच्चों के लिए अच्छे सार्वजनिक स्कूल नहीं, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें खराब, हवा खराब, पानी खराब, फल सब्जी जहरीली, हास्पिटल महंगे, आपदाओं से निपटने की अच्छी व्यवस्था नहीं...आदि।

फिर आखिर टैक्स का पैसा गया कहां? इस शिकायत और जिज्ञासा को सिद्धांतत: भले ही अनुचित माना जाए परन्तु यह आधारहीन नहीं हैं। 'बहु कर प्रणाली' (मल्टी टैक्स सिस्टम) और 'कर के ऊपर कर' (टैक्स ऑन टैक्स) प्रणालियां नागरिकों पर बहुआयामी दबाव निर्मित करती हैं जिससे वह उत्पीड़ित महसूस करता है। यह स्थिति प्रतिक्रियावादी तब हो जाती है जब नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा अथवा जीविका का मौलिक अधिकार न मिले लेकिन क्या इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि राज्य कर के बदले सामाजिक सुरक्षा, सामुदायिक सेवा और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का सृजन नहीं करता अथवा इन सेवाओं के एक्सेस का अधिकार नागरिक को नहीं दे पाता। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक प्रश्न यह भी है कि भारत का नागरिक यदि सेवाओं को पाने के लिए कतारों में खड़ा है तो क्या इसके लिए सिर्फ राज्य/सरकार ही दोषी है? क्या किसी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ राज्य या सरकार ही उत्तरदायी होती है, नागरिकों का कोई दायित्व नहीं होता? यदि ऐसा है तो फिर भारत में कभी पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होना ही नहीं चाहिए था।

प्रश्न यह भी है कि क्या वास्तव में भारत का नागरिक उस उच्चस्तरीय दायित्वबोध से सम्पन्न है, जो मानवीय, सामाजिक, सार्वजनिक एवं राज्यिक दायित्व के निर्वहन हेतु स्फूर्त करने में सहयोगी हो? क्या भारत के नागरिक जितनी गम्भीरता एवं तत्परता के साथ छिद्रान्वेषण करते हैं, उतनी ही ऊर्जा के साथ सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगी गयी सलाह अथवा मांगे गये सुझाव देने में सक्रिय भी होते हैं? क्या भारत के नागरिक राज्य के कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का गहनता से अध्ययन कर उसे समझते, अपनाते या फिर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? क्या वास्तव में 'हम भारत के लोग...' राज्य के साथ आगे बढ़ने या राज्य के सहयोगी बनने तथा सामाजिक पूंजी के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में उतने ही अन्वेषी, पहलकर्ता, सक्रिय व

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ईमेल: raheessingh@gmail.com

एक राज्य के अंदर सरकार, बिजनेस सेक्टर एवं सिविल सोसाइटी के संबंधों में भी परिवर्तन आते हैं और वे एक दूसरे के दायरों का अतिक्रमण भी करते हैं। इन परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो स्वयं को नहीं बदल पाता या परिवर्तनों के नेतृत्व की क्षमता विकसित नहीं कर पाता वह पिछड़ जाता है और शेष दो पर आश्रित हो जाता है।

उत्तरदायित्वप्रधान होते हैं, जिसकी अपेक्षा हम राज्य, सरकार अथवा व्यवस्था से करते हैं?

हमें ज्ञात होना चाहिए कि विकास की प्रक्रिया के साथ कई प्रकार की जटिलताएं, बहुआयामी प्रतियोगिताएं तथा बहुत से संयोजनों का निर्माण होता है। सभी की भूमिकाएं बदलती हैं और उनका विस्तार भी होता है, फलत: एक राज्य के अंदर सरकार, बिजनेस सेक्टर एवं सिविल सोसाइटी के संबंधों में भी परिवर्तन आते हैं और वे एक दूसरे के दायरों का अतिक्रमण भी करते हैं। इन परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो स्वयं को नहीं बदल पाता या परिवर्तनों के नेतृत्व की क्षमता विकसित नहीं कर पाता वह पिछड़ जाता है और शेष दो पर आश्रित हो जाता है। फिर तो आवश्यकता इस बात की है कि सोसाइटी सर्वाधिक सक्रिय एवं सचेत हो ताकि वह बाजार पर नियंत्रण रख सके और सरकार पर लोकतांत्रिक दबाव बनाकर लोकप्रिय व कल्याणकारी नीतियों के लिए उसे बाध्य कर सके लेकिन भारत में देखने को इससे उलट मिला, व्यावसायिक क्षेत्र सिविल सोसाइटी से कहीं बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ एवं आगे निकल गया। क्या तब भी परिणाम सिविल सोसाइटी की मनोदशा के अनुकूल आने चाहिए?

बहुत पीछे ना जाकर यदि बात नई अर्थव्यवस्था अथवा उदारवादी युग की नई शुरुआत से की जाए तो पता चलता है कि जिस दौर में बाजार आधारित पूंजीवाद 'लालच' और 'लाभ' संबंधी चरों के सहारे आगे बढ़ा उस दौर में इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की गयी कि खुशहाली (हैप्पीनेस) एवं सम्पन्नता केवल पूंजी निवेशों से नहीं आती बल्कि इसके लिए सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता और सार्वभौम उपयोग (यूनीवर्सल एक्सेस) का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी तथा सामाजिक पूंजी की समृद्धता जरूरी होती है और इसके लिए इन क्षेत्रों में आवश्यक निवेशों (जिसे सरकारें और पूंजीवादी अर्थशास्त्री प्राय: अनुत्पादक व्यय मानते रहे हैं) की आवश्यकता होती है लेकिन इससे परे जो व्यवस्था निर्मित हुई उसमें सुपर रिच, बिलियनॉयर्स, ...केंद्र में आ गये और सामाजिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक पूंजी के क्षेत्र को या तो छोड़ दिया गया अथवा ट्रिकल डाउन सिद्धांत (अथवा रीगनोथैचरामिक्स के बुनियादी सिद्धांत) को स्वीकारते हुए यह मान लिया गया कि यदि अमीर और अमीर होंगे तो वे अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करेंगे।

यहीं से असल समस्या शुरू हुई जो अब 'कोर पॉब्लम' के रूप में देखी जा सकती है। इस दौर में राज्यव्यवस्था ने इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी कि निम्न कराधान, शिथिल रेग्युलेशंस तथा शार्ट टर्म गेन जैसे मार्गदर्शी सिद्धांत समाजों में असमानताओं को तेजी से हवा दे रहे हैं। इस जटिल अर्थशास्त्र को भारत के नागरिक समझने में असमर्थ हैं और सरकार निराकरण ढूंढने में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि असली समस्या यह नहीं है कि सरकार जनसरोकारों से भिन्न नीतियों एवं आर्थिक मॉडलों के जरिए देश को आगे बढ़ाना चाह रही है बल्कि समस्या यहां है कि 'पॉलिसी इनफोर्समेंट सिस्टम' नई आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को बदल नहीं पा रहा है और देश के नागरिक इसे समझने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते।

लचर प्राथमिक शिक्षा: शिक्षक, समाज और नीति-निर्माता तीनों जिम्मेदार

आज यदि प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी शिक्षण संस्थाओं (प्राथमिक विद्यालयों) की स्थिति बूचड़खाने जैसी है, माध्यमिक व इंटरमीडिएट कॉलेजों की इमारतों में आकर्षण नदारद है, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय अकादमिक विज़न से पूर्णत: रिक्त हैं, तो इसके लिए केवल राज्य दोषी नहीं है। बल्कि शिक्षक, समाज और नीति-निर्माता तीनों बहुत हद तक संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। आखिर वजह क्या है कि आज भी स्कूल की पढ़ाई करने वाले 9 छात्रों में से केवल 1 छात्र ही कॉलेज पहुंच पाता है। नामांकन अनुपात भी बेहद कम है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों में से अच्छे कॉलेजों की कमी, रोजगार की सम्भावनाओं की कमी आदि हो सकते हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की सामाजिक महत्वाकांक्षा का न होना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। जिस देश में नकल पर पूरी तरह से रोक लगाने पर सरकारें चुनाव में बहुमत खो देती हों, उससे सामाजिक मनोदशा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

फिर भी यदि भारत इस क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाना चाहता है, तो लगभग ढाई से तीन लाख करोड़ रुपये के तत्काल निवेश की जरूरत होगी। इस निवेश के लिए सरकार या तो राजकोष पर दबाव बढ़ाए अथवा पीपीपी मॉडल का प्रयोग करे। पहली स्थिति में सरकार की अन्य योजनाएं व कार्यक्रम प्रभावित होंगे। राजकोषीय घाटे में वृद्धि प्रोत्साहित होगी जो अंतरराष्ट्रीय साख और सरकार की वित्तीय प्रबंधन की योग्यता के लिहाज से नकारात्मक होगा। ऐसे में पीपीपी मॉडल का चुनाव या विशुद्ध रूप से निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने की जरूरत होगी, लेकिन इसके अपने किस्म के जोखिम हैं। इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि लगभग पिछले दो दशकों में सैकड़ों निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गयी और अनगिनत कॉलेज खुले लेकिन इससे तो शिक्षा के क्षेत्र में 'डम्पिंग एण्ड वोमिटिंग' का वातावरण ही निर्मित हुआ। अब शिक्षा का अर्थ है परीक्षा, अंक प्राप्ति, प्रतिस्पर्धा तथा व्यवसाय जिनको व्यवसाय नहीं मिलता वह बेकारी की सेना में भर्ती हो रहे हैं। नैसकॉम और मैकिन्से के शोध के अनुसार मानविकी में 10 में से एक और इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके चार में से एक

असली समस्या यह नहीं है कि सरकार जनसरोकारों से भिन्न नीतियों एवं आर्थिक मॉडलों के जरिए देश को आगे बढ़ाना चाह रही है बल्कि समस्या यहां है कि 'पॉलिसी इनफोर्समेंट सिस्टम' नयी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को बदल नहीं पा रहा है और देश के नागरिक इसे समझने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते।

भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य हैं (पर्सपेक्टिव 2020)। इस दृष्टि से भारत के पास दुनिया की सबसे अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति का जखीरा है, इस दावे की यहीं हवा निकल जाती है।

वास्तव में अब जरूरत है 'रन ऑफ द मिल' यानी बने-बनाए ढर्रे पर स्नातक पैदा करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाने की। लेकिन यह होगा कैसे, इसे करेगा कौन? बिजनेस सेक्टर सिर्फ लाभ के अर्थशास्त्र से काम कर रहा है और नागरिक विज्ञापनों के जरिये सचेत हो रहा है, तो बात फिर सरकार पर ही आ जाती है।

स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाएं

राज्य द्वारा जो प्रोत्साहक, निरोधात्मक व सुरक्षात्मक कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं उन्हें या उनकी महत्ता को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें कई को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं सरकारों द्वारा सराहा गया है। ध्यान रहे कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को विश्व बैंक ने तीन श्रेणियों में विभाजित किया है- प्रोत्साहक, सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक। प्रोत्साहक उपायों का लक्ष्य किसी विशेष आदत या व्यवहार को प्रोत्साहित करके, अल्प और दीर्घकाल में आय को सुधारना है। उदाहरण के लिए मिड-डे मील जेसे कार्यक्रमों से स्कूलों में उपस्थिति और पोषण में सुधार होता है जिसके कारण रोजगार की संभावनाओं में सुधार होता है। इसी प्रकार सशर्त नकदी ट्रांसफर से मानव पूंजी में निवेश होता है और नवनिर्मित कार्यक्रम, जैसे एनआरएलएम आजीविका से टिकाऊ रोजगार का विकास होता है।

निरोधात्मक उपाय गरीबी और अन्य कठिनाइयों से, उनका आघात होने से पहले ही बचाव करते हैं और परिवारों को प्रत्याशित आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और विशेष रूप से सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के माध्यम से जोखिम विफल हो जाने पर उन्हें सहारा देते हैं। उदाहरण के लिए एमजीनरेगा रोजगार की गारंटी और आय का आश्वासन देने के साथ-साथ परिवारों को गरीबी के दलदल में गिरने से बचाता है। सुरक्षात्मक या सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में चिरकालिक निर्धनों को पूर्वव्यापी आधार पर अथवा उन लोगों को सहायता प्रदान की जाती है जो किसी आघात के कारण गरीब हो गये हों। सुरक्षात्मक उपायों में भोजन, सामाजिक पेंशन और परिसंपत्तियां, जैसे घर इत्यादि प्रदान किए जाते हैं और परिवारों को अपनी तेजी से घटे आय के कारण अपनी बचत खत्म करने, अपनी परिसंपत्तियों को बेचने या बच्चों को स्कूल से निकालने से रोका जाता है। खाद्य पदार्थों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सुरक्षात्मक उपायों द्वारा परिवारों को आवश्यकता के समय पोषण सुरक्षा प्रदान की जाती है लेकिन प्रोत्साहक उपायों के समान, परिवारों को कोई विशेष व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती।

प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं

सुरक्षात्मक, निरोधात्मक एवं विकासात्मक विशेषताओं से सम्पन्न हजारों स्कीमें/योजनाएं/कार्यक्रम केंद्र सरकार अकेले अथवा राज्य सरकारों के साथ मिलकर चला रही है। उदाहरणार्थ महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, शिशु कल्याण, जेंडर जस्टिस, सामुदायिक विकास, सामुदायिक न्याय आदि शामिल हैं। जैसे-उज्ज्वला, अल्पसंख्यक महिलाओं के जीवन, आजीविका और नागरिक सशक्तीकरण, रोशनी, अन्नपूर्णा, महिला समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (सबला), मातृत्व सहयोग योजना, स्वाधार, अवैध देह व्यापार की रोकथाम के लिए स्कीम (उज्ज्वला), राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (आरजीएनएफ), राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, उड़ान (जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उनमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए), शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षु (अप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण योजना, ट्राइफेड-हस्तशिल्प/हथकरघा के लिए कौशल विकास/उन्नयन एवं क्षमता निर्माण, सपोर्ट टु ट्रेनिंग एण्ड एप्लॉयमेंट प्रोग्राम (स्टेप), महिलाओं को प्रभावी स्वयं सहायता समूह में संगठित करने हेतु प्रियदर्शिनी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (पहले आजीविका कहलाती थी), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान योजना (आरएसईटीआई), मल्टी सेक्टोरल डेवलमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी), सीखो और कमाओ (अल्पसंख्यकों के लिए), परवाज (अल्पसंख्यकों के लिए), हिमायत, उड़ान, रोशनी, क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहयोग (सीबीटीए) योजना, पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में कौशल विकास अधोसंरचना, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (आईएमसी/ईडीपी/ईएसडीपी) योजना, महात्मा गांधी प्रवासी योजना, प्रधानमंत्री रूरल डेवलपमेंट फेलोज (पीएमआरडीएफ), दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत, हृदय....आदि।

अब शिक्षा का अर्थ है परीक्षा, अंक प्राप्ति, प्रतिस्पर्धा तथा व्यवसाय जिनको व्यवसाय नहीं मिलता वह बेकारी की सेना में भर्ती हो रहे हैं। नैसकॉम और मैकिन्से के शोध के अनुसार मानविकी में 10 में से एक और इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके चार में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य हैं। इस दृष्टि से भारत के पास दुनिया की सबसे अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति का जखीरा है, इस दावे की यहीं हवा निकल जाती है।

वृद्धजनों के लिए सरकारी प्रयास

नए महत्वपूर्ण प्रयासों में सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा वृद्धजनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में सरकारी स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। वस्तुतः सरकार इन प्रयासों के माध्यम से जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए, जो 45 वर्ष से अधिक का है, विशेष सामाजिक-आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति करना चाहती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कुछ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी गुजरात, दिल्ली एवं हरियाणा के साथ कुछ केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा द *लॉगीट्यूडनल ऐर्जिंग स्टडी इन इंडिया* नामक सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था जिसमें 45 वर्ष की उम्र से अधिक के 60,000 लोगों के सैंपल एकत्रित किये गये थे। इन सूचनाओं के एकत्रित करने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य वृद्धजनों से संबंधित एक वैज्ञानिक आंकड़ा तैयार करना है क्योंकि

आरेख 1: कल्याणकारी कार्यक्रमों के विविध अंशधारक

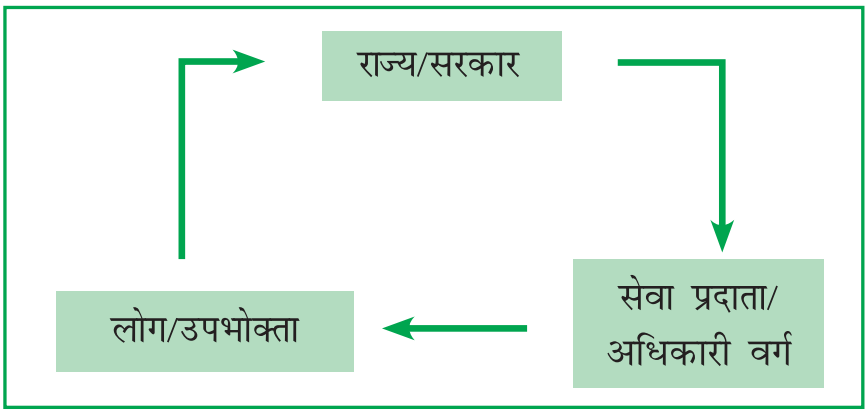

इन आंकड़ों में - वित्तीय पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य बीमा की वर्तमान दशा, वृद्धावस्था आश्रम एवं मनोचिकित्वर्षय में रह रहे परिवार के सदस्यों की सूचना शामिल होगी।

इस सर्वे में ये भी व्यवस्था की गई है कि दो वर्षों के बाद पुन: उसी व्यक्ति के पास सर्वे टीम जाकर उस व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी व अन्य जरूरतों का पता लगाएगी। मूलत: सरकार का प्रयास वर्तमान जनसंख्या के एक ऐसे हिस्से की ज़रूरतों के संदर्भ में एक डेटाबेस तैयार करने की है जो अपनी सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतों के लिए दूसरे पर आश्रित हैं। इस दशा में सरकार की भूमिका उनके लिए एक सुविधा प्रदाता की तरह होगी। दूसरी तरफ देश आज जनांकिकीय संक्रमण की उस अवस्था में है जहां जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत अधिकतम है परन्तु 25 वर्षों के बाद देश की आबादी में वृद्धजनों की जनसंख्या लगभग आधे के करीब होगी। अत: सरकार के द्वारा किए जा रहे ये प्रयास भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 15 मार्च, 2017 को नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अनुमोदित किया। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि यह नीति बदलते सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी-विज्ञान परिदृश्य में मौजूदा और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए 15 वर्षों के अंतराल के बाद अस्तित्व में आयी है। नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है जो कि वर्तमान में जीडीपी का 1.04 प्रतिशत है। इसके अलावा नीति में जीवन प्रत्याशा, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर को 2015 तक 2.1 पर लाना, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर आदि में व्यापक कमी लाना, वर्ष 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना जिसे एचआईवी/एड्स के लिए 90:90:90 के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है, वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक कालाजार तथा वर्ष 2017 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना और वर्ष 2025 तक क्षयरोग का उन्मूलन तथा हृदयवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को वर्ष 2025 तक घटाकर 25 प्रतिशत करने, जैसे लक्ष्य शामिल हैं। विशेष बात यह है कि इस नीति में गैर-संचारी रोगों की उभरती चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति में आयुष प्रणाली के त्रि-आयामी एकीकरण की परिकल्पना की गयी है जिसमें क्रांस रेफरल, सह-स्थल और औषधियों की एकीकृत पद्धतियां शामिल हैं।

आरेख 2: कल्याणकारी कार्यक्रमों के विविध प्रतिमान

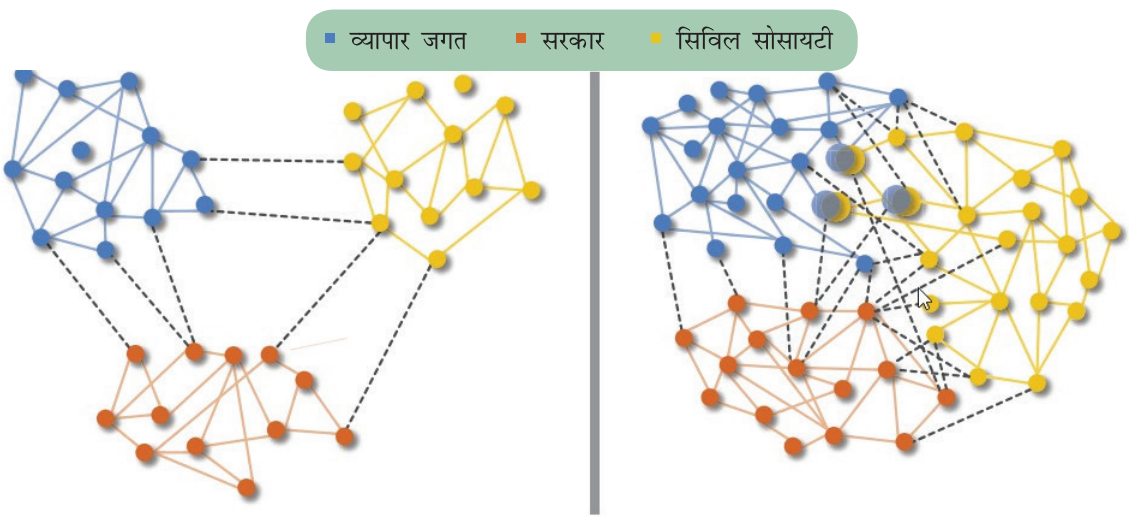

स्पष्टीकरण: बायीं ओर के आरेख में सबसे ऊपर दायी तरफ बिजनेस सेक्टर हैं, बायीं ओर सिविल सोसाइटी एवं सबसे नीचे सरकार है।

स्रोत: *वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2015*

कुल मिलाकर सरकार सुरक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण व शहरी विकास के क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करने हेतु जो कार्यक्रम व नीतियां बना रही है, उन्हें इतना कम करके नहीं आंका जाना चाहिए कि उनका महत्व ही नगण्य हो जाए। जहां तक इन सुविधाओं की पहुंच का प्रश्न है, तो उसमें कमी हो सकती है और है भी। ऐसा इसलिए है कि सरकार, सेवा प्रदाता/नौकरशाही तथा जनता के बीच एक संबंध है जिसमें अपेक्षा की जाती है कि सभी अपना-अपना काम ईमानदारी से करेंगे। यानि जनता राज्य/सरकार को शक्ति प्रदान करेगी और सरकार अच्छी नीतियां बनाकर तथा सेवा प्रदाता पर नियंत्रण स्थापित कर उनका क्रियान्वयन कराएगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ऐसा पूरी तरह से हो नहीं पाया। इसके कई कारण रहे।

प्रथम यह कि राज्य एवं सेवा प्रदाता के मध्य पारस्परिक संबंध विकसित हो गया जिससे लोगों की हैसियत कम हो गयी। फलतः साम्य बिगड़ गया।

द्वितीय, पिछले दो दशकों में जो प्रतिमान बदले भारत का सामान्य नागरिक उसे समझने में पूरी तरह समर्थ नहीं दिखा, जिससे वह प्रतियोगिता के तरीके तथा सामने आने वाली चुनौतियों से अनभिज्ञ रहा। स्वाभाविक है कि बाजार की संस्थाओं के मुकाबले नागरिक अपने अधिकारों एवं शक्ति प्रक्षेपण के मामले में सरकार के निकट पहुंचने में पीछे रह गया। इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच ने अपने एक अध्ययन में साररूप में बताया है कि सरकार, सिविल सोसाइटी और बिजनेस के बीच संबंध हमेशा से रहा है। (आरेख-1)।

पुराने प्रतिमानों में सरकार, सिविल सोसाइटी और बिजनेस, मुख्य रूप से अपने-अपने दायरे में रहकर ही काम करते थे। वे बहुत ही सीमित पैमाने पर स्वतंत्र रूप से दूसरे को प्रभावित करने वाले कार्य करते थे। यही कारण है कि प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वतंत्र भूमिका की रक्षा करने में सफल था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तीनों के अधिकार व कर्तव्य व दृश्य स्पष्ट थे, इसलिए उनकी भूमिकाओं का आसानी से आकलन किया जा सकता था।

अब जो नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं, उनमें ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सामाजिक परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए एक नए किस्म की सक्रियता दिखाई देती है यानि प्रत्येक क्षेत्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एकीकरण के कुछ ऐसे प्रयास कर रहा है जिसके चलते वह दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण आसानी से करते जा रहा है। यह बात पिछले वर्ष केंद्रीय बैंकों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कनाडा के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने भी कही थी। उनका कहना था कि अब बाजार *मार्केट इंस्टीट्यूशंस* की बजाय *सोशल इंस्टीट्यूशंस* की भूमिका में आ गया है, यह नए संकट का प्रतीक है। सहयोगात्मक साझेदारी एवं नवाचार के लिए निर्मित नए फ्रेमवर्क का परिणाम यह हुआ है कि पारम्परिक भूमिकाएं घुंधलेपन का शिकार हो रही हैं। आज हाइब्रिड संगठनों की भूमिका बेहद कमजोर हो गयी है अर्थात् सामाजिक उद्देश्य से व्यवसाय और मार्केट सेक्टर के रूप में सिविल सोसाइटी का आज अभाव दिख रहा है। इस सक्रिय लेकिन जटिल एवं उलझी हुई व्यवस्था में सिविल सोसाइटी से अपेक्षा है कि वह सचेतता के स्केल पर सबसे ऊपर रहे, ताकि बाजार एवं सरकार के बीच साम्य बनाने में सफल हो। यही वर्तमान बाजारवाद (अथवा बाजारवादी पूंजीवाद) एवं लोकतंत्र की आवश्यकता है। लेकिन क्या सिविल सोसाइटी एवं उसके प्रबुद्ध नागरिक ऐसा कर पा रहे हैं? ❑

'डिजियात्रा' - हवाई यात्रियों के लिए एक नया डिजिटल अनुभव

नागरिक उड्यन मंत्रालय, डिजियात्रा प्लेटफार्म के माध्यम से हवाई यात्रियों के लिए एक डिजिटल अनुभव जोड़ रहा है। इसके तहत एयर सेवा जिसमें ग्राहक के शिकायतों को संभालने के लिए और वास्तविक समय डेटा प्रसारित करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ का एक समान मंच पर लाया जाता है। डिजियात्रा पहल भारत में विमान यात्रियों को उनकी यात्रा के सभी चरणों में एक अग्रणी 'डिजिटल रूप से एकीकृत उड़ान अनुभव' प्रदान करता है।

सभी विमानन हितधारक- एयरलाइन, हवाई अड्डे ऑपरेटर, सुरक्षा और आव्रजन एजेंसियां, टैक्सी ऑपरेटर, खुदरा प्रतिष्ठान और अन्य सभी डिजिटल मानकों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं जो डेटा और सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान को सक्षम कर सकता है। यह प्लेटफार्म 4 महत्वपूर्ण स्तंभों जिसमें जुड़े यात्री, जुड़े हवाई अड्डों, जुड़े फ्लाइंग और जुड़े तंत्र शामिल हैं जो समय के साथ यात्रियों के लिए यह संभव कर सकता है कि:

- टिकट की बुकिंग के समय भविष्य के भाड़े का अनुमान लगाने और कीमतों के रुझान की पहचान करके कुशलतापूर्वक अपनी यात्राओं की योजना बनाएं,
- आरक्षण के समय एयरलाइंस और अन्य इकोसिस्टम से आधार को वैकल्पिक रूप से लिंक करना ताकि तेजी हवाई अड्डे पर प्रवेश किया जा सके और पेपर-आधारित किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना स्वचालित चेक-इन,
- तेजी से उन्नत बायोमीट्रिक सुरक्षा समाधानों के कारण वॉक-थ्रू सुरक्षा स्कैनर,
- विभिन्न सुविधाओं, प्रोटोकॉल, एयरलाइन के समय, हवाई अड्डों पर कतार की लंबाई आदि से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करें,
- अनुभव क्षेत्रों पर अनुकूलित डिजिटल प्रस्तुतियों में शामिल हों,
- यात्रा के अगले चरण पर अधिक से अधिक दृश्यता रखने के लिए भीड़ और देरी के बारे में वास्तविक समय की सूचनाएं प्राप्त करें,
- डिजिटल मार्गदर्शन प्रणाली, इंटरैक्टिव कियोस्क और संवर्धित वास्तविकता ऐपों का उपयोग कर हवाई अड्डे के माध्यम से आसानी से नेविगेट करें,
- उड़ानों के दौरान जुड़े रहें और अनूठे अनुभवों में लिप्त रहें। डीजिटल आधार पर फ्लाइट के भीतर सेवाओं और गंतव्य भी बुक करें,
- जब आपका सामान बैगेज दावा बेल्ट तक पहुंचता है, तो एक संकेत प्राप्त करें, और
- शिकायतें सबमिट करें, अनुभव साझा करें और प्रतिक्रिया दें। ❑

LUKMAAN IAS

LIVE-ONLINE OFFLINE

मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 2017

• सामान्य अध्ययन • समाजशास्त्र • इतिहास • लोक प्रशासन • भूगोल • ऊर्दू साहित्य

लेखन शैली विकास कार्यक्रम

(1–2 जुलाई, मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज के सभी परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त)

LUKMAAN IAS बेहतर क्यों?

विशेषताएं	अन्य	LUKMAAN IAS
• फेकल्टी द्वारा टेस्ट पेपर की तैयारी	X	✓
• फेकल्टी द्वारा टेस्ट पेपर का मूल्यांकन	X	✓
• लेखन शैली विकास कार्यक्रम	✓	✓
• मूल्य संवर्धन की सामग्री	✓	✓
• व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन	X	✓

01 जुलाई से बैच प्रारम्भ

निबन्ध टेस्ट सीरीज

• 8 टेस्ट • मॉडल उत्तर • विस्तृत परिचर्चा

(निबंध पर रणनीति का **01 जुलाई** को विशेष सत्र)

नीति शास्त्र टेस्ट सीरीज

नीति शास्त्र प्रश्नपत्र में 120 से अधिक अंक प्राप्त करने के अपने प्रयासों को साकार करें।

कुल टेस्ट 7 (मूल्यांकन और मॉडल उत्तर फेकल्टी द्वारा)

वैकल्पिक विषयों की कक्षाएं

• समाजशास्त्र • इतिहास • ऊर्दू साहित्य

03 जुलाई से बैच प्रारम्भ

नीति शास्त्र : केस स्टडी
बैच प्रारम्भ – 05 जुलाई
अवधि – 15 दिन/8 कक्षाएं

GS फाउण्डेशन
बैच प्रारम्भ
10 जुलाई 2017 से
अवधि – 10 महीने

समसामयिकी मेन्स पर
शीघ्र बैच प्रारंभ

MUKHERJEE NAGAR CENTRE:- 871, 1st FLOOR, MAIN ROAD
(OPP. BATRA CINEMA) MUKHERJEE NAGAR - 110009
CONTACTS: 011-41415591 & 7836816247
email:enquiries@lukmaanias.com www.lukmaanias.com

YH-664/2/2017

सामाजिक सुरक्षा की जद में कामगार सुरक्षा

हरिकिशन शर्मा

''श्रमिक के दो हाथ जो हासिल कर सकते हैं, पूंजीपति अपने पूरे सोने-चांदी से उसे कभी नहीं पाएगा...श्रम अमूल्य है, सोना नहीं।'' – **महात्मा गांधी**

हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की रफ्तार जितनी तेज गति से हुई है, उसकी तुलना में निजी संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर के सृजन नहीं हुए हैं। रोजगार की तलाश करने वालों की बढ़ती संख्या इसकी तस्दीक करती है। वर्ष 2011-12 में करीब साढ़े चार करोड़ लोग नौकरी तलाश रहे थे। निजी संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वांछित वृद्धि न होने के साथ-साथ कामगारों के लिए रोजगार सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा रहा है

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उपरोक्त कथन समाज और राष्ट्रनिर्माण में श्रमिक और श्रम दोनों के महत्व को रेखांकित करता है। किसी भी देश के विकास में जितनी बड़ी भूमिका प्राकृतिक संसाधनों और विद्यमान शासन व्यवस्था की होती है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान श्रमिकों के कठिन परिश्रम का भी होता है। यही वजह है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कामगारों को तरजीह दी और देश में संविधान लागू होने से पहले ही न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948 और कारखाना कानून 1948 जैसे कई कानून बनाकर कामगारों के हित सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए। इसके बाद संविधान में श्रम कल्याण पर जोर देते हुए श्रमिकों के हितों में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये। श्रमिकों के कार्य की स्थिति, भविष्य निधि, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ जैसे उद्देश्यों को संवैधानिक प्रावधानों में समाहित किया गया।

श्रम विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और केंद्र तथा राज्य दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। हालांकि कुछ मामले विशेषकर केंद्र के अधिकार क्षेत्र में ही रखे गए हैं। बीते सात दशक में अलग-अलग सरकारों ने कामगारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कई प्रयास किए लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, सहभागिता और व्यापक जागरुकता के अभाव में ये उपाय कारगर साबित नहीं हुए। यही वजह है कि भारत में कामगारों का एक बड़ा वर्ग आज सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। खासकर कामगार वर्ग के लिए आजीविका सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व की मात्र 27 प्रतिशत आबादी ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है और आधी से अधिक जनसंख्या के पास किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि सामाजिक सुरक्षा से वंचित लोगों का एक बड़ा हिस्सा भारत जैसे विकासशील देशों में है। यही वजह है कि देश की वर्तमान सरकार ने *श्रमेव जयते* का नारा देते हुए विगत तीन वर्षों में कई विधायी, प्रशासनिक और नीतिगत कदम उठाकर कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की है। कामगारों के लिए वर्तमान सरकार का तीन सूत्री मंत्र 'रोजगार की सुरक्षा, मजदूरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है। इसलिए भारत में कामगार सुरक्षा की दशा और दिशा को इस तीन सूत्रीय कसौटी पर कसना सामयिक एवं समीचीन होगा।

कामगार सुरक्षा का परिदृश्य

भारत में कामगार सुरक्षा के परिदृश्य का विश्लेषण कामगारों का वर्गीकरण सरकारी – गैरसरकारी और संगठित – असंगठित श्रेणियों में किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमबल प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में भले ही कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर 17 प्रतिशत के आसपास आ गया हो लेकिन आधी से अधिक आबादी आजीविका के

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। यूएनडीपी नीति आयोग के फेलोशिप ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग 2015, जर्मनी इंडिया मीडिया एम्बेस्डर 2015, एन्क्लुसिव मीडिया फैलोशिप 2010, आदि के तहत विकास विषयक शोध कर चुके हैं। ईमेल: hari.scribe@gmail.com

तालिका 1: भारत में रोजगार की स्थिति: विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारप्राप्त प्रति एक हजार व्यक्ति

गांव	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
पुरुष	594	220	187
महिला	749	167	83
शहर	**प्राथमिक क्षेत्र**	**द्वितीयक क्षेत्र**	**तृतीयक क्षेत्र**
पुरुष	56	353	591
महिला	87	340	551

स्रोत: हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स आन इंडियन इकोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। इस तरह भारत में अधिकांश कामगार असंगठित क्षेत्र में ही हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों का अनुपात अभी निम्न स्तर पर है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की रिपोर्ट 'सेंसस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज' के अनुसार 31 मार्च 2011 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 30.87 लाख थी जबकि 2009 में यह 30.99 लाख थी। इस तरह केंद्र सरकार में 2009 से 2011 के दौरान रोजगार में 0.39 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के 30.87 लाख कर्मचारियों में से मात्र 3.37 लाख कर्मचारी महिलाएं थीं। केंद्र सरकार में महिला कर्मचारियों का स्तर 11 प्रतिशत के आसपास ही बना हुआ है। वैसे दीर्घावधि में देखें तो 1995 तक केंद्र सरकार में कर्मचारियों की संख्या बढ़कर करीब 40 लाख तक पहुंची लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट आ रही है। इस तरह सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के बजाय हाल के वर्षों में कम हुए हैं। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों में रोजगार के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 'हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्ट्रिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी' से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 में देश में सार्वजनिक क्षेत्र में 176.1 लाख कामगार थे और नब्बे के दशक के मध्य से सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 1996-97 में सार्वजनिक क्षेत्र में कामगारों की संख्या 195.7 लाख तक पहुंच गयी थी। (विस्तृत विवरण तालिका 2 में देखें)।

इस तरह रोजगार सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई है। समय-समय पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और स्वीकृत पदों पर रिक्तियों के चलते सरकारी कर्मचारियों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती गयी है। जहां तक मजदूरी सुरक्षा का प्रश्न है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हुआ है। अब तक सात वेतन आयोग गठित हुए हैं। इस तरह वेतन आयोग की व्यवस्था के जरिये केंद्रीय कर्मियों का वेतन संरक्षित रहा है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोगों का गठन किया है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी केंद्रीय कर्मियों और राज्य कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं। केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) इस दिशा में एक अहम उपाय साबित हुई है।

दूसरी ओर संगठित निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों में वांछित वृद्धि नहीं हुई है। आरबीआई की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 में संगठित निजी क्षेत्र में मात्र एक करोड़ 20 लाख कामगार कार्यरत थे। संगठित निजी क्षेत्र के रोजगार के आंकड़ों में ऐसे सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं जिनमें दस से अधिक कामगार कार्यरत हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की रफ्तार जितनी तेज गति से हुई है, उसकी तुलना में निजी संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर के सृजन नहीं हुए हैं। रोजगार की तलाश करने वालों की बढ़ती संख्या इसकी तस्दीक करती है। वर्ष 2011-12 में करीब साढ़े चार करोड़ लोग नौकरी तलाश रहे थे। निजी संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वांछित वृद्धि न होने के साथ-साथ कामगारों के लिए रोजगार सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा रहा है।

वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के चलते अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में छंटनी या वर्तमान में विकसित देशों की संरक्षणवादी नीतियों के चलते सूचना प्रौद्योगिकी जैसे तेजी से उभरते क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर नौकरियों में कटौती इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा नई पेंशन योजना (एनपीएस) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की व्यवस्था के बावजूद निजी क्षेत्र के अधिकांश कामगार आज सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। संगठित निजी क्षेत्र के कामगारों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) है लेकिन बहुत से कामगार अब भी इस सुविधा से वंचित हैं। ईएसआई के तहत कामगारों को बीमारी में आकस्मिक व्यय, प्रसव, अपंगता, काम के दौरान घायल होने पर मृत्यु होने पर व्यापक मेडिकल देखभाल और नकद लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत बीमित व्यक्तियों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है और लाभार्थियों की संख्या का आंकड़ा 7.89 करोड़ है।

वैसे वर्तमान सरकार ने ईएसआई के तहत निजी सार्वजनिक साझेदारी यानि पीपीपी मॉडल पर विभिन्न स्तरों के अस्पताल कैंसर का पता लगाने/इलाज की सुविधा, हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए हैं। वहीं ईएसआई एक्ट के तहत निर्धारित मजदूरी सीमा एक जनवरी 2017 से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इसी तरह 20 जनवरी 2017 से ईएसआई एक्ट के तहत मैटरनिटी बेनिफिट भी 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। यह सुविधा बच्चा गोद लेने वाली महिलाकर्मियों को भी दी गयी है। इसके साथ ही सरोगेट माता के लिए 12 सप्ताह का अवकाश, बच्चे को गोद लेने वाली महिला

वर्तमान सरकार ने ईएसआई के तहत निजी सार्वजनिक साझेदारी यानि पीपीपी मॉडल पर विभिन्न स्तरों के अस्पताल कैंसर का पता लगाने/इलाज की सुविधा, हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए हैं। वहीं ईएसआई एक्ट के तहत निर्धारित मजदूरी सीमा एक जनवरी 2017 से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इसी तरह 20 जनवरी 2017 से ईएसआई एक्ट के तहत मैटरनिटी बेनिफिट भी 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है।

तालिका 2: सार्वजनिक और संगठित निजी क्षेत्रों में रोजगार (10 लाख में)

वर्ष	सार्वज. निक*	निजी क्षेत्र*	बेरोजगार #
1976-77	14.18	6.95	10.92
1977-78	14.73	7.11	12.68
1978-79	15.58	7.23	14.33
1979-80	15.12	7.24	16.20
1980-81	15.48	7.40	17.84
1981-82	16.28	7.53	19.75
1982-83	16.75	7.39	21.95
1983-84	17.22	7.36	23.55
1984-85	17.58	7.43	26.27
1985-86	17.68	7.37	30.13
1986-87	18.24	7.39	30.25
1987-88	18.32	7.39	30.05
1988-89	18.51	7.45	32.78
1989-90	18.77	7.58	34.63
1990-91	19.06	7.68	36.30
1991-92	19.21	7.85	36.76
1992-93	19.33	7.85	36.28
1993-94	19.45	7.93	36.69
1994-95	19.47	8.06	36.74
1995-96	19.43	8.51	37.43
1996-97	19.56	8.69	39.14
1997-98	19.42	8.75	40.09
1998-99	19.41	8.70	40.37
1999-00	19.31	8.65	41.34
2000-01	19.14	8.65	42.00
2001-02	18.77	8.43	41.17
2002-03	18.58	8.42	41.39
2003-04	18.20	8.25	40.46
2004-05	18.01	8.45	39.35
2005-06	18.19	8.77	41.47
2006-07	18.00	9.24	39.97
2007-08	17.67	9.88	39.11
2008-09	17.80	10.38	38.15
2009-10	17.86	10.85	38.83
2010-11	17.55	11.45	40.17
2011-12	17.61	12.04	44.49

* मार्च के अंत में, # रोजगार एक्सचेंज के लाईव रजिस्टर के अनुसार (दिसंबर अंत में)

स्रोत: *रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया*

के लिए रोजगार प्रदाता और कामगार की आपसी रजामंदी से घर से काम करने की सुविधा, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के लिए यह सुविधा देना आवश्यक है। कामगारों के भविष्य की चिंता करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) शुरू की है। साथ ही कमर्चारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) की लाभराशि 3.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये और न्यूनतम 2.5 लाख रुपये की गयी है।

सरकार ने वर्ष 2022 तक सबको आवास देने का लक्ष्य रखा है, इसलिए ईपीएफओ भी पीएफ सदस्यों के लिए हाउसिंग स्कीम लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर, 2014 को *श्रमेव जयते* कार्यक्रम में एकीकृत वेब पोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' लांच किया। बहु श्रम कानूनों के तहत अलग-अलग रिटर्न भरने के स्थान पर सरल एकल ऑनलाइन रिटर्न और स्वप्रमाणित रिटर्न तथा ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मौजूदा प्रतिष्ठानों के 9.5 लाख से अधिक श्रमिकों को विशिष्ट श्रमिक पहचान नम्बर (एलआईएन) प्रदान किये गये।

विधायी मोर्चे पर कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 07 अगस्त 2014 को लोक सभा में 'कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014' पेश किया। इस विधेयक का मकसद 'कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करना है। यह कानून 1948 में बना था। इसका मुख्य उद्देश्य कारखानों में नियोजित कामगारों के पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने तथा उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोन्नत करना था। तब से लेकर अब तक इसमें वर्ष 1949, 1950, 1951, 1954, 1970 और 1976 में संशोधन किये गये हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 में अंतिम संशोधन वर्ष 1987 में किया गया था। इस तरह कारखाना अधिनियम में अंतिम संशोधन को 30 वर्ष हो चुके हैं। बीते तीन दशकों में कारखानों में नई-नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशनों, न्यायिक आदेशों और विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों के मद्देनजर कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए इस कानून में संशोधन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

सबसे खराब स्थिति असंगठित क्षेत्र के कामगारों की है। इनके पास न तो रोजगार सुरक्षा है और न ही मजदूरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। वैसे तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में ही बन गया था लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में इसका समुचित लाभ कामगारों को नहीं मिल पाया है। हालांकि अब जाकर इस दिशा में कुछ ठोस पहल देखने को मिली है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार ने 9 मई, 2015 को असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए *अटल पेंशन योजना* शुरू की जिसके अब तक 54 लाख सदस्य बन चुके हैं। इसका सदस्य 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति बन सकता है। न्यूनतम पेंशन की राशि भी अब एक हजार रुपये कर दी गयी है।

साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में भी कदम उठाया है। साथ ही केंद्रीय क्षेत्र के सभी सेक्टरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बुनियादी दर में पहली बार 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। कृषि, गैर कृषि, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों के लिए यह पहली बार था जब इसमें एक साथ बढ़ोतरी हुई हो। गैर कृषि क्षेत्र में सी श्रेणी क्षेत्र में काम करने वाले की मजदूरी को 246 रुपये दैनिक से बढ़ाकर 350 किया गया, बी श्रेणी क्षेत्र में 437 रुपये दैनिक और एक श्रेणी क्षेत्र के मजदूरों के लिए 523 रुपये दैनिक किया गया।

बहरहाल, सरकार श्रम सुधारों की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए चार श्रम संहिताएं बना रही है। द्वितीय श्रम आयोग ने श्रम कानूनों की 4 से 5 समूह में कार्यात्मक आधार पर संहिताकरण करने की सिफारिश की थी। वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 43 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में करने के प्रावधानों पर काम कर रहा है। ये श्रम संहिताएं इस प्रकार होंगी-वैतनिक श्रम संहिता, औद्योगिक संबंधों की श्रम संहिता, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की श्रम संहिता और सुरक्षा एवं कार्य करने की स्थितियों की श्रम संहिता। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये श्रम संहिताएं भारत में कामगारों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था का निर्माण करेंगी। ❑

IAS/PCS

सरस्वती

राजनीति विज्ञान

द्वारा राजेश मिश्रा

The most trusted name in Political Science

राजनीति विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

★ सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम का सबसे ज्यादा भाग कवर करने वाला विषय।
★ वर्तमान पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान सामान्य अध्ययन का ही विस्तार है।
★ हमारे संस्थान के विद्यार्थियों में उ०प्र० टॉपर, उत्तराखण्ड में तीसरा स्थान, बिहार में तीसरा एवं चौथा स्थान, झारखण्ड टॉपर एवं मध्यप्रदेश में 13वीं एवं राजस्थान में 9वीं, 18वीं एवं 25वीं स्थान प्राप्त किया है।
★ सिविल सेवा परीक्षा में 28वीं रैंक, 55वीं रैंक, 111वीं रैंक तथा 175वीं रैंक प्राप्त किया है।
★ परिणाम अध्ययन की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं।
★ सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन संस्थान के द्वारा किया गया है।
★ हमारे संस्थान की सफलता दर सर्वाधिक बेहतर है।

सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पुस्तकें

नया बैच 1 जुलाई, 2017

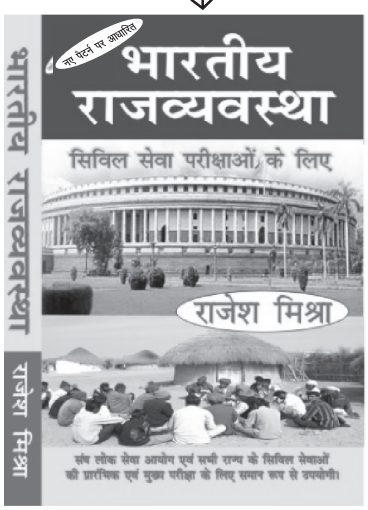

राज्यव्यवस्था एवं भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमाणिक एवं बेहतर पुस्तक जो अत्यधिक सरल एवं अपडेटेड है।

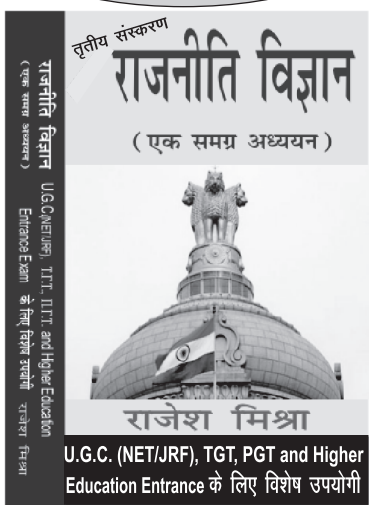

A-20, 102, 1st Floor, Indraprasth Tower, (Near Batra Cinema)
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27651250, 09899156495
E-mail : saraswati.ias@gmail.com Visit us : www.saraswatiias.com

YH-682/2017

बेघरों एवं अनाथ बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा

संतोष कुमार पाठक

देशभर के अनाथाश्रमों की बात करें तो सबसे अधिक बेचैन करने वाले आंकड़े यह हैं कि, देश में 50,000 ग्रहणीय अनाथ बच्चों में से 1,600 बच्चों से अधिक गोद के लिए तैयार नहीं हैं। इनमें से आधे बच्चों के लिए करीब 7,500 परिवार कतार में हैं। और अन्य आधे बच्चों को या तो किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है या फिर उनकी उम्र दो वर्ष से अधिक है। वैसे तो देशभर में 341 जिला बाल संरक्षण इकाइयां काम कर रही हैं लोकिन इसके बावजूद देश में बच्चा गोद लेने के लिए बाकायदा एक रैकेट काम कर रहा है

सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा वास्तव में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अभिन्न अंग है। राज्य या सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसे हम सरकार कहते हैं उसका प्राथमिक दायित्व ही अपने नागरिकों का कल्याण करना है। प्राचीन भारत में भी राजतंत्र का बड़ा दायित्व अपनी प्रजा का कल्याण करना होता था। आधुनिक युग में भी विद्वानों ने यह माना है कि सरकारी नीति में सुरक्षा और कल्याण का तत्व शामिल अवश्य होना चाहिए। हालांकि औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिमी देशों में सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का नया ही स्वरूप उभरकर सामने आया जिसमें ज्यादा जोर कामगारों यानि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हितों पर ही रहा। इस दौर में ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, मृत्यु जैसी परिस्थिति में नियोक्ता या सरकार मजदूर या उसके परिवार का भरण-पोषण करने की व्यवस्था करे।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, ''वह सुरक्षा जो समाज, उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा है।'' यानि ऐसी सभी योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा में लिया जाना चाहिए जो कर्मचारी को बीमारी के समय आश्वस्त कर सके अथवा जब श्रमिक कमाने योग्य न हो तो उसे लाभान्वित कर सकें तथा उसे पुन: कार्य पर लगाने में सहायक हों।

भारत में सामाजिक कल्याण

हालांकि प्राचीन भारतीय संस्कृति की अवधारणा इससे बिल्कुल भिन्न थी जहां नागरिकों का संपूर्ण कल्याण शासक की जिम्मेदारी होती थी। देश की आजादी के तुरंत बाद पूंजीवाद और समाजवाद के बीच फंसे भारत ने भी सामाजिक कल्याण की पश्चिमी अवधारणा को ही आत्मसात किया, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया समाज के अन्य वर्गों के कल्याण की जिम्मेदारी सरकार लेती गई। कुछ योजनाओं में पहल केंद्र की तरफ से हुई, तो कुछ योजनाओं में राज्य सरकारों की तरफ से। हम इस लेख में समाज के ऐसे ही दो वर्गों के बारे में बात करेंगे... पहला बेघर (जिनके पास रहने को छत) और दूसरे अनाथ यानि बेसहारा बच्चे।

भारत में बेघर

भारत अपनी आजादी के 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इतने वर्षों बाद भी बेघर लोगों की संख्या हमें काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। आजादी के कई वर्षों बाद तक बेघर लोगों की परिभाषा को लेकर ही कई तरह के मत पाये जाते थे। इस क्षेत्र के जानकारों ...यहां तक कि सरकार में शामिल लोगों का भी मानना रहा है कि बेघर लोगों की संख्या ठीक-ठीक बता पाना मुश्किल है क्योंकि ऐसे लोगों का कोई स्थायी निवास-स्थान, पता-ठिकाना नहीं होता और ऐसे में बेघर लोगों को खोज पाना ही अपने आप में बड़ी मुश्किल का काम है। विवाद इस बात को भी लेकर रहा कि जिन मकानों की हालत अत्यंत जर्जर है, जो घर बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं या फिर जिन घरों

लेखक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक दशक से अधिक समय से कार्यरत हैं। संप्रति 'समाचार प्लस' चैनल में डिप्टी ब्यूरो चीफ (दिल्ली) हैं। विविध पत्र-पत्रिकाओं में आलेख नियमित और पर प्रकाशित। ईमेल: santosh.pathak2401@gmail.com

में एक छोटे से छत के नीचे बड़ी तादाद में लोग रहते हैं उन्हें भी बेघर में गिना जाए या नहीं। इसे देखते हुए पहली बार 2011 की जनगणना में बेघर लोगों की स्पष्ट परिभाषा पर जोर दिया गया।

नई जनगणना में बेघर परिवारों के स्वरूप को स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया। इस जनगणना में उन परिवारों को बेघर माना गया है जो किसी इमारत, जनगणना के क्रम में दर्ज मकान में नहीं रहते बल्कि खुले में, सड़क के किनारे, फुटपाथ, फ्लाईओवर या फिर सीढियों के नीचे रहने-सोने को बाध्य होते हैं अथवा जो लोग पूजास्थल, रेलवे प्लेटफार्म अथवा मंडप आदि में रहते हैं। जनगणना में ऐसे लोगों की गिनती 28 फरवरी 2011 को हुई थी। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में कम से कम साढ़े चार लाख परिवार बेघर हैं। व्यक्तियों की बात करें तो देश में आज भी 17.7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बेघर परिवारों में से प्रत्येक का औसत चार (3.9 व्यक्ति) व्यक्तियों के लगभग है। हालांकि देश की कुल आबादी के अनुपात पर चर्चा करें तो बेघर लोगों की संख्या महज 0.15 फीसदी ही बैठती है। लेकिन इसके बावजूद 17.7 लाख लोगों के पास सोने या रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात रही है कि पिछले एक दशक के दौरान बेघरों की संख्या में गिरावट आई है। नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक (2001-2011) के बीच बेघर लोगों की संख्या में लगभग 8 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि 2001-2011 के 10 वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों की संख्या में 20.5 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गयी है वहीं राहत की बात यह रही है कि इन्हीं 10 वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण इलाकों में बेघर लोगों की संख्या में 28.4 फीसदी की भारी गिरावट भी दर्ज की गयी है। बेघर आबादी में बच्चों की संख्या वर्ष 2001 में 17.8 फीसदी थी जो वर्ष 2011 में घटकर 15.3 फीसदी पर आ गयी है।

बेघर परिवारों की संख्या के मामले में शीर्ष के पांच राज्य: उत्तर प्रदेश (3.3 लाख), महाराष्ट्र (2.1 लाख), राजस्थान (1.8 लाख), मध्यप्रदेश (1.46 लाख) और आंध्रप्रदेश (1.45 लाख) हैं। अगर कुल आबादी में बेघर लोगों के अनुपात के लिहाज से देखें तो शीर्ष के पांच राज्यों में राजस्थान (0.3 फीसदी), गुजरात (0.24 फीसदी), हरियाणा (0.2 फीसदी), मध्यप्रदेश (0.2 फीसदी) तथा महाराष्ट्र (0.19 फीसदी) का नाम है।

शहरी क्षेत्र में आवासों की कमी से संबंधित एक तकनीकी समूह का आकलन है कि देश के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2012 में 1 करोड़ 80 लाख 78 हजार मकानों की कमी थी और इस कमी का 95 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर अथवा निम्न आय-वर्ग के लोगों से संबंधित है। राष्ट्रीय आवास बैंक के आंकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ 30 लाख 90 हजार मकानों की कमी बतायी गई है जिसका 90 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित-वर्ग के लोगों से संबंधित है।

बड़ी राहत की बात यह रही है कि पिछले एक दशक के दौरान बेघरों की संख्या में गिरावट आई है। नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक (2001-2011) के बीच बेघर लोगों की संख्या में लगभग 8 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि 2001-2011 के 10 वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों की संख्या में 20.5 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है वहीं राहत की बात यह भी रही है कि इन्हीं 10 वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण इलाकों में बेघर लोगों की संख्या में 28.4 फीसदी की भारी गिरावट भी दर्ज की गई है।

बेघरों की सुध लेती सरकार

बेघर लोगों की इतनी बड़ी तादाद सरकार के लिए चिंता का सबब बन गई है। शहरों में तो यह समस्या भयावह रूप लेती जा रही है। खासतौर से सर्दी के मौसम में कोई छत ना होने की वजह से लोगों की मौतें होती हैं जिसकी वजह से सरकारों को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के कड़े आदेश के बाद सर्दी के मौसम में तमाम राज्य सरकारें बड़ी संख्या में रैन बसेरों की व्यवस्था करने लगी हैं जहां बेघर लोग रात में जाकर सो सके। लेकिन यह सभी जानते हैं कि यह केवल अस्थायी समाधान ही है। स्थायी समाधान तो सिर्फ एक ही हो सकता है कि इन्हें मकान दिया जाए, छत मुहैया कराई जाए ताकि इन पर लगा बेघर का ठप्पा हट सके।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

ऐसे में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए वर्तमान सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है। 2022 तक देश के सभी बेघरों को पक्का आवास देने की योजना। जिसके तहत सरकार ने यह फैसला किया कि वो 2022 तक सबको घर दे देगी, यानि 2022 के बाद कोई भी बेघर नहीं रहेगा। सरकार की ओर से इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मकान बनाने के लिए एक लाख बीस हजार और पर्वतीय व सुदूर क्षेत्रों के लिए एक लाख तीस हजार रुपये उपलब्ध कराने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना पर तकरीबन 81,975 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 60 हजार करोड़ रुपये बजट प्रावधान के जरिए और शेष 21,975 करोड़ नाबार्ड निधि से खर्च होंगे। वैसे तो योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में सभी बेघरों को आवास उपलब्ध कराने का है लेकिन सरकार द्वारा 2016 से 2019 के बीच तकरीबन एक करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले मोदी सरकार ने शहरी क्षेत्रों के बेघरों के लिए भी घर देने की योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत 4000 से अधिक छोटे-बड़े शहरों में दो करोड़ मकान बनाने की घोषणा की गई थी। जाहिर है कि अगर यह दोनों योजना आकार लेती है तो निस्संदेह ग्रामीण व शहरी गरीबों के पास अपना घर होगा।

फिलहाल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2018 तक 51 लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। यह 2019 तक 1 करोड़ घर बनाए जाने के लक्ष्य का आधा है। संशोधित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, सरकार निर्माण में लगने वाले पहले के 18 महीने से 3 वर्ष के समय को अब घटाकर 6-12 महीने करना चाहती है।

2016-17 में 32 लाख से ज्यादा घरों के बनने की खबर है और मार्च 2016 में खत्म हुए वर्ष में बनाए गये घरों की संख्या 18 लाख रही है। आपको बता दें कि पीएमएवाई-ग्रामीण को नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था ताकि पूर्ववती इंदिरा आवास योजना के बदले इसे लागू किया जा सके। इसमें हर घर के लिए आवंटन की राशि को दोगुना कर दिया गया है और घर के एरिया को भी बढ़ा दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष के बजट में 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। स्कीम में प्रति परिवार आवंटन को दोगुना कर पहले के 75,000 रुपये से 1,20,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही ओवरऑल एरिया को भी बढ़ाकर 22 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। हाउसिंग स्कीम में बने घर स्वच्छ भारत अभियान से लिंकेज होंगे ताकि 12,000 रुपये प्रति परिवार को अतिरिक्त आवंटन के साथ हर घर में एक टॉयलेट बनाया जा सके। इसके साथ ही मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा जिससे हर परिवार को 18,000 रुपये की आमदनी होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमवाई) के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2017-18 में शहरों में 12 लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। हालाँकि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार इस योजना के तहत केवल 1.49 लाख घर ही बना पाई थी लेकिन इसके लिए जमीन अधिग्रहण में हुई देरी को बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में अब सरकार इस योजना में तेजी लाने के लिए कमर कस चुकी है। अब योजना के तहत वर्ष 2018-19 और 2019-20 में 26-26 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि 2020-21 में 30 लाख और 2021-22 में 29.80 लाख घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना में अब तक 18.76 लाख घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। जबकि 13.06 लाख घरों के निर्माण के लिए राशि जारी की जा चुकी है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जून 2015 में शुरू की थी। इसका लक्ष्य 2022 तक सभी को घर सुनिश्चित कराना है। इसके लिए सरकार तेज गति से इस लक्ष्य को पाना चाहती है। 500 श्रेणी-1 के शहरों के साथ-साथ इस योजना में 4041 कस्बों को भी शामिल किया गया है। इसमें सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी भी दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना घर खरीद सके।

हालांकि *दीन दयाल अंत्योदय योजना* तथा *राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन* का भी अंतिम लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना ही है क्योंकि सरकार इस योजना के जरिये शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम बनाना चाहती है ताकि उनके मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है।

हालांकि दीन दयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का भी अंतिम लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना ही है क्योंकि सरकार इस योजना के जरिये शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम बनाना चाहती है।

सबके लिए आवास-बड़ी चुनौती

हालांकि सबको आवास मुहैया कराना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, खासकर शहरी इलाकों में क्योंकि अर्थव्यवस्था और वातावरण पर केंद्रित वैश्विक आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो दशकों में भारत की शहरी आबादी 21 करोड़ 70 लाख से बढ़कर 37 करोड़ 70 लाख हो चुकी है, जो 2031 तक 60 करोड़ की संख्या को छू लेगी। यानि उस समय देश की आबादी का 40 फीसदी हिस्सा शहरों में मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों के किनारे पर बस रहे नए शहरों की बसावट में कोई योजना नहीं है। इनके निर्माण में मानकों और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा और ये नए शहर अनियंत्रित विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए शहरों के विकास के लिए अगले बीस वर्ष में करीब पांच लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। इसका दो तिहाई केवल शहरी सड़कों और यातायात पर खर्च होगा। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है कि सभी बेघरों को आवास तो मिले लेकिन यह नियोजित तरीके से होना चाहिए। ध्यान रखना होगा कि एक बड़ी आबादी हर वर्ष रोजी-रोजगार के लिए शहरों की ओर रुख कर रही है। ऐसे में बेघरों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इसे रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर दीर्घकालीन रणनीति तैयार करनी होगी। एक तरफ जहां शहरों में मकानों की संख्या बढ़ानी होगी वहीं दूसरी तरफ से गांव से शहरों की ओर लगातार होने वाले पलायन को भी नियंत्रित करना होगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मनरेगा योजना इस संबंध में सरकार की मदद कर सकती है बशर्ते इसमें घुस आए भ्रष्टाचार जैसी कमियों पर काबू पाया जा सके।

इसके साथ ही बेहतर होगा कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के साथ निगरानी तंत्र भी विकसित करे जो सुनिश्चित करे कि योजना भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांवों में बेघरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पिछले कई दशकों से इंदिरा आवास योजना चल रही है, लेकिन ग्राम प्रधानों के पक्षपातपूर्ण रवैये और कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से योजना का लाभ ऐसे लोगों को मिल रहा है, जो बेघर नहीं हैं। इसलिए यह सबसे आवश्यक हो जाता है कि केंद्र व राज्य सरकारें बेघरों को आवास उपलब्ध

कराने की मानवीय योजना को मूर्त रूप देने के लिए दीर्घकालीन पारदर्शी रणनीति तैयार करें ताकि योजना के उद्देश्य को साधा जा सके।

बेसहारा या अनाथ बच्चे

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के शब्दों में कहें तो, "हमारी सरकार भारत के हर बच्चे को खुशहाली देना चाहती है। इस पहल के अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा व संरक्षण की सुविधा दी जाएगी। "जाहिर है कि सरकार का लक्ष्य हर बालक का कल्याण कर उन्हें देश का सक्षम नागरिक बनाना है। भारत में 18 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं को नाबालिग माना जाता है। यानि 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की गिनती बालक में होती है। हालांकि आपराधिक मामलों में नाबालिग की इस उम्र सीमा को लेकर कई विवाद चल रहे हैं। आमतौर पर बच्चे के माता-पिता ही उनके शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। हालांकि सरकार इस मामले में अलग-अलग तरीकों से बच्चों की मदद जरूर करती है लेकिन भारत में सबसे बड़ी समस्या बेसहारा यानि अनाथ बच्चों को लेकर आती है। ऐसे बच्चे जिनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। या तो वो माता-पिता-अभिवावक की मृत्यु की वजह से अनाथ हो गये हैं या जानबुझकर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है। इसमें वे बच्चे भी शामिल होते हैं जो परिवार की टूटन अथवा मां-बाप या रिश्तेदारों की प्रताड़ना की वजह से घर छोड़ कर भाग जाते हैं। एक सौ 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत की जनसंख्या में बच्चों की आबादी लगभग 40 करोड़ है।

भारत में बेसहारा और अनाथ बच्चे

मार्च 2017 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक 70 हजार के लगभग बच्चे फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं, जबकि केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में इनकी संख्या सबसे कम है, जहां लगभग 150 बच्चे सड़कों पर गुजर-बसर करते हैं। हालांकि यह जानकारी देने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि सरकार के पास फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। मेनका गांधी ने यह भी माना कि सरकार के पास निराश्रित, अनाथ और परित्यक्त बच्चों की गणना करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि दो गैर सरकारी संगठनों 'डॉन बॉस्को नैशनल फोरम' और 'यंग एट रिस्क' की ओर से देश के 16 शहरों में 2013 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार महानगरों में सबसे ज्यादा बच्चे फुटपाथों पर रहते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 69,976 बच्चे, मुंबई में 16,059, कोलकाता में 8,287, चेन्नई में 2,374 और बेंगलुरु में 7,523 बच्चे फुटपाथ पर रहते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों की संख्या गुवाहाटी में 5,534, हैदराबाद में 1,797, चंडीगढ़ में 2,323, दीमापुर में 2,455, इम्फाल में 851, शिलांग में 872, विजयवाड़ा में 2,238, सेलम में 5,752, गोवा में 1,287 और बड़ौदा में 2,428 हैं।

भारत सरकार बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए पहले से ही 'बेसहारा बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम' योजना को चला रही थी। बाद में इस योजना का विलय 2009-10 में शुरू की गई 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में कर दिया गया। बताया गया कि ऐसा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बेहतर तालमेल के लिए किया गया।

उत्तर प्रदेश स्टेट सेव द चिल्ड्रेन प्रोग्राम के मुताबिक पांच शहरों में सड़क पर रहने वाले बच्चों का आंकड़ा 38 से 45 फीसदी है। इस सर्वे में सड़क पर रहने वाले बच्चों को चार स्तर पर बांटा गया है जो कि इस प्रकार हैं, कूड़ा उठाना, भीख मांगना, सड़क पर सामान बेचना, सड़क किनारे स्टॉल पर काम करना है। ये ज्यादातर झुग्गी-झोपड़ी में सोते हैं। सेव द चिल्ड्रन द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क पर रहने वाले 63 फीसदी बच्चे अनपढ़ हैं। केवल 3 से 16 फीसदी बच्चे ही ऐसे हैं जो पढ़ते हैं। पांच शहरों में सड़क पर रहने वाले बच्चों की आबादी (0 से 6 वर्ष तक) 19 से 32 फीसदी के बीच है। इसमें लड़कियां 37 फीसदी हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बेसहारा बच्चों की बड़ी आबादी या तो बाल श्रमिक के रूप में काम करती है या फिर संगठित गिरोह उन्हें अपराध की तरफ धकेल देता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में तीन लाख से ज्यादा बच्चे व्यापारिक यौनवृत्ति में लगे हुए हैं। बेसहारा बच्चों की एक चौथाई आबादी को जीवन में कभी न कभी यौन शोषण का सामना करना पड़ता है।

जानकारों के मुताबिक शातिर अपराधी ऐसे ही बच्चों को अपनी शरण में लेकर पहले उन्हें नशेड़ी बनाते हैं, फिर उनसे नशीले पदार्थों की तस्करी अथवा अन्य अपराध कराते हैं। नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी बताते हैं कि देश में 67 फीसदी से अधिक बाल अपराधी 16 से 18 वर्ष की उम्र समूह के हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष नाबालिग किशोर अपराधियों की संख्या में 28 फीसदी का इजाफा हुआ है। खास बात यह कि इनमें लड़कियां भी अच्छी-खासी संख्या में शामिल हैं।

सोशल काउंसलर एम हापर की 'रेस्क्युइंग रेलवे चिल्ड्रन-रियूनाइटिंग फैमिलीज फ्रॉम इंडियाज रेलवे प्लेटफार्म' पुस्तक के मुताबिक भारत के पचास मुख्य रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर हर वर्ष 70 हजार से लेकर 1.20 लाख तक बच्चे घर से भागकर पहुंचते हैं।

बेसहारा बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाये गये कदम

इन बेसहारा बच्चों की सुध लेने वाला अभी तक कोई नजर नहीं आता था। कभी-कभी कोई एनजीओ इन बच्चों की मदद करता नजर आता था लेकिन उसका दायरा बहुत सीमित यानि शहर विशेष तक ही सीमित रहता था। लेकिन अब सरकार भी इस समस्या की भयावहता को समझने लगी है इसलिए इन बच्चों के सामाजिक कल्याण और पुनर्वास के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। इसी वर्ष मार्च में लोकसभा में सरकार की तरफ से लिखित जबाव देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के लिए तथा बाल तस्करी और आश्रय गृहों में बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों और गैर सरकारी संगठनों की मदद

से मंत्रालय की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने इस संदर्भ में खासतौर से चाइल्ड हेल्पलाइन और ई-बॉक्स सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में ये काफी मददगार साबित हुए हैं। गांधी ने कहा कि चाइल्ड हेल्पलाइन और ई बॉक्स पर मिलने वाली शिकायतों पर फौरन कार्रवाई की जाती है।

आपको बता दें कि भारत सरकार बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए पहले से ही 'बेसहारा बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम' योजना को चला रही थी। बाद में इस योजना का विलय 2009-10 में शुरू की गई 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में कर दिया गया। बताया गया कि ऐसा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बेहतर तालमेल के लिए किया गया।

समेकित बाल संरक्षण स्कीम का उद्देश्य देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम में निराश्रित, अनाथ, बेसहारा बच्चों सहित देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों हेतु बाल गृहों, शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में मुक्त आश्रयों तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों की स्थापना एवं रख-रखाव की परिकल्पना की गई है।

नई योजना के तहत सड़कों पर जीवन जीने को मजबूर बालकों के संरक्षण की जिम्मेदारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दे दी गई। इसके अलावा इन बच्चों के लिए जो योजनाएं पहले से चल रहीं हैं उनमें भी सुधार किए जाने की मंशा सरकार ने स्पष्ट तौर पर जाहिर कर दी है।

केंद्र सरकार की कोशिश है कि एनजीओ, पुलिस और बाल विकास समिति में आपसी तालमेल को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए ताकि इन अनाथ बच्चों की मदद के लिए बेहतर से बेहतर कदम प्रभावी तरीके से उठाए जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस संबंध में सही आंकड़े जुटाने और नीतियां बनाने को कहा गया है। कई राज्यों में भी इसी तरह के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। कई राज्य सरकारें अपने बल पर भी केंद्रीय सहायता से इस तरह के बच्चों के लिए अलग-अलग तरीके से काम कर रही है।

अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया

देशभर के अनाथाश्रमों की बात करें तो सबसे अधिक बेचैन करने वाले आंकड़े यह हैं कि, देश में 50,000 ग्रहणीय अनाथ बच्चों में से 1,600 बच्चों से अधिक गोद के लिए तैयार नहीं हैं। इनमें से आधे बच्चों के लिए करीब 7,500 परिवार कतार में हैं। और अन्य आधे बच्चों को या तो किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है या फिर उनकी उम्र दो वर्ष से अधिक है। वैसे तो देशभर में 341 जिला बाल संरक्षण इकाइयां काम कर रही हैं लोकिन इसके बावजूद देश में बच्चा गोद लेने के लिए बाकायदा एक रैकेट काम कर रहा है। इसे खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में ही गोद लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पहले से कहीं अधिक पारदर्शी बनाने के लिए गोद लेने के कानून में बदलाव किया था। हालांकि इसको लेकर कई तरह के विवाद भी खड़े हुए और मामला अदालत तक भी पहुंचा। नए नियमों के मुताबिक, सभी दत्तक अभिभावक एवं बच्चों को सरकार द्वारा एक साथ, एक डेटाबेस में लाया गया है, जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण या कारा द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस कदम से कई सकारात्मक बातें हो सकती हैं: गोद लेने वाले अभिभावक, बिना गोद देने वाली एजेंसियों के हस्तक्षेप के, देश के किसी भी हिस्से से बच्चा चुन सकते हैं। यह गोद लेने की इच्छा वाले अभिभावकों को लंबी प्रतीक्षा पर रखने के बजाए एक वरिष्ठता नंबर से साथ वाला एक पारदर्शी प्रणाली है; और इससे मनमानेपन में भी कटौती होगी क्योंकि अब गोद देने वाली एजेंसियों के पास यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं रह जाता है कि किस अभिभावक के लिए कौन से बच्चे का मेल सही रहेगा।

समाज की जिम्मेदारी

कई देशों में ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी स्टेट अपने ऊपर लेता है। परंतु अपने देश में इस प्रकार के बच्चे हमेशा समाज पर भार ही समझे जाते रहे हैं। सरकारों के साथ यह समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनाथ व बेसहारा बच्चों को भी एक पहचान मिले। इनके लिए बाल संरक्षण गृहों का एक रचनात्मक ढांचा विकसित हो जहां इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई व उनके कौशलयुक्त समाजीकरण की भरपूर व्यवस्था हो। तभी आने वाले समय में हम इन बच्चों को समाज का सक्रिय और उत्पादित सदस्य बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अभाव में इन बच्चों का अपराध जगत का हिस्सा बन समाज विरोधी भूमिका में आना ही स्वाभाविक कहलाएगा। जाहिर है कि इससे बचने के लिए भारतीय समाज को आगे बढ़कर प्रयास करना होगा। ❑

संदर्भ

- HH & 2 Houseless Households By Household Size
- http%//www.censusindia.gov.in/2011census/hh&series/hh02.html
- Presentation Census of India 2011] Primary Census Abstract Houseless Population] http%//www.censusindia.gov.in/2011&Documents/Houseless»20P
- PT»2005&12&2013.pdf
- Report on Trend and Progress of Housing in India 2013 by National Housing Bank
- http%//www.nhb.org.in/Publications/Progress&report&2013&EN
- GLISH.pdf
- Report on Trend and Progress of Housing in India (previous years)]
- http%//www.nhb.org.in/Publications/trends.php
- Housing Shortages in Rural India & Shamsher Singh] Madhura Swaminathan] and VK Ramachandran] Review of Agrarian Studies] Volume 3] Number 2 (July&December] 2013)]
- http%//www.ras.org.in/housing_shortages_in_rural_india
- Key Indicators of Urban Slums in India (July 2012 to December 2012)] National Sample Survey 69th Round]
- Report of the Technical Group (11th FYP) on Estimation of Urban Housing Shortage] Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation] http%//mhupa.gov.in/ministry/housing/housingshortage&rept.pdf
- मार्च 2017 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा लोकसभा में दिया गया लिखित जबाव
- 'डॉन बॉस्को नैशनल फोरम' और 'यंग एट रिस्क' सर्वेक्षण 2013
- उत्तर प्रदेश स्टेट सेव द चिल्ड्रेन प्रोग्राम
- सोशल काउंसलर एम हार्पर की 'रेस्क्युइंग रेलवे चिल्ड्रन-रियूनाइटिंग फैमिलीज फ्रॉम इंडियाज रेलवे प्लेटफॉर्म्स'

PATANJALI IAS

पढ़िये उनसे जिनकी **प्रामाणिकता** एवं **श्रेष्ठता** निर्विवाद है तथा जिनसे टॉपरों ने भी पढा है।

सामान्य अध्ययन

सत्र 2018-19 (प्रथम बैच)

निःशुल्क कार्यशाला

10 JULY

6:30 PM

मुखर्जी नगर (पोस्ट ऑफिस के ऊपर)

द्वितीय बैच

22 July | 11:30 AM

तृतीय बैच

26 July | 2:30 PM

दर्शनशास्त्र

सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय

- सबसे छोटा सिलेबस, लाखों तथ्यों को रटने से छुटकारा
- रिवीजन में आसान • अंकदायी एवं सफलतादायी विषय
- **G.S** और निबंध में बहुत उपयोगी

24 निःशुल्क कार्यशाला **July 9:00 AM**

भूगोल

(वैकल्पिक विषय)

श्री जे० शंकर

निःशुल्क कार्यशाला

2 July

3:00 PM

मुखर्जी नगर पोस्ट ऑफिस के ऊपर

RAS

Foundation

(हिन्दी and English Medium)

14 July

4:00 PM

IAS

Foundation

(हिन्दी and English Medium)

Ph.: 9571456789

GWALIOR CENTRE

MPPSC 2017

फाउंडेशन बैच

14 July 4 PM

घर बैठे करें **IAS** की तैयारी

CLCP

रचनात्मक प्रशिक्षण, पत्राचार कार्यक्रम

(Creative Learning Correspondence Programme)

इस रचनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, IAS की तैयारी के लिए देश के विख्यात **PATANJALI** संस्थान के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार सारगर्भित, प्रासंगिक, प्रामाणिक पाठ्य सामग्री घर बैठे मंगवाकर अपनी तैयारी की शुरूआत कर सकते है और उसे नई दिशा दे सकते हैं। यह सामग्री विशेष रूप से वैसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखगर तैयार की गई है जो IAS बनने की इच्छा तो रखते है परन्तु किसी कारणवश दिल्ली आने में असमर्थ है या समुचित मार्गदर्शन एवं सामगी की कमी से द्वंद्व की स्थिति में हैं। यह पाठ्य सामग्री सिविल सेवा के नवीन पाठ्यक्रम एवं बदलती हुई मांगों के अनुरूप है। साथ ही इसे समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, संस्थाओं समितिओं की रिपोर्टों, सुधारों नवीन उभरती समस्याओं एवं समाधानों के माध्यम से अप-टू-डेट किया गया है। पाठ्य सामग्री के साथ-साथ विगत वर्षों के प्रश्नों का विषयवार संग्रह भी सम्मिलित है जिसके आधार पर आप पिछले वर्षों के विभिन्न खंडों से पूछे गए प्रश्नों की संख्या एवं उनकी प्रकृति (Nature) को जानकर अपनी तैयारी को सम्यक् दिशा (Right Direction) में आगे बढ़ा सकते हैं।

DELHI CENTRE	JAIPUR CENTRE	GWALIOR CENTRE
202, 3rd Floor, Bhandari House (above Post Office)Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09 Ph.: 011-43557558, 9810172345	31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur Ph.: 9571456789, 9680677789	32/1296, Krishna Tower, Phool Bagh Chaurara, Gwalior (MP) Ph:- 0751-4073458, 9584392158

YH-668/2/2017

बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी क्यों

उमेश चतुर्वेदी

विकसित देशों में वृद्धों की देखभाल और उनकी चिकित्सा सहूलियत पूरी तरह राज्य की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी विभिन्न देशों को समय-समय पर वृद्धजनों के लिए नीति बनाकर तद्नुसार कार्यक्रम चलाने के लिए उत्साहित करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1991 में वृद्धजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की नीति अपनायी गई। 1992 में महासभा द्वारा वृद्धावस्था पर एक घोषणा पत्र एवं सन् 2001 के लिए वृद्धावस्था पर वैश्विक लक्ष्य जैसे कार्यक्रम बनाये गये। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम बनाये गये। भारत भी अब इस रास्ते पर चलता दिख रहा है

भारत में जिस रफ्तार से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह बुजुर्गों की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जीवन सहूलियतें और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ने उम्र दर और औसत उम्र में बढ़ोतरी कर दी है। पांच वर्ष पहले आये एक सर्वे ने भी इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय लोगों की औसत आयु में बढ़ोतरी हुई है। *ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी* 2010 के मुताबिक वर्ष 1970 के मुकाबले भारत में पुरुषों का जीवन विस्तार 15 वर्ष और महिलाओं का 18 वर्ष बढ़ गया है। आज औसत आयु बढ़कर 70 से ज्यादा हो गई है। शायद यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और हेल्पेज का मानना है कि 2026 में भारत में बूढ़ों की आबादी 17.32 करोड़ हो जाएगी। इस अध्ययन अनुमान के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन बुजुर्गों में यह स्थिति उलट है यानि बुजुर्ग पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा हैं।

जनसंख्या पर उम्र के हिसाब से नज़र रखने वाली संस्था कंट्री मीटर्स के मुताबिक अभी भारत में 65 वर्ष या उससे ऊपर की आबादी की संख्या कुल आबादी की साढ़े पांच फ़ीसद यानि सात करोड़ है। वैसे साठ पार बुजुर्गों की संख्या दस करोड़ को पार कर गई है। इसी कंट्री मीटर्स के अनुमान के मुताबिक 50 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। इसी वजह से सामाजिक संगठनों की ओर से ऐसे लोगों को 65 वर्ष की उम्र होने पर सरकार की ओर से 10 हज़ार रुपये महीने पेंशन देने की योजना शुरू करने की मांग बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुताबिक 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सूची में भारत अभी ही दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

पचास वर्ष में देश की जनसंख्या लगभग तीन गुनी हो गई है, लेकिन बुजुर्गों की संख्या चार गुना से भी ज्यादा हो गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक साठ वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों की संख्या जहां सात करोड़ 70 लाख थी, तभी 2011 की जनगणना के लिए अनुमान लगाया गया था कि वह 10 करोड़ को पार कर जाएगी और ऐसा ही हुआ। पिछले एक दशक में भारत में वयोवृद्ध लोगों की आबादी 39.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। आगे आने वाले दशकों में इसके 45-50 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होने में 100 से ज्यादा वर्ष लगे, वहीं भारत में सिर्फ 20 वर्ष में ही बुजुर्गों की संख्या दोगुना हो गई। 2004 के राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन के एक अध्ययन से पता चला था कि 60 से ज्यादा उम्र के करीब तीन फीसदी लोग अकेले रह रहे हैं। उस अध्ययन के मुताबिक अपने जीवनसाथी के साथ रहने वाले बुजुर्गों की संख्या सिर्फ 9.3 फीसद ही थी, जबकि अपने बच्चों या परिवार के साथ कुल बुजुर्गों का 35.6 प्रतिशत रह रहा था। सामाजिक संगठनों का मानना है कि इस समस्या के चलते करीब तीन लाख *सीनियर हाउसिंग यूनिट्स* की देश में जरूरत है। निजी क्षेत्र इसमें भी कारोबार देख रहा है और उसे लगता है कि इसके जरिए एक अरब डॉलर

लेखक टेलीविजन पत्रकार और स्तंभकार हैं। राजनीतिक, सामाजिक और विकास से जुड़े मुद्दों के अध्ययन और मनन में उनकी खास दिलचस्पी है। संप्रति 'लाइव इंडिया' समाचार चैनल से संबद्ध हैं। ईमेल: uchaturvedi@gmail.com

से ज्यादा का कारोबार हो सकता है। इसकी वजह से देश में कई जगह रिटायर्ड लोगों की सोसायटियां बन गई हैं।

बुजुर्गों की अनदेखी या उन्हें अकेले छोड़ने की एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय समाज में पारिवारिकता की डोर खासकर शहरी समाज में लगातार कम होती गई है। बढ़ती महंगाई और सीमित होते संसाधनों की वजह से अब न्यूक्लियर परिवारों में बुजुर्गों को बोझ समझे जाने के उदाहरण बढ़ने लगे हैं। अति निम्न मध्यवर्गीय और अत्यधिक उच्चवर्गीय परिवारों में यह संकट कहीं ज्यादा है। अति निम्न-मध्यवर्गीय परिवारों में इसकी वजह सीमित आर्थिक संसाधन हैं तो उच्च-मध्यवर्गीय परिवारों में स्वकेंद्रित विकास और जीवनशैली इसकी बड़ी वजह मानी जा सकती है। कई उच्च मध्यवर्गीय परिवारों में सांस्कृतिक संकट भी बुजुर्गों की अनदेखी की वजह बन रहा है। इन परिवारों के पढे-लिखे बच्चे अपनी उच्च शिक्षा की वजह से विदेशों या बड़े शहरों में नौकरियां करने जा रहे हैं और वहीं के होकर रह जा रहे हैं लेकिन छोटे शहरों या देश में पीछे छूट गए उनके साथ विदेश या बड़े शहरों में जाने को तैयार नहीं होते। अगर कभी चले भी जाते हैं तो जीवन के आखिरी पायदान पर उस शहर या दूसरे देश की संस्कृति और सामाजिक ताना-बाना उन्हें रास नहीं आता और वे अपने अकेलेपन की दुनिया में वापस लौट जाते हैं लेकिन कोई भी समाज अपने बुजुर्गों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता।

बुजुर्ग बेशक बढ़ती उम्र के चलते शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी श्रम के जरिये उत्पादकता घट जाती है लेकिन यह भी सच है कि उनके पास स्थित अनुभवों का खजाना समाज और इसके बाद देश को दिशा देने की बड़ी पूंजी होता है। अभी जो बुजुर्ग संगठित क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र से रिटायर हुए हैं, उन्हें पेंशन मिल रही है, जिससे उनका आखिरी वक्त में गुजारा चल रहा है लेकिन 2004 से भारत सरकार ने जो नीति अख्तियार की, उसमें पेंशन के लिए कर्मचारी को ही अपना योगदान देना पड़ रहा है। इसका फायदा कई कंपनियां उठा रही हैं और वे अपने कर्मचारियों से ऐसी कोई रकम वसूल ही नहीं रही हैं। निश्चित तौर पर 2004 में नौकरी शुरू करने वाली पीढ़ी जब बीस-पच्चीस वर्ष बाद रिटायर होगी तो उसके पास आखिरी वक्त में जीवन यापन करने, दवा-दारू का खर्च जुटाने या दूसरी बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे नहीं होंगे। तब निश्चित तौर पर ये बुजुर्ग समाज और देश की जिम्मेदारी होंगे, इसलिए अभी से एक सुनिश्चित बुजुर्ग नीति और उनके लिए कल्याण योजनाओं की दिशा में देश को काम करना शुरू करना होगा। यही वजह है कि देश में बुजुर्गों के लिए अलग से नीति बनाने और उनके कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है। बुजुर्गों की भारी संख्या को संभालने के लिए उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन के साथ ही बुजुर्ग आश्रय स्थल बनाने की भी जरूरत बढ़ गई है।

एक अध्ययन से पता चला था कि 60 से ज्यादा उम्र के करीब तीन फीसदी लोग अकेले रह रहे हैं। उस अध्ययन के मुताबिक अपने जीवनसाथी के साथ रहने वाले बुजुर्गों की संख्या सिर्फ 9.3 फीसद ही थी, जबकि अपने बच्चों या परिवार के साथ कुल बुजुर्गों का 35.6 प्रतिशत रह रहा था। सामाजिक संगठनों का मानना है कि इस समस्या के चलते करीब तीन लाख सीनियर हाउसिंग यूनिट्स की देश में जरूरत है।

अपने देश में स्वास्थ्य देखभाल और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा के लाभ संगठित क्षेत्र के ही कर्मचारियों को मिलते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि संगठित क्षेत्र में देश की कुल श्रम शक्ति का सिर्फ छह प्रतिशत ही जुड़ा है। बाकी 94 फीसद संख्या असंगठित क्षेत्र में ही काम करती है जिनमें से ज्यादातर को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि कई मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों ने कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चला रखे हैं लेकिन उनका फायदा भी सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं राज्यों द्वारा चलाई जा रही हैं लेकिन उनमें भी एकरूपता और बराबरी नहीं है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा के राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों से गैर संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जुड़े नहीं हैं। इसलिए उन्हें या उनके आश्रितों को बीमारी, अधिक उम्र, दुर्घटनाओं या मृत्यु के कारण बेहद गरीबी का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने बुजुर्गों की हालत को देखते हुए स्पेन की राजधानी मैड्रिड में वयोवृद्धता पर अंतरराष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस वजह से दुनियाभर की सरकारें यह योजना बनाने को प्रतिबद्ध हैं। अपने देश ने भी इसे मानते हुए बुढ़ापे से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को महसूस किया और कई नीतियां और योजनाएं बनायी हैं। इसी के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वयोवृद्ध लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीति, 1999 तैयार की। जिसके तहत, वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिकता, आश्रय, जानकारी संबंधी आवश्यकताओं, उचित रियायतों आदि में सहायता प्रदान करना, उन्हें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जैसे उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करने और इन्हें मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी नीति के तहत वर्ष 2007 में सरकार ने संसद से अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का गुजारा और कल्याण से संबंधित कानून पारित कराया। इसके तहत माता-पिता, दादा-दादी को उनके बच्चों से आवश्यकतानुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यावस्था है। कानून में वरिष्ठ नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और हर जिले में वृद्ध सदनों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं हैं।

कानून के बारे में पूरी जानकारी न होने और विभिन्न स्तरों पर ठीक तरह से कानून लागू न होने के कारण बड़ी संख्या में वृद्ध जन इस कानून के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए कई अनुदान सहायता योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इनमें से एक है *वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम।* इसके तहत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे वृद्ध सदन, दिन में देखभाल के केंद्र, चलते-फिरते चिकित्सा यूनिट स्थापित कर सकें और बुजुर्गों को गैर-संस्थागत सेवाएं उपलब्ध करा सकें। इनके अलावा हेल्पलाइन, फिजियोथिरेपी

केंद्रों, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि भी प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य होते हैं:

- वृद्ध सदनों की स्थापना और रख-रखाव
- विश्राम सदनों और निरंतर देखभाल सदनों का रख-रखाव
- बुजुर्गों के लिए बहु-सेवा केंद्र चलाना
- सचल चिकित्सा यूनिटों का रख-रखाव
- मानसिक स्वास्थ्य और विशेष देखभाल
- हेल्पलाइन और परामर्श केंद्र
- वृद्धजन देखभाल का प्रशिक्षण देना
- वृद्धजनों के कल्याण के प्रति जागरुकता पैदा करना और उनकी देखभाल करने वाले लोगों की व्यवस्था करना
- वरिष्ठ नागरिक समूहों का गठन करना
- इस योजना के अंतर्गत अन्य कोई उपयुक्त गतिविधि चलाना।

यह तो है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम। इसी तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय भी वृद्धों के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। इनमें से एक है- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन गुजार रहे लोगों के लिए फायदा मिलता है। पहले इसका फायदा लेने के लिए 65 वर्ष की आयु का होना जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। इसके तहत अभी तक 200 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं लेकिन जिन बुजुर्गों की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें 200 रुपये के स्थान पर 500 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। राज्य सरकारें चाहें तो इससे अधिक राशि अपनी तरफ से दे सकती हैं। इसी छूट के तहत कई राज्य सरकारें पांच सौ से लेकर हजार रुपये तक मासिक पेंशन बुजुर्गों को दे रही हैं।

इसी तरह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत वृद्ध देखभाल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए *राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम* (एनपीएचसीई) को मंजूरी दी है। ये वृद्धजन देखभाल केंद्र 21 राज्यों के 100 जिला अस्पतालों में खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही इन केंद्रों को सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी खोलने की योजना है। कुछ राज्यों ने तो अपने यहां सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन लगाने का भी इंतजाम किया है। इसी तरह कानून मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह बुजुर्गों से संबधित केसों को प्राथमिकता और उनका त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने की तैयारी की गयी है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की ओर से आरटीआई कानून के तहत दूसरी अपीलों की सुनवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर करने की योजना बनायी गयी है। इसी तरह स्वयंसेवी संस्थाओं को वृद्धाश्रम, डे केयर केंद्र, मोबाइल चिकित्सा केंद्र की सेवा देने के लिए 90 प्रतिशत तक वित्तीय मदद दी जा रही है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को वृद्धाश्रम के निर्माण में सहायता दी जाती है।

वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा दे रहा है। एक अक्टूबर, 2007 से शुरू इस योजना का मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 30 रुपये रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक वर्ष में 30 हजार रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और पुरानी चिकित्सा व्याधियों का इसके तहत उपचार किया जाता है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजाना भी दिया है। गत वर्ष के बजट में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को एक लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया और बुजुर्गों के लिए 30,000 रुपये का अतिरिक्त बीमा। इससे पहले तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में

वरिष्ठ नागरिकों को सहाय्य और जीवन सहायक उपकरण वितरित

हाल ही में डॉ. वसंतराव देशपांडे हॉल, सिविल लाइन्स, नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के *राष्ट्रीय वयोश्री योजना* पर एक शिविर के दौरान 2,383 सहायता और जीवन सहायक उपकरणों को 1,266 वरिष्ठ नागरिकों को वितरित किए गए।

ये उपकरण वरिष्ठ नागरिकों को अपनी उम्र से संबंधित परेशानियों से निपटने में मदद करेंगे और ध्यान रखने वाले लोगों या परिवार के अन्य सदस्यों पर बहुत कम निर्भर रहते हुए एक सम्मानजनक और उत्पादक जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह महत्वाकांक्षी योजना, देश में अपनी तरह की पहली योजना है, और 3 साल की अवधि में इसके माध्यम से 5,20,000 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है।

2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 10.38 करोड़ है। वरिष्ठ नागरिकों की आबादी का 70 प्रतिशत से अधिक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा 5.2 प्रतिशत बुढ़ापे से संबंधित किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं। रुझान से पता चलता है कि बुजुर्ग आबादी की संख्या वर्ष 2026 तक बढ़कर करीब 173 मिलियन होगी।

बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता प्रदान करने वाली और सहायक जीवन उपकरण के लिए एक योजना तैयार करने के प्रस्ताव की घोषणा बजट 2015-16 में की गई थी। इसके अनुसार, *राष्ट्रीय वयोश्री योजना* तैयार की गई है। इस योजना का लक्ष्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक और किसी भी उम्र से संबंधित विकलांगता/दुर्बलता से पीड़ित जैसे कम दृष्टि, सुनने में तकलीफ, दांत नहीं होने और चलने-फिरने में परेशानी वाले व्यक्तियों को ऐसे जीवन सहायक उपकरणों से लैस करना है जो उन्हें शारीरिक कार्यों में बहुत अधिक समक्ष बनाए, विकलांगता/दुर्बलता पर काबू पा सके। सहायक उपकरण उच्च गुणवत्ता वाले होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक विकलांगता के आधार पर सहायक और जीवन सहायक उपकरणों जैसे चलने वाली छड़ियां, कोहनी बैसाखी, वॉकर/बैसाखी, ट्राइपॉड/कुआडपॉड्स, सुनने में सहायक उपकरण, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत और चश्मा प्रदान किए जाएंगे। ❑

मात्र 30,000 रुपये की ही बीमा होता था।

इसी तरह वरिष्ठतम नागरिकों के लिए टैक्स में विशेष छूट के साथ ही उनकी बचत पर अधिक ब्याज दर से भुगतान किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय 60 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों से तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लेता, जबकि 80 वर्ष से ऊपर वालों से पांच लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई कर नही लिया जाता। मौजूदा केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के बैंक जमा पर ब्याज को स्थिर कर दिया है। बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2016 को अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि 7.5 लाख रुपये तक की राशि पर 10 वर्ष तक के लिए वर्षाना 8 प्रतिशत का ब्याज दर सुरक्षित किया जाएगा। पीएम ने कहा कि बैंकों में पैसे ज्यादा आने लगते हैं तो वो जमा राशि पर ब्याज दर घटा देते हैं। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बुजुर्गों पर इसका कोई असर नहीं पड़े।

इसी तरह रेल यात्रा में सभी बुजुर्गों को किराए में 40 प्रतिशत छूट के साथ ही उनके लिए अलग काउंटर बनाने और ज्यादातर लोअर बर्थ देने का इंतजाम किया गया है। इसी तरह सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने साधारण श्रेणी के किराए में चालीस से पचास फीसद की छूट दे रही है। बुढ़ापे में जीवनयापन एक बड़ी चुनौती होती है। एलआइसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन योजना लाएगी जिसमें 10 वर्ष के लिए आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष का गारंटीकृत लाभ मिलेगा। 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिए यह योजना आय सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना में मासिक/तिमाही/छमाही या वार्षिक आधार पर लाभ का एक विकल्प दिया जाएगा, लाभार्थी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 के तहत विकल्पों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने 2017-18 के बजट पिटारे से बुर्जुगों के लिए स्मार्ट कार्ड निकला। आधार आधारित स्मार्ट कार्ड में उनका स्वास्थ्य संबंधी सारा ब्योरा होगा। सरकार ने योजना को पहले प्रायोगिक तौर पर शुरू करने का मन बनाया है। वर्ष 2017-18 में योजना को 15 जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा। इसी तरह अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को वरिष्ठ नागरिकों सहित उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय 35 किलो अनाज प्रति परिवार देता है, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 प्रति किलो दिया जाता है।

वैसे विकसित देशों में वृद्धों की देखभाल और उनकी चिकित्सा सहूलियत पूरी तरह राज्य की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी विभिन्न देशों को समय-समय पर वृद्धजनों के लिए नीति बनाकर तद्नुसार कार्यक्रम चलाने के लिए उत्साहित करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1991 में वृद्धजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की नीति अपनायी गई। 1992 में महासभा द्वारा वृद्धावस्था पर एक घोषणा पत्र एवं सन् 2001 के लिए वृद्धावस्था पर वैश्विक लक्ष्य जैसे कार्यक्रम बनाये गये। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम बनाए गए। भारत भी अब इस रास्ते पर चलता दिख रहा है। ❑

संदर्भ

- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी रिपोर्ट 2010
- कंट्री मीटर्स रिपोर्ट 2016
- बजट प्रस्ताव 2017

YH-673/1/2017

पहल को समर्थन की प्रतिबद्धता

जतिन्दर सिंह

समावेशी विकास का एजेंडा किसी राष्ट्र की विकास गाथा में जन सहभागिता के रूप में सभी के लिए एक सक्षम वातावरण का अनुमान लगाता है ताकि सभी सार्थक, स्वस्थ और रचनात्मक जीवनयापन कर सकें। इसी को दूसरे शब्दों में विकास कहा जाता है। वंचित वर्गों जैसे अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और असंगठित कर्मचारियों के लिए रणनीतिक सीएसआर परियोजनाएं उनके सामाजिक विकास में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है

कॉरपोरेट सोशल रिसपोंसबिलिटि (सीएसआर) संगठनों को उनके द्वारा लोगों, धरती और विकास पर डाले गए प्रभावों की जिम्मेदारी लेकर समुदायों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत सीएसआर के कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करने वाला दुनिया का प्रथम राष्ट्र बन गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2009 में सीएसआर के संबंध में स्वैच्छिक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये दिशा-निर्देश कंपनी एक्ट 2013 के साथ सम्मिलित थे। सीएसआर की परिधि के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 की उपधारा 1 में रखा गया है। निम्न वर्गों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को सीएसआर के प्रावधानों का अनुसरण होगा:

1. जिन कंपनियों की निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या अधिक है या
2. कुल बिक्री 1000 करोड़ रुपये या अधिक है या
3. निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक है।

आकलन के अनुसार इस कानून के तहत लगभग 8,000 कंपनियां सीएसआर के अनिवार्य प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं। कानून में स्पष्ट उल्लेखित है कि कपंनियों को पिछले 3 वर्षों के अपने औसत लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होगा। जो 10,000 से 12,000 रुपये का वार्षिक अनुमानित व्यय है। जीडीपी के बढ़ने और उसके साथ-साथ लाभ में वृद्धि होने से यह अनिवार्य खर्च वर्ष दर वर्ष बढ़ेगा। धारा 135 के अनुसार कंपनी सीएसआर कमेटी का सृजन करेगी जिसके मंडल में 3 या अधिक निर्देशक के साथ एक स्वतंत्र निर्देशक शामिल होगा। कमेटी अनुसूची 7 में स्पष्ट रूप से वर्णित सीएसआर गतिविधियों पर नीति बनाएगी। कंपनी अपने संस्थानों व प्रतिष्ठानों के माध्यम से या एनजीओ के साथ मिलकर या फिर दूसरी कंपनी के साथ अपनी सीएसआर निधियों को मिलाकर सीएसआर गतिविधियों को चला सकती है। नीति इस बात को स्वीकार करती है कि सीएसआर न केवल एक अनुपालन है, अपितु वंचितों के जीवन को बेहतर करने की पहलों को समर्थन देने का वायदा भी है।

सीएसआर: सशक्तीकरण का अगुआ

वंचितों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और क्षमता निर्माण का विकास करके उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार ही उनका सशक्तीकरण है। यह सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व है, लेकिन कॉरपोरेट क्षेत्र की इन पहलों की आवश्यकता दूसरों के स्तर, गति और सर्वोत्तम अभ्यास का अनुकरण करने के लिए है। चूंकि व्यवसाय जहां कहीं पर भी स्थापित हो, किसी विशेष समुदाय पर केंद्रित होते हैं, इसलिए इन कॉरपोरेट के लिए वंचित तबकों के लिए सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से आगामी अवसरों का संग्रह करना, उनकी समस्याओं और चुनौतियों को समझना किसी अन्य के बनिस्बत आसान होता है। अतीत में भारत ने अनन्य विकास का अनुभव किया है, लेकिन पिछली एक शताब्दी के बोझ को हटाने के लिए समय और प्रयासों की आवश्यकता है ताकि वंचित तबकों को

लेखक 18 वर्षों के अपने अनुभव के साथ वर्तमान में पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रवर सचिव और प्रमुख हैं। वे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रौद्योगिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने दो पुस्तकें भी लिखी हैं। ईमेल: jatinder@phdcci.in

मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। समेकित विकास के मंत्र *सबका साथ सबका विकास* को केवल निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास प्रारूपों को जोड़कर ही साकार किया जा सकता है। जनकल्याण की बढ़ती मांगों को पूरा करने में राज्य का बजट अपर्याप्त है। सरकार वंचित तबकों के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के उपाय कर रही है, लेकिन इससे अल्पकालीन अवधि में जनकल्याण के संपूर्ण क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता।

वंचित तबकों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी अनिवार्य है। जरूरतमंदों की बेहतरी के लिए शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य देखरेख से जुड़े क्षेत्रों में व्यापक वित्तीय संघटन की दरकार है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 188 देशों में 131वें पायदान पर है। सामान्यतया मानव विकास सूचकांक ही किसी भी देश के आधारभूत मानव विकास का आकलन करने का पैमाना है। इस आंकड़े को बेहतर करने के लिए न केवल वित्तीय सूझबूझ की, बल्कि विविध हितधारकों की हिस्सेदारी के माध्यम से 360 डिग्री प्रणाली की दरकार है। सरकार की मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख योजनाओं को सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। वंचित तबकों के सशक्तीकरण में इन कार्यक्रमों का कई तरह से सोपानी प्रभाव रहा है क्योंकि इनके हस्तक्षेप से वंचितों को शिक्षित, कौशल युक्त बनाकर व्यापक रोजगार अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

सीएसआरः कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका

सीएसआर गतिविधियों के समेकन के साथ कई कंपनियां समुदायों को आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया में सम्मिलित कर सामुदायिक आजीविका उत्पन्न कर रही है। नए युग के सीएसआर की आधारशिला रखी जा चुकी है। सीएसआर परितंत्र को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में स्वीकार किये गये विकास के संपोषणीय लक्ष्यों (एसडीजी) से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। ये लक्ष्य कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के आधारभूत क्षेत्र हैं। सर्वाधिक प्रभावकारी सीएसआर गतिविधियां किसी कंपनी को विधायी रूप से वंचित तबकों के सशक्तीकरण में निवेश के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। भारतीय संदर्भ में, अतीत में लोकोपकारी प्रारूपों में साक्षरता प्रमुख थी। नए युग में कौशल विकास और आजीविका सृजन केंद्र बिंदु हैं। मूलभूत लेखन और पाठन योग्यताओं से परे शिक्षा का विकास हो चुका है। अब कौशल का महत्व कहीं अधिक है। समुदायों के निचले तबके के कौशल में रणनीतिक निवेश प्रत्यक्ष रूप से व्यापार की आधार रेखा को प्रभावित करता है। वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम, ग्लोबल रिस्क पर्सेप्शन के वर्ष 2016 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 2 सर्वाधिक जुड़े हुए खतरे- अथाह सामाजिक अस्थिरता और ढांचागत बेरोजगारी या अल्प रोजगार सभी का अंत:संबंध 5 प्रतिशत है। अंत:संबंध का ज्ञान रहनुमाओं को वरीयता के क्षेत्रों हेतु आकस्मिक योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में मदद करता है। भारतीय उद्योगों के अगुआ ऐसे खतरों के प्रति जागरूक हैं और उनमें से कई इन क्षेत्रों में सही तरीके से सीएसआर गतिविधियां चला रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 188 देशों में 131वें पायदान पर है। सामान्यतया मानव विकास सूचकांक ही किसी भी देश के आधारभूत मानव विकास का आकलन करने का पैमाना है।

वंचितों के लिए सीएसआर गतिविधियां

दिव्यांग जनों के लिए कौशल और आजीविका के अवसरः प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि जिन लोगों को हम विकलांगता के कारण अक्षम समझते हैं उन लोगों में अतिरिक्त गुण होते हैं और वे विशेष रूप से सक्षम होते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग शब्द सुझाया। दुनिया के सबसे ज्यादा दिव्यांग जनों वाले देशों में से भारत भी एक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.21 प्रतिशत दिव्यांग जन हैं और इनमें से अधिकतर ग्रामीण इलाकों में हैं। शिक्षा, कौशल विकास और आधारभूत ढांचे तक दिव्यांग जनों की पहुंच बेहद कम होने के कारण उनके सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र से बाहर हो जाने का खतरा बना रहता है। अतीत में दिव्यांग जनों के लिए चलायी जा रही योजनाएं बड़े स्तर पर महज कार्यान्वयन तक सीमित रहती थी, लेकिन अब दिव्यांगों के लिए सीएसआर परियोजनाओं के शामिल होने से कंपनियां दिव्यांग जनों की चुनौतियों की ओर समग्र रूप से देख रही हैं। दिव्यांगों के लिए साक्षरता, व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना और नियोजन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने जैसे कार्यक्रम रणनीतिक सीएसआर परियोजनाएं हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और लघु उद्योगः सीएसआर परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी और लघु उद्योगों के बिना किसी स्थानांतरण के रोजगार के अवसरों का सृजन कर आजीविका उपलब्ध कराती हैं। सीएसआर परियोजनाएं छोटे ऋण उपलब्ध कराकर उत्पाद और सेवाओं की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। ई-कॉमर्स उद्यम उत्पादकों और कलाकारों को उनके उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए समुचित परामर्श एवं प्रोत्साहन की दरकार है। नवाचारी सीआरएस प्रारूप कौशल में हस्तक्षेप करके एसएचजी के लिए अपनी क्षमता और परिणामों में बढ़ोतरी कर सकते हैं।

प्रौढ़ जनसंख्याः भारत में युवा जनसंख्या में बढ़ोतरी के अलावा प्रौढ़ जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यह वर्तमान में लगभग 10 करोड़ है। प्रौढ़ जनसंख्या वर्षाना 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यह कुल आबादी का 8 फीसदी है। वर्ष 2050 तक इस प्रौढ़ जनसंख्या का आकार 24 करोड़ हो जाएगा। वृद्धावस्था की समस्याओं और बाधाओं से हम भली-भांति अवगत हैं। इसके अतिरिक्त उम्र के साथ बढ़ने वाली शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के कारण वे सीमित वित्तीय संसाधनों और सीमित क्रियाशीलता का भी सामना करते हैं। खराब नगरीय अवसंरचना उनकी समस्याओं को और अधिक बढ़ा देती है जिससे उनकी स्वास्थ्य देखरेख, कल्याण और आवास संबंधी आवश्यकताओं के समक्ष चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। सीएसआर के नए संशोधनों में वृद्धों के लिए घरों का निर्माण, दैनिक देखरेख केंद्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी कई अन्य सुविधाएं

प्रस्तावित हैं। सीएसआर गतिविधियों को 7वीं अनुसूची में शामिल किया जाना सरकार के वृद्धों की देखरेख के प्रयासों का अनुपूरक है।

मलिन बस्तियों का विकास: शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ने के पीछे निवास और रोजगार प्रमुख कारक हैं। वर्ष 2011 में भारत की स्लम आबादी 9.3 करोड़ आंकी गयी थी। सीएसआर गतिविधियों में मलिन बस्तियों के विकास को शामिल करना सरकार के शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाने के प्रयासों का अनुपूरक है। हमारे देश को स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले मलिन बस्तियों के संकट का समाधान करने की आवश्यकता है। भारत को सतत आर्थिक विकास के लिए स्लम आबादी के लाभप्रद नियोजन के अवसर सृजित करने की दरकार है। मलिन बस्तियों की विकास लक्षित सीएसआर परियोजनाएं शहरी गरीबों और उद्योगों के लिए आनुशंगिक रूप से अत्यधिक लाभकारी होंगी।

निष्कर्ष

व्यावसायिक और वैचारिक रहनुमाओं को अपने उद्यम की सर्वोच्च रेखा और आधार रेखा पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त मानव विकास की चुनौतियों का भी आगे रहकर सामना करना होगा क्योंकि यह सीधे उनके व्यवसाय को प्रभावित करती है। कॉरपोरेट को अपने सीएसआर लक्ष्यों को अपने संगठन के लक्ष्यों के साथ समेकित करना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए राष्ट्र विकास के कार्य में वाहक बनने का बेहतरीन अवसर है। लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का वार्षिक सीएसआर बजट भारत सरकार के सामाजिक क्षेत्र के विकास बजट की तुलना में काफी कम है। इसके लिए ऐसे प्रगतिशील सीएसआर परियोजनाओं की आवश्यकता है जो जनसांख्यिकी के संदर्भ में आर्थिक रूप से विकासक्षम, परिमाप योग्य और दोहराने योग्य हो। कॉरपोरेट सीएसआर की कुछ निधियों को सीएसआर परियोजनाओं के शोध एवं विकास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र की आधारभूत समस्याएं पैमाने या श्रेणी की समस्याएं हैं। सतत प्रभावों के लिए इन नवीन प्रारूपों का सार्वजनिक क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कॉरपोरेट सोशल नवाचार को एक-दूसरे के साथ मिलकर कॉरपोरेट सोशल रिसपोंसबिलिटि का निर्वाह करना चाहिए। नवाचारी प्रारूपों के माध्यम से साझा मूल्यों के निर्माण के गहरे सामाजिक प्रभाव होंगे, जिससे वंचित तबकों को मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। कॉरपोरेट धन का उपार्जन करता है, जो परिणामस्वरूप सीएसआर बजट में परिवर्तित होता है। प्रगतिशील और विकासक्षम सीएसआर परियोजनाओं के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र की संगठनात्मक क्षमता और व्यापक संसाधन निकाय के दोहन की आवश्यकता है। समावेशी विकास का एजेंडा किसी राष्ट्र की विकास गाथा में जन सहभागिता के रूप में सभी के लिए एक सक्षम वातावरण का अनुमान लगाता है ताकि सभी सार्थक, स्वस्थ और रचनात्मक जीवनयापन कर सकें। इसी को दूसरे शब्दों में विकास कहा जाता है। वंचित वर्गों जैसे अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और असंगठित कर्मचारियों के लिए रणनीतिक सीएसआर परियोजनाएं उनके सामाजिक विकास में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ❑

समावेशी भारत पहल

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ट्रस्ट ने हाल ही में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग (आईडीडी) के लिए प्रमुख भागीदारों के साथ सहयोग से *समावेशी भारत पहल: समावेशी भारत की ओर* शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया।

नेशनल ट्रस्ट के *समावेशी भारत पहल* में विशेष रूप से बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों पर पफोकस किया जाता है जिसका उद्देश्य इन लोगों को मुख्यधारा और जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार और समुदाय में शामिल करना है। *समावेशी भारत* दृष्टिकोण में बदलाव ला रहा है।

समावेशी भारत पहल अवसरों की बराबरी, अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक संरचना में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग (आईडीडी) को शामिल करने के भाव जगाने का प्रयास है। समावेशी भारत पहल का तीन मुख्य फोकस क्षेत्र समावेशी शिक्षा, समावेशी रोजगार और समावेशी समुदाय जीवन है।

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में, पैन-इंडिया के आधार पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें बौद्धिक तौर पर विक्लांग बच्चों व युवाओं के लिए स्कूल और कॉलेजों को समावेशी बनाना है। शैक्षणिक संस्थाओं को आवश्यक गतिविधि सहायता, सहायक उपकरण, सुलभ सूचना और सामाजिक समर्थन देकर उनकी अवसंरचना को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए सरकारी और निजी स्कूलों के साथ संबंध बढ़ाया जाएगा।

मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इस पहल के तहत बौद्धिक विक्लांग जनों के लिए समावेशी रोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कम 2000 कॉरपोरेट क्षेत्र के संगठनों, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र हैं, को शामिल किया जाएगा। समावेशी सामुदायिक जीवन पूरा करने का प्रयास केवल तभी सफल हो सकता है जब बौद्धिक और विकास विकलांग, उनके परिवार, सिविल सोसाइटी संगठन और राज्य सरकार आपस में जुड़ें। समावेशी भारत पहल का जन्म ही सामान्य लोगों के बीच यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ था कि लोग फोकस समूह के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

नेशनल ट्रस्ट, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है। इसे *व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मंदबुद्धि और बहुविकलांग* अधिनियम (1999 का 44वां अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय ट्रस्ट की परिकल्पना विकलांग और उनके परिवारों की क्षमता विकास के लिए अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों को पूरा करने, एक सक्षम माहौल और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए सुविधाएं और बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। ❑

टोपोग्राफी

टोपोग्राफी शब्द का व्यापक रूप से पृथ्वी की सतह के विस्तृत अध्ययन का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह किसी क्षेत्र विशेष की भौतिक विशेषताओं के बारे में बताता है। इसमें पहाड़, घाटियों, नदियों, झीलों, समुद्र और महासागरों के साथ ही सड़कों, पुलों, बांध, रेलवे लाइनों और शहरों जैसे मानव निर्मित भौतिक परिवर्तन शामिल हैं।

टोपोग्राफी का उद्देश्य किसी भी विशेषता की स्थिति को निर्धारित करना है जैसे अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई। यह सर्वेक्षण की परंपरा से निकटता से जुड़ा हुआ है, और एक के मुकाबले दूसरे बिंदु के संबंध में विशेषताओं की स्थिति को निर्धारित करने और रिकार्ड करने की प्रथा है। टोपोग्राफिक मानचित्र सिविल इंजीनियरों, पर्यावरण प्रबंधकों और शहरी नियोजकों द्वारा, साथ ही बाहरी उत्साही लोगों, आपातकालीन सेवाओं की एजेंसियों और इतिहासकारों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। एक टोपोग्राफिक मानचित्र त्रिआयामी भूपर्पटी का दो-आयामी स्वरूप है जिसमें समोच्च लाइनों, रंगों, प्रतीकों, लेबलों और मानव निर्मित सुविधाओं के आकृतियों और स्थानों को चित्रित किया जाता है।

टोपोग्राफी की व्यापक रूप से प्रयुक्त तकनिक *प्रत्यक्ष सर्वेक्षण* है। इस प्रक्रिया में लेवलिंग यंत्रों जैसे थियोडोलाईट्स का उपयोग दूरी और कोण को मापने के लिए किया जाता है। यह डिजिटल इमेजिंग सिस्टम सहित सभी टोपोग्राफी के मानचित्रण के लिए बुनियादी डाटा तैयार करता है। इस जानकारी का इस्तेमाल अन्य प्रणालियों जैसे हवाई फोटोग्राफी या सेटेलाइट इमेजरी के रूप में किया जा सकता है ताकि विशिष्ट सतह या जमीन के टुकड़े की पूरी तस्वीर मिल सके। महासागर को *सोनार मानचित्रण* के माध्यम से मापा जाता है जिसमें पानी के माध्यम से ध्वनि की एक तार (लय) पानी के नीचे वाले स्पीकर से भेजी जाती है। ध्वनि को जल में वस्तुओं से परावर्तित होती हैं, जैसे समुद्र तल, प्रवाल विस्तार या एक पनडुब्बी। इन ध्वनियों को माइक्रोफोन द्वारा मापा जाता है। प्रतिध्वनि वस्तु की दूरी के लिए प्रतिध्वनित होने का समय आनुपातिक होता है। यह आंकड़ा मापित किए जाने वाले पानी के भीतर के इलाकों में बदलाव की अनुमति देता है।

तकनीकों की उन्नति के कारण, अब जल पर्यटन उपग्रहों के अच्छी तरह से स्थापित नेटवर्क द्वारा समर्पित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं को कुछ फुट की गहराई में भी क्षैतिज स्थितियों को सही ढंग से निर्धारित करने की अनुमति देता है, यहां तक कि सबसे दूर-दराज के इलाकों में भी जहां परंपरागत सर्वेक्षण तकनीक असंभव है 3-डी प्रतिपादन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर एक त्रि-आयामी मॉडल का निर्माण करने के लिए उपग्रह या हवाई छवियों का उपयोग करते हैं।

हवाई फोटोग्राफी और फोटोग्राफी विभिन्न कोणों से फोटो को जोड़ती है और तत्वों के स्थान की गणना करने के लिए त्रिकोण की प्रक्रिया का उपयोग करती है। विभिन्न उपग्रहों को ले जाने वाले अन्य उपग्रह जल्द ही नक्शा बनाने की हवाई फोटोग्राफी विधि को बदल सकते हैं। यह नक्शे का उत्पादन या अपडेट करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम करेगा और साथ ही समग्र शुद्धता में भी सुधार होगा। ❑

गंगा किनारे मौजूद औषधीय पौधों पर पुस्तिका का विमोचन

गंगा ग्राम के रूप में चिन्हित किए गए गांवों में औषधीय वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक कदम बढ़ाते हुए, इस पर केंद्रीत दिशानिर्देशों की पुस्तिका जिसका शीर्षक - 'होम हर्बल गार्डन' है, हाल ही में जारी किया गया था।

'गंगा और गंगा जलग्रहण क्षेत्रों के कायाकल्प में औषधीय पौधे और उसकी भूमिका' पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की एक प्रस्तुति में गांवों के लिए योजना और कार्यक्रम, औषधीय पौधों के लाभ, पौधों का चयन, गंगा ग्राम के लिए चिन्हित गांवों में कार्यक्रम को लेने की औपचारिकता और पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम पंचायतों की भूमिका को दर्शाया गया था। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, एनएमपीबी चिन्हित गंगा ग्राम वाले गांवों में हर्बल उद्यान का विकास करेगा।

यह स्मरण किया जा सकता है कि पिछले वर्ष गंगा नदी के तट पर स्थित गांवों में ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गंगा ग्राम की पहल नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य इन गांवों से नदी में प्रदूषण के भार में कमी लाना था। ❑